खण्ड ६— अंक ३७
५ सितम्बर, १९५६ (बुधवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XIII Session)
(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

239 L.S./56

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६६ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७६१ — १७४७–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १७७६, १७८४, १७८७, १७६२ से १७६७ और १७६६ से १८१४ . . . . . — १७६६–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . — १७७८–६५

दैनिक संक्षेपिका . . — १७६६–६६

टिप्पणी:—किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा

बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औद्योगिक बस्तियां

†*१७६९. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य सरकार को औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने के लिये ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण के साथ और क्या-क्या सुविधाएं प्रस्तुत की गयी हैं; और

(ग) क्या पंजाब सरकार ने इस का कोई उत्तर भेजा है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) रूप रेखा, योजना और प्राक्कलन आदि तैयार करने का व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा ।

(२) यदि औद्योगिक क्षेत्र का उपयोग करने वाले लोगों से वस्तु किये जाने वाले किराये में आर्थिक सहायता देनी है, तो केन्द्रीय सरकार इस व्यय का ५० प्रतिशत पांच वर्षों तक अनुदान के रूप में देगी ।

(ग) जी हां । उन्होंने हमें सूचित किया है कि लुधियाना में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के लिये उन्हें १९५६-५७ में ऋण के रूप में २० लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी । योजना विचाराधीन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने वाले हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : जो राज्य प्रस्ताव भेजेंगे उनकी आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रों की कुल संख्या का निश्चय किया जायेगा । इस समय सात क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है तथा सात और क्षेत्रों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बंसल** : विभिन्न राज्यों में इन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करते समय क्या सरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम को भी ध्यान में रखेगी जो अभी हाल में हमने पारित किया है तथा उन पिछड़े क्षेत्रों में भी इनकी स्थापना करेगी जिनके लिये अलग प्रदेशों की व्यवस्था की गई है ?

†**श्री कानूनगो** : क्षेत्रों की स्थापना राज्यानुसार ना हो कर उन उद्योगों के आधार पर होगी जो उन राज्य विशेष में होंगे। उन उद्योगों में उन्नति की सम्भावना के बारे में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उन पर विचार किया जाता है। इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि उन क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों की उन्नति करने का उतना अवसर नहीं मिला जितने कि आशा कि जाती थी।

†**श्री कासलीवाल** : औद्योगिक क्षेत्रों के लिये ऋण देने से पूर्व क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की स्थिति तथा उन क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अपने आपको सन्तुष्ट कर लिया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, जो पहले से ही वहां है, क्या सरकार को विदित है कि वहां कुछ उद्योग आरम्भ हो गये हैं किन्तु सब से बड़ी कठिनाई यह है कि उन्हें विद्युत नहीं मिलती है ? क्या सरकार इस बात का आश्वासन देती है कि इन क्षेत्रों को स्थापित करने से पूर्व वहां विद्युत मिल जायेगी ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, औद्योगिक क्षेत्रों को सारी साधारण सुविधाएं होंगी और उन साधारण सुविधाओं में विद्युत उपलब्ध कराना भी एक सुविधा है।

†**श्री दामोदर मेनन** : औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को जो अग्रिम राशि दी जाती है वह सदैव ऋण के रूप में दी जाती है अथवा उसमें से कुछ अनुदान भी होता है ?

†**श्री कानूनगो** : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि उसका कुछ अंश अनुदान के रूप में है तथा अधिकांश ऋण के रूप में।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना इस प्रकार की जायेगी कि जिससे भारत के औद्योगिक मानचित्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति हो सके ?

†**श्री कानूनगो** : प्रयोजना यह नहीं है। हमारा प्रयोजन तो कुछ स्थान विशेष में स्थापित उद्योगों की प्रविधि[1] तथा उत्पादन में सुधार करना है।

†**श्री बंसल** : मंत्री जी बार-बार यही बात दुहराते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का उद्देश्य प्रविधि में सुधार करना है। मेरा ख्याल यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने का प्रयोजन उन प्रदेशों में उद्योगों का विकास करना है जहां उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं। उद्योगों की उन्नति करने का प्रयोजन औद्योगिक संस्थाओं का विकास करना है। उस दृष्टिकोण से मैं यह पूछता रहा हूं कि क्या औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने के मामले में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अथवा नहीं।

†**श्री कानूनगो** : मैं बता चुका हूं कि पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी ही है क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Techniques.

पाकिस्तान जाने वाले हिन्दू तथा सिख तीर्थ यात्री

†*१७७०. **श्री विभूति मिश्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे हिन्दू और सिख तीर्थयात्रियों की संख्या कितनी है जिन्होंने नवम्बर, १९५५ से जून १९५६ में पाकिस्तान के अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा की; और

(ख) पाकिस्तान सरकार ने उन्हें आने-जाने में कहां तक सुविधायें प्रदान की थीं।

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) ६२४।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने उनके लिये तीर्थ स्थानों और पवित्र स्थानों को जाने और वापस लौटने में यातयात सुविधायें और पुलिस द्वारा रक्षा का प्रबन्ध किया था। १९५५ के अन्त तक तीर्थयात्रियों को पुलिस की रक्षा में इधर उधर आने जाने की अनुमति प्राप्त थी और गुप्तचर विभाग की उपस्थित में स्थानीय निवासियों से मिलने की भी इजाजत थी। तब से स्थानीय लोगों से मिलने-जुलने और आने जाने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है, और लाहौर के अतिरिक्त तीर्थ-यात्रियों को इधर उधर आने जाने तथा स्थानीय लोगो से मिलने के लिये मना कर दिया गया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो हिन्दुओं और सिखों के धार्मिक स्थान हैं, वहां जो यात्री जाते हैं, उनके रहने वगैरह के लिये कोई खासा इन्तजाम होता है ?

श्री सादत अली खां : हां, उनके रहने सहने का इन्तजाम होता है, उनके लिये कैन्टीन्स होती हैं, खाने पीने, फल तरकारी वगैरह का इन्तजाम होता है और पुलिस एस्कोर्ट भी उनके साथ भेजा जाता है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : चिकित्सा सम्बन्धी विशेष सुविधाओं के बारे में कुछ कहना कठिन है। सामान्यत: पाकिस्तान सरकार खाद्य और यातयात आदि के लिये प्रबन्ध करती है। ये प्रबन्ध पूर्णरूपेण सन्तोषजनक नहीं हैं किन्तु कुछ प्रबन्ध किये जाते हैं। चिकित्सा सम्बन्धी विशेष सुविधाओं के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस प्रश्न में जिस काल पर विचार किया जा रहा है उस में किसी हिन्दू अथवा सिख पावन स्थान में जाने के लिये पाकिस्तान सरकार ने अनुमति नहीं भी दी थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं अपनी स्मृति से बता रहा हूं, केवल एक मामला ऐसा था जिसमें उस स्थानीय क्षेत्र में उस समय कुछ अशान्ति के कारण जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

†**श्री जयपाल सिंह** : हमें अभी अभी बताया गया है कि लगभग ६०० तीर्थयात्री गये थे। उन में से कितने लोगों के जाने के लिये वास्तव में आवेदन किया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि जानकारी प्राप्त किये बिना मैं नहीं बता सकूंगा। हो सकता है कि संख्या इससे भी अधिक हो किन्तु सामान्यत: हम इसकी संख्या नहीं रखते हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो अभी सरकार की तरफ से बताया गया कि जो यात्री जाते हैं उनके पीछे सी० आई० डी० रहती है, उसका क्या कारण है ? पाकिस्तान सरकार जो लोग यात्रा करने जाते हैं उनके पीछे सी० आई० डी० क्यों लगाती है ? वह तो बेचारे धर्म-कर्म करने जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सवाल तो दूसरे शासन से पूछने का है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि साधू के भेष में और लोग भी कभी-कभी हो सकते हैं।

कलकत्ते में विस्थापित छात्रों के लिये कालेज

†*१७७१. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये पांच हजार और विस्थापित छात्रों को खपाने के लिये कलकत्ते में और उसके आस पास पांच और स्नातक कालेज स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है;

(ग) क्या इन कालेजों में गैर-शरणार्थी भी प्रवेश पा सकेंगे; और

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) वास्तव में छः कालेजों के लिये अनुमति दी जा चुकी है जिसमें से प्रत्येक में १,००० छात्र लिये जायेंगे।

(ख) लगभग १५,००० रुपये।

(ग) जी हां

(घ) कोई विशेष प्रतिशत नहीं किया गया किन्तु विस्थापित छात्र ही अधिक संख्या में भर्ती किये जायेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : ये कालेज कलकत्ते में या उसके आसपास होंगे अथवा कम से कम एक उत्तर बंगाल में भी, जैसा कि माननीय मंत्री ने सुझाव दिया था ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : मैं नहीं जानता कि वे स्थान कलकत्ते में हैं अथवा नहीं, किन्तु माननीय सदस्य को जो बंगाल के ही रहने वाले हैं और यह जानते हैं कि वे स्थान कहां हैं—मैं ये नाम पढ़कर सुना दूंगा—जादवपुर, बारीशा, डमडम, वैष्णवघाट, बान-हुगली और नारकेल-डंगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कुल प्राक्कलित व्यय कितना होगा ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : ऋण ४७.०५ लाख और अनुदान २०.७६ लाखरुपये।

†**श्री ब० कु० दास** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कालिजों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई थी जिसके अधीन कलकत्ता क्षेत्र के बाहर के अनेक हाईस्कूलों में आगे की कक्षायें बढ़ा दी गई थीं, क्या मैं जान सकता हूं कि ये कालेज कैसा कार्य कर रहे है और क्या उनमें भी विस्थापित छात्रों की संख्या काफी है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : पश्चिमी बंगाल सरकार ने सोचा कि कालेज के लगभग पन्द्रह हजार छात्र ऐसे हैं जिनके लिये प्रबन्ध किया जाना चाहिये और इसी कारण उसने यह सिफारिश की कि कलकत्ते के आसपास पन्द्रह कालेज खोले जाने चाहिये। इस प्रस्ताव की जांच वित्त मंत्री, पुनर्वास मंत्री तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने भी की। आरम्भ में छः कालेज खोलने का निश्चय किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री ने जिन कालेजों का उल्लेख किया है उनमें से अधिकांश कलकत्ते के बहुत ही समीप हैं। क्या कोई कालेज उत्तरी बंगाल में भी खोला जाने वाला है जहां बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी रहते है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : मैं कह चुका हूं कि पन्द्रह कालेजों की सिफारिश की गई थी जिस में से छः कालेज खोले जा चुके हैं।

†**श्री म० कु० मैत्र** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि एक कालेज जादवपुर में खोला गया है जो जादवपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। क्या उस कालेज में इस वर्ष केवल तीस छात्र भर्ती किये गये हैं क्योंकि उसमें तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम रखा गया है ?

†**श्री० ज० कृ० भोंसले** : मुझ से यह जानने की आशा नहीं की जा सकती किन्तु मैं अपने माननीय मित्र के लिये निश्चयही यह जानकारी प्राप्त करुंगा।

†**श्री० म० कु० मैत्र** : क्या कालेज में छात्रों की भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से इस कालेज की स्थापना करने में असफलता मिली है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जांच करेंगे।

चश्मे के शीशे तैयार करने का कारखाना

† *१७७२. **श्री राम कृष्ण** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चश्मे के शीशे तैयार करने का एक कारखाना स्थापित करने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) ५० टन प्रति वर्ष की क्षमतावाले चश्मे के शीशे बनान वाला एक कारखाना स्थापित करने का विचार है। यदि सम्भव हो सका तो लगभग २५० टन प्रति वर्ष क्षमता वाला नेत्र चिकित्सा सम्बन्धी एक कारखाना भी स्थापित किया जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण** : कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ऐसा कहना अभी समय से बहुत पूर्व होगा; अभी कारखाना स्थापित करने के बारे में ही निर्णय नहीं हो सका है। हम कुछ प्रविधिक सहायक चाहते हैं जिनका मिलना ही कठिन है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारखाने में किस तरह के चश्मे तैयार किये जायंगे ? क्या ऐसे चश्मे तैयार किय जायंगे जिनसे सावन के महीने में केवल हरा ही न दिखाई दे बल्कि और रंग भी दिखाई पड़ जायें ?

श्री सतीश चन्द्र : यह चश्मा तैयार करने का कारखाना ही नहीं है, आनरेबल मेम्बर गलत समझे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खदान

†*१७७३. **श्री झूलन सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री २१ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे में चलने वाली कोयला खदानों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है; और

(ख) क्या मुनाफे में चल रही खदानें उसी प्रकार मुनाफे में ही चल रही हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां, ८ कोयला खदानो में से जो १९५३–५४ में घाटे में चल रही थीं, दो में अर्थात् जारंडीह और कुरासिया में तबसे लाभ होने लगा है ।

(ख) १९५३–५४ में लाभ में चलने वाली तीन कोयला खदानों में से अरगंडा नामक एक खदान में खानों में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण अनुवर्ती वर्षों में हानि हुई है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या अवशिष्ट छः खानों में लाभ न होने पर भी जैसे वे चाहें वैसे चलाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इन में से कुछ खदानें अस्सी-पच्चीसी वर्षों से चल रही हैं । उनको अब इस प्रकार चलाया जा रहा है कि वे जितना भी अच्छी किस्म का कोयला निकाल सकना सम्भव हो, निकाल सकें । इनके सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । इसकी सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है और उनको यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । विचार किया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप हानियों में काफी कमी हो जायेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या टेक्निकल विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : क्या माननीय सदस्य उस समिति का उल्लेख कर रहे हैं जिसकी स्थापना गिरिधी कोयला खदानों में कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये की गई थी ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : जी हां ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इसकी प्रतियां पहले ही पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : जब कि गैर-सरकारी कोयला खदानें इतने लाभ पर चल रही हैं, तो फिर सरकारी कोयला खदानें इतने घाटे में क्यों चल रही हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि सारी सरकारी कोयला खदानों को देखा जाये तो वे भी लाभ में चल रही है । गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कुछ घाटे में चल रही हैं तो कुछ मुनाफे में ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री ने पिछले सत्र में जो आश्वासन दिया था उसके अनुसार क्या इस प्रश्न की जांच की गयी है कि मध्य प्रदेश अथवा अन्य स्थानों की कुछ कोयला खदानें जो मैं समझता हूं बेकार हो गई हैं अथवा जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले से नहीं चलाई जा रही हैं उनको फिर से कुछ मुनाफे में चलाने में सुफलता मिल सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० च० रेड्डी** : उस प्रश्न की अभी जांच की जा रही है। मैं इस समय निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि वे किस अवस्था में हैं किन्तु मैं नवीनतम जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा और यथाशीघ्र उसे माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : सारी कोयला खदानों में कुल कितनी हानि हुई ? उसमें वृद्धि हुई है अथवा कमी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हानि नहीं हुई है अपितु कुल मिला कर लाभ ही हुआ है।

†**श्री बोस** : मैं भी यही बात जानना चाहता था। सारी कोयला खदानों को मिलाकर कुल कितना घाटा हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : घाटा बिल्कुल नहीं हुआ।

†**श्री बोस** : मेरा तात्पर्य मुनाफे के आंकड़ों से है।

†**श्री सतीश चन्द्र** : पिछले वित्तीय वर्ष में यह राशि लगभग २२ लाख रुपये थी।

हज यात्री

†*१७७४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मक्का तथा अन्य स्थानों पर हज के लिये कुल कितने यात्री गये हैं;

(ख) भारत में उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) क्या उनको डाक्टरी इलाज की सुविधाएं देने के लिये उनके साथ डाक्टरों का भी कोई दल भेजा गया था ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) १३,४५३।

(ख) हज यात्रियों को जिला अधिकारियों अथवा बम्बई पत्तन हज समिति द्वारा बिना किसी शुल्क के हज यात्रा के पास दिये जाते हैं। उनको चेचक तथा हैजे से बचने के लिये सरकारी तथा म्युनिसिपल अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों में निःशुल्क टीके लगाये जाते हैं और उन्हें बिना किसी पैसे के अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिये जाते हैं। भारत सरकार ने हज के लिये जाने वाले यात्रियों को अपने साथ खाद्यान्न, कपड़ा तथा कुछ अन्य आवश्यक सामान ले जाने की अनुमति दे रखी है। इन तीर्थयात्रियों को अपने साथ उपयुक्त भारतीय मुद्रा ले जाने की भी अनुमति है। हज यात्रियों को यहां से बाहर जाने के लिये यह प्रमाण भी नहीं देना पड़ता है कि उन्होंने सब आयकर चुका दिया है अथवा उन्हें आयकर चुकाने से छूट मिल गई है। किन्तु यह छूट तभी दी जाती है जब वे हज के लिये जाने वाले जहाजों पर तीर्थ यात्री का पास लेकर चल रहे हों। अगर वे सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट लेकर जा रहे हों तब उन्हें यह रियायतें नहीं दी जाती हैं।

(ग) वर्तमान हज की अवधि के लिये भारत से जाने वाले तीर्थयात्रियों एवं अन्य देशों से आने वाले तीथयात्रियों की भी सहायता के लिये तीन डाक्टरों का जिनमें एक स्त्री डाक्टर भी है तथा दो कम्पाऊंडरों का एक दल भेजा गया है, इनके साथ पर्याप्त दवाइयां भी भेजी गई हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या जो भारतीय इसाई फलस्तीन आदि अन्य तीर्थों में जाते हैं उन्हें भी ऐसी ही सुविधाएं दी जाती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे किसी ऐसे मौके का स्मरण नहीं है जब कि वे लोग इतनी संख्या में किसी ऐसे स्थान पर जाते हों, हां वे वहां पर यदा कदा चाहे जाते रहते हैं और आज तक इस सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न नहीं उठा है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन हज यात्रियों की सुविधाओं पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक सीजन के लिए।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा कि अभी बतलाया जा चुका है, यह रुपया उनको टीका आदि लगाने तथा उन्हें कुछ चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिये व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त शायद ही और कोई व्यय होता है। हां, इतना अवश्य है कि वहां पर एक भारतीय चिकित्सक दल भेजा गया था।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या भारत सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इनमें से कुछ हाजी इस अवसर का कश्मीर के मामले में भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिये प्रयोग करते हैं और इस सम्बन्ध में कुछ हाजी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से भी मिले हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कैसे आते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ सका हूं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या भारत सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ हाजी इस अवसर का काश्मीर के सम्बन्ध में भारत सरकार के विरुद्ध प्रचार करने के लिये प्रयोग करते हैं, तथा इस सम्बन्ध में कुछ हाजी वहां पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से भी मिले हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पिछले वर्ष वहां पर १३,४५३ हाजी गये थे। मैं नहीं कह सकता कि उनमें से किस किस ने क्या क्या किया अथवा क्या क्या नहीं किया है। किन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनमें से अधिकांश लोग वहां पर धर्म कार्यों के लिये ही जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो इस अवसर का अनुचित लाभ उठाते हों, उनमें से कोई व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिला है अथवा नहीं मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता हूं। यह भी सम्भव है कि एक ही स्थान पर होने के नाते वे कई समारोहों में एक दूसरे से मिले हों।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या मक्का में चिकित्सा के अभाव के कारण कुछ लोगों की मृत्युएं हुई हैं; यदि हां; तो क्यों ?

†**श्री सादत अली खां** : हमने चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया था। हमें इस प्रकार की किसी मृत्यु का ज्ञान नहीं है।

२४ परगना में विस्थापितों का पुनर्वासन

†***१७७५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जिला २४ परगना के डमडम थाने में उत्तर और दक्षिण नेमता में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिये ४० एकड़ भू-कर सम्बन्धी[2] भूमि अर्जित की गई है;

(ख) इससे कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इसके स्थान पर आस पड़ौस की बेकार पड़ी भूमि के अर्जन करने तथा इस भूमि को छोड़ने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cadastral

(घ) सरकार ने उस पर क्या विनिश्चय किया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)**: (क) जी, नहीं। किन्तु भूमि विकास तथा आयोजन अधिनियम के अन्तर्गत ४४.५४ एकड़ भूमि को अधिसूचित भूमि करार दे दिया गया है ताकि सरकार बाद में उसके अर्जन के लिये उसका निरीक्षण कर सके।

(ख) कोई भी नहीं, अधिसूचना के समय यह सारी अधिसूचित भूमि बेकार भूमि के रूप में पड़ी थी।

(ग) जी हां।

(घ) अभी इस अभिवेदन पर विचार किया जा रहा है। अभी तक अधिसूचित क्षेत्रों के अर्जन के लिये भी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि अधिसूचना के समय यह सारा क्षेत्र बेकार भूमि के रुप में पड़ा था। किन्तु यदि ऐसी बात है तो इन पर ये सब मकान कैसे बन गये और इस पर भू-कर कैसे लग गया है ? किस तिथि को यह अधिसूचना जारी की गई थी और किस तिथि को यह मकान आदि बने हैं ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : इस योजना का सुझाव पश्चिमी बंगाल के उपमंत्री ने जुलाई, १९५५ में दिया था जब कि वे वहां पर दौरे के लिये गये थे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सत्य है कि इस समय जिस क्षेत्र के अर्जन का विचार किया जा रहा है उस पर बहुत से मकान आदि हैं और उनमें अनेकों परिवार रह रहे हैं तथा इस क्षेत्र को इन सब बातों के बावजूद भी अर्जित किया जा रहा है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : हमें अभी हाल ही में वहां के कलक्टर से यह रिपोर्ट मिली है कि अब उस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आ गये हैं अतः अब उसका अर्जन न किया जाये।

† **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकती हूं कि भाग (घ) का क्या उत्तर दिया गया है ? क्या उत्तर यह है कि अभी अभिवेदन सरकार के विचाराधीन है, अथवा उस पर कोई विनिश्चय किया जा चुका है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : मुझे प्रश्न ठीक से नहीं समझ आया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या भाग (घ) का उत्तर जानना चाहती हैं। वह यह जानना चाहती हैं कि क्या उस अभिवेदन पर कुछ विनिश्चय हो चुका है अथवा सरकार अभी उस पर विचार ही कर रही है।

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : यह अभी विचाराधीन ही है।

इस्पात के कारखाने

*१७७६. { †**श्री सें० वें० रामस्वामी** :
श्री बाल्मीकी :
सरदार अकरपुरी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन इस्पात कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और उनमें उत्पादनकार्य किस तारीख से आरम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी): एक वक्तव्य सभा की मेज पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २२]

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या इनमें से किसी भी फैक्टरी के लिये विश्व-पर्यंत टेंडर मांगे गये हैं और यदि हां तो किसके लिये ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : जहां तक दुर्गापुर और भिलाई के कारखानों का सम्बन्ध है वे दोनों एक प्रकार का 'संवेषित बंधाबंधाया सौदा'[1] है। भिलाई के लिये रूस सरकार से करार किया गया था और दुर्गापुर के लिये ब्रिटेन की व्यापारिक संस्थाओं के एक समूह 'इस्कॉन' (आयरन एण्ड स्टील कान्सोरटियम) के साथ करार किया गया था। रूरकेला के कारखाने के लिये कुछ उपकरण टेंडरों द्वारा मंगाये गये थे। किन्तु बाद में हमें यह महसूस हुआ कि हमें ऐसे टेंडर भेजने वाले नहीं मिल सकते हैं जो कि उचित शर्तों पर हमारी शेष सब आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अतः इसे फिरसे बातचीत द्वारा तय किया जा रहा है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह कहा जाता है कि भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर के कारखाने क्रमशः रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के कारखानें ह। किन्तु क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इनमें केवल ब्रिटेन की मशीनरी ही लगायी जायेगी अथवा संसार के अन्य देशों की मशीनरी का प्रयोग भी किया जायेगा ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : दुर्गापुर के कारखाने में प्रयोग की जाने वाली मशीनरी का अधिकतर ब्रिटेन में ही निर्माण किया जायेगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्योंकि अब संसार भर में इस्पात के दाम बहुत बढ़ गये हैं अतः इन तीनों कारखानों के लिये जितनी लागत का अनुमान लगाया गया था अब उसमें कितना अन्तर आ गया है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : अभी इसकी जांच की जा रही है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अभी तक हम जितनी मशीनरी का आयात करते रहे हैं उसके लिये अनुमानतः कितना अधिक मूल्य दे चुके हैं ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : हमने दुर्गापुर अथवा रूरकेला के कारखानों के लिये अभी तक किसी मशीनरी का आयात नहीं किया है। भिलाई कारखाने की यह शर्तें हैं कि वह एक निश्चित कीमत पर लगाया जायेगा। अतः उसके लिये उस समय तक अधिक दाम देने का प्रश्न ही नहीं उठता है जब तक कि हम उन शर्तों में ही कुछ ऐसा परिवर्तन न करें जिससे कि हमें अधिक मूल्य देना पड़े।

†**श्री बंसल** : क्या यह सत्य है कि भिलाई कारखाने का कार्य निश्चित कार्यक्रम से अभी ६ महीने पीछे चल रहा है और रूरकेला का एक वर्ष पीछे ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदय इस सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि ये दोनों कारखाने निश्चित समय पर कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सभा-पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं। इससे उनको पता लग जायेगा कि हम यथासम्भव निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी म

[1]Package deal.

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : मुझे इस विवरण से यह ज्ञात हुआ कि कुछ खानों से कच्चा लोहा निकालने के लिये अमरीका की किसी फर्म को एक योजना बनाने के लिये कहा गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने किन कारणों से यह कार्य अमरीका की फर्म के सुपुर्द किया है जब कि हमारे देश में इस कार्य के लिये पर्याप्त प्रविधिक मेधावी व्यक्ति वर्तमान हैं ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य इस प्रकार प्रश्न पूछें कि उसका कोई विशिष्ट उत्तर दिया जा सके।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : श्रीमान्, विवरण में यह कहा गया है कि एक अमरीकी फर्म को इन परियोजनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया है जब कि इन तीनों में से कोई भी अमरीकी कारखाना नहीं है। यह क्या बात है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : जी हां। यह सत्य है कि हम लोहे तथा कोयले के संबंध में अन्य फर्मों से भी सहायता लेते हैं। किन्तु माननीय सदस्य ने इस समय जो प्रश्न उठाया है उसके संबंध में मैं अभी अपने आपको वाकबद्ध नहीं कर सकता हूं। उसके लिये मुझे पृथक् सूचना चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : परन्तु इसका पहले ही विवरण में उल्लेख किया जा चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण में चाहे कुछ भी दिया हुआ हो। हमारे सामने यह प्रश्न है कि इन तीन इस्पात कारखानों को लगाने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है और इनमें कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? दूसरे विषय कि अमुक फर्म को क्यों संविदा दिया गया है अथवा अमुक फर्म को क्यों नहीं दिया गया है आदि इस प्रश्न से सर्वथा भिन्न हैं। इसके लिये माननीय सदस्य पृथक् प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न इस प्रश्न में से नहीं उत्पन्न होते हैं चाहे संयोगवश उनका विवरण में उल्लेख भी कर दिया गया हो।

†**श्री क० कु० बसु** : जब कोई मंत्री यह विवरण देता है कि अमुक अमुक कार्य किये गये हैं तो निश्चय ही उसके पास उस संबंध में पर्याप्त तथ्य रहते हैं। अतः जब विवरण के संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है तो वह कैसे यह कह सकते हैं कि इसके लिये पृथक् सूचना दी जानी चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कदाचित माननीय सदस्य यह भूल गये हैं कि मुख्य प्रश्न इन कारखानों की प्रगति के संबंध में था। उसका उत्तर दिया जा चुका है। संयोगवश उसके साथ कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख कर दिया गया है। मैंने उसके संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने में आपत्ति नहीं की है। किन्तु जब माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि उक्त विषय विशेष के संबंध में उन्हें पृथक् सूचना चाहिये तो सभा को उस प्रश्न को वहीं समाप्त कर देना चाहिये।

†**श्री कृष्णमाचारी** : मैं इतना बता सकता हूं कि अमरीका की इस फर्म ने इन परियोजनाओं की जांच कर ली है और उस पर अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। वास्तविकता यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रश्न पूछने से रोकना नहीं चाहते हैं। किन्तु अगर माननीय सदस्य कोई बात अधिक विस्तार से जानना चाहते हो तो उसके लिये उन्हें पृथक् सूचना देनी चाहिये क्यों कि मैं प्रत्येक समय प्रत्येक प्रकार के ब्यौरे नहीं रख सकता हूं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति की खबर है जिसने लोहा और इस्पात के संबंध में विदेशी कारखानों में प्रशिक्षण पाया हो और जिसे भारत के कारखानों में नौकरी न मिल सकने के कारण अन्यत्र नौकरी करनी पड़ी हो ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य का जो आशय है, हो सकता है, वह सत्य हो। हम किसी भी योग्य व्यक्ति को लेने के लिये हमेशा तैयार हैं। इस संबंध में इन तीन कारखानों में थोड़ा सा

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रक्रिया का अन्तर है। हिन्दुस्तान स्टील फैक्टरी में बोर्ड अथवा प्रबन्ध निर्देशक द्वारा भर्ती की जाती है। इस्पात के अन्य दो कारखानों में, जो कि सीधे मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे हैं, संघ लोग सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैं समझता हूं कि हमने सभी ऐसे अभ्यार्थियों को ढूंढने का प्रयत्न किया है जिनका कि कुछ भी लाभ हो सकता था। हमने उनके इंटरव्यू के लिये बुलाने की कोशिश की है तथा उन्हें नौकरी देने का प्रत्येक प्रयत्न किया है।

व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) जांच समिति

*१७७७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ४ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार चिन्ह जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है और उस पर कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री काननगो) : (क) और (ख). जी नहीं, समिति का प्रतिवेदन अभी परीक्षण के अधीन है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसके संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा, और जो यह विलम्ब हो रहा है इसका क्या कारण है ?

श्री कानूनगो : विलम्ब की वजह यह है कि कमेटी की मैजारिटी (बहुसंख्या) और माइनारिटी (अल्पसंख्या) रिपोर्ट आयी। उसके बाद वह एक हाईकोर्ट के जज साहब को जांच करन के लिए दी गयीं। सब की अलग अलग राय थी। इसलिए इसकी जांच करने में जरूर देरी होगी।

रेल्वे पूल

\+

*१७७८. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के पुलों के लिये सरकार ने यूगोस्लाविया को ठेका दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर): (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन सार्वजनिक टेंडरों के आधार पर मेसर्स इंगरा यूगोस्लाव इन्डसट्रियल ऐंड कन्सट्रक्शन एक्सपोर्ट एसोसियेशन, नई देहली को ११६८ रुपये फी टन की दर से बीस सौ फुट प्लेट क्लियर स्पैन गर्डरों के लिये ठेका दिया गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी हिन्दुस्तानी फर्म ने भी इस काम के वास्ते एप्लीकेशन (अर्जी) दी है ?

निर्माण, आवास और संभरण तथा उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): किसी ऐसी हिन्दुस्तानी फर्म ने इस टेंडर के जवाब में एप्लीकेशन नहीं दी जो कि इसी वक्त के अन्दर अन्दर इस चीज को सप्लाई कर सकती।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह गर्डर तथा पुल भारत में नहीं बनाये जा सकते हैं, विशेषकर तब जब कि रेलवे सामग्री भी हमें विदेशों से लानी पड़ती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी हां। यह भारत में बनाये जा सकते थे परन्तु इनको बनाने के यंत्र अन्य कार्यों में लगे हुए हैं तथा इन वस्तुओं की आवश्यकता आर्डर देने के १२ मास के अन्दर ही थी। वर्तमान शक्ति काफी समय के लिये अन्य कामों के लिये निर्धारित है, इसलिये इनका आयात करना आवश्यक समझा गया।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इन वस्तुओं के भारत आने में एक वर्ष और नहीं लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर था "बारह महीनों में"।

†**श्री वेलायुधन** : श्रीमान् इसमें अधिक समय लगेगा। मैं जानना चाहता हूं कि भारत में इनके आने में कितना समय लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने निश्चित रूप से बताया है कि १२ मास में उनकी आवश्यकता है। मामला आगे बढ़ाने से क्या लाभ ?

†**श्री वेलायुधन** : मैं यह पूछ रहा हूं। भारत में ये वस्तुएं कितने समय में आ जायेंगी ?

गवेषणा कार्यक्रम समिति

†*१७८०. **श्री मादिया गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में गवेषणा कार्यक्रम समिति के लिए निश्चित ५० लाख रुपये में से विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को, गवेषणा कार्यों के लिये कितनी धन राशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं ने अपनी गवेषणा के परिणाम प्रस्तुत किये हैं ; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें गवेषणा योजना के लिये आवंटित समय समाप्त हो चुका है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के लिये ३५.४ लाख रुपये की धन राशि आवंटित की गई थी जिसमें से १९५५–५६ के अन्त तक २०.५ लाख रुपये दे दिये गये थे।

(ख) स्वीकृत ६५ गवेषणा योजनाओं में से, २४ योजनाओं के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

(ग) जिन ४१ योजनाओं पर अब काम हो रहा है, उनमें से २७ योजनाओं का कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त नहीं हुआ था। उन मामलों में समय वृद्धि की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है।

†**श्री मादिया गौडा** : विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं ने क्या मुख्य गवेषणायें की थीं तथा वे राष्ट्र के लिये कहां तक उपयोगी सिद्ध हुई हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जैसा कि मैंने बताया ६५ गवेषणा योजनायें स्वीकृत की गयी थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में उन योजनाओं के नाम हैं जिन पर गवेषणा की गई हैं।

†**श्री मादिया गौडा** : इस कार्य के लिये विशेष संस्थायें तथा विशेष विश्वविद्यालय ही क्यों चुने गये तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थायें क्यों नहीं चूनी गईं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जी नहीं। विशेष संस्थाओं तथा विशेष विश्वविद्यालयों के चुने जाने का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ संस्थाओं ने गवेषणा योजनायें प्रस्तुत कीं तथा गवेषणा कार्य-क्रम समिति ने उनको स्वीकार कर लिया।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यह गवेषणा सामान्य प्रकार की हैं अथवा प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय प्रकार की हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : ये सामान्यतः राष्ट्रीय विकास के लिये आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक, योजनाएं हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : कुछ विश्वविद्यालयों की कुछ योजनायें हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि ये विश्वविद्यालय किसी विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश से संबंधित प्रश्नों के संबंध में अध्ययन करते हैं अथवा वे अखिल भारतीय आधार पर उनका अध्ययन करते हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : कुछ मामलों में उन्होंने क्षेत्र विशेष की समस्याओं का अध्ययन किया है।

†**श्री मादिया गौडा** : इस गवेषणा समिति के कौन सदस्य हैं तथा क्या की गई गवेषणा का अधीकारण विश्वविद्यालय करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं नहीं। इसके लिये माननीय सदस्य को दूसरे अलग प्रश्न की सूचना देनी चाहिये।

†**श्री केलप्पन** : माननीय मंत्री के उत्तर में बतायी गयी 'अन्य संस्थायें' कौन सी हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : कुछ मामलों में केवल विश्वविद्यालयों ने ही योजनायें नहीं प्रस्तुत की थीं परन्तु कुछ अन्य संस्थाओं जैसे गोखले संस्था तथा अर्थ शास्त्र की संस्था, हैदराबाद ने भी प्रस्तुत की थीं।

उत्तर-पूर्व सीमांत अभिकरण

+

† *१७८१. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में समस्त उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में कितने मील मोटर तथा जाप चलाने योग्य सड़क बनाई गई ;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित लक्ष्य सरकार ने कितना पूरा कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारीका)** : (क) से (ग). प्रश्न के संबंध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है तथा एकत्रित की जा रही है। जैसे ही प्राप्त होगी यह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : नेफा में कितने मील मोटर चलाने योग्य सड़क बनाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी ऋतुओं में चलने योग्य २२९ मील सड़क तथा साफ ऋतु में चलने योग्य २२४ मील सड़क बनाने का हमारा प्राक्कलन था।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : निर्माण का प्राक्कलित व्यय क्या है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : प्रथम पंच वर्षीय में १०९ लाख रुपये प्राक्कलित व्यय था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि स्थानीय मजदूरों ने सड़क बनाने का अधिकांश काम किया है तथा स्थानीय मजदूरों को मजूरी नहीं दी गयी है और यदि हां, तो इस मजूरी को शीघ्र दिलाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : यह ठीक नहीं है। स्थानीय मजदूरों को मजूरी दी गई है। स्थानीय मजदूर देहातों के व्यक्ति हैं तथा ये श्रमिक सड़क बनाने के लिये स्वेच्छा से आते हैं।

†**श्री धूसिया** : स्वेच्छा से मजदूरों ने कितने मील सड़क बनाई है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

औषधियों का निर्माण

†*१७८२. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी दल के अतिरिक्त, किसी अन्य विदेशी विशेषज्ञों के दल ने हमारे देश में औषधि निर्माण की सामर्थ्य का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो दल द्वारा सरकार को भेजी गई सिफारिशों के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) रसायनों तथा रंगों के देसी निर्माण से देश में कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) औषधियों का वार्षिक आयात अनुमानतः १५ करोड़ रुपये, रंगों का १५ करोड़ रुपये तथा रसायन का २० करोड़ रुपये का होता है। यदि भारत में ये सब सामग्री बनने लगे तो सारी धन राशि बचाई जा सकती है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस्पात के तीनों कारखानों में उत्पादन प्रारम्भ होने से बड़ी मात्रा में तारकोल उपोत्पाद के रूप में उत्पादित होगा जो कि भारी रसायन के निर्माण के लिये मुख्य माध्यम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० म० शाह**: जी हां, सरकार को इसकी जानकारी है तथा वह इस्पात के कारखानों से निकले तारकोल का उपयोग करने के लिये सभी कार्य कर रही है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : यदि ऐसा है, तो क्या इस्पात उत्पादन प्रारम्भ होने के साथ साथ भारी रसायन तथा रंग बनाने का कार्य प्रारम्भ करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

†**श्री म० म० शाह** : वर्तमान योजना में इन चीजों का साथ साथ उत्पादन करना सम्मिलित नहीं है, वरन् वस्तुओं के मामले में यथासम्भव देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपेक्षा है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक औषधियों तथा रंगों में देश आत्मनिर्भर हो जायेगा। रसायनों के संबंध में हम लगभग आत्मनिभर हो जायेंगे तथा कुछ निर्यात भी करने लगेंगे।

†**श्री बंसल** : क्या सरकार उस दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखेगी ?

†**श्री म० म० शाह** : मैंने पहले एक अवसर पर सभा में बताया था कि कितने ही कारणों से प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रतिवेदन उच्च प्रविधिक प्रकार का है। इस देश का एक दल और आगे विचार के लिये रूस गया है। इस समय मामला यहीं है।

†**श्री बंसल** : प्रतिवेदन को सभा-पटल पर न रखने का कारण यह बताया गया है कि यह उच्च प्रविधिक प्रकार का है। मैं इस कारण को समझ नहीं सका।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है। जब तक हमको इस संबंध में कुछ और जानकारी नहीं मिल जायेगी कि क्या किया जा सकता है तथा हमारी नीति क्या है, सभा-पटल पर इस प्रतिवेदन को रखना ठीक नहीं होगा।

कृषि कार्यक्रम

† *१७८३. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से मसूरी संकल्प के परिणामानुसार राष्ट्रीय विस्तार, सामुदायिक विकास, तथा सिंचाई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए नवीन कृषि कार्यक्रम बनाने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों की योजनायें प्राप्त हो गयी हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, राज्य सरकारों से अपने कृषि कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने की प्रार्थना की गई है। खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग तथा मसूरी सम्मेलन ने कई सुझाव दिये हैं। इन सुझावों के आधार पर राज्य सरकारें, खाद्य और कृषि मंत्रालय, तथा योजना आयोग को ब्योरेवार प्रस्ताव भेज रही हैं। प्रत्येक राज्य के साथ अलग अलग अब इन पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री संगण्णा** : क्या राज्य सरकारों से, थापर शिष्ट मंडल के कुछ दिन पूर्व के सुझावों पर भी विचार करने के लिये कहा गया है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : थापर शिष्टमंडल जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तब यह राज्य सरकारों की जानकारी के लिये उनके पास, जितना संगत होगा भेज दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : राज्य सरकारों द्वारा मसूरी सम्मेलन में यह दृष्टिकोण व्यक्त करने की दृष्टि में, कि वित्तीय आवंटन बढ़ाये बिना कृषि उत्पादन को ४० प्रतिशत बढ़ाने का पुनरीक्षित लक्ष्य पूरा करना संभव नहीं होगा, तथा इस बात की दृष्टि में कि प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था, क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्या अन्य विशेष कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? क्या मैं जान सकती हूं कि यह लक्ष्य पूरा होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : संभव है माननीय सदस्या मेरे उन गोपनीय पत्रों की ओर निर्देश कर रही हैं जो मैंने समय समय पर मुख्य मंत्रियों को लिखे थे । मैं नहीं जानता कि उन्हें मेरे गोपनीय पत्रों की जानकारी किस प्रकार हुई ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मुझे खेद है, पत्रों का उल्लेख समाचारपत्रों में किया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो भी हो, उनमें कुछ ज्यादा गोपनीयता नहीं है । मूलत: योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि अगली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य ४० प्रतिशत रखा जाये । उन्होंने ४० प्रतिक्षत निश्चित नहीं किया था परन्तु उन्होंने कहा था कि इसका ध्यान रखा जाये । मसूरी सम्मेलन में कितने ही कृषि मंत्रियों ने विचार प्रकट किया कि ये आंकड़े विभिन्न कार्यों के लिये अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुए बिना पूरे नहीं किये जा सकते । इसलिये, मैंने उन पत्रों को लिखा जिस में कहा गया था कि पहले तो उनको और अधिक धन नहीं मिलेगा तथा दूसरे उनको यह आंकड़े पूरे करने पड़ेंगे । योजना आयोग ने और आगे बताया कि आवंटित धन राशि में से कुछ घटा बढ़ा कर हमें और धन मिल सकता है तथा संभव है कि सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का लक्ष्य बढ़ा सकें । मुझे इसमें संदेह नहीं है कि ऐसा करने से यह आंकड़े पूरे नहीं किये जा सकेंगे तथा अब हमारा विचार सामुदायिक परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं तथा खाद्य उत्पादन योजनाओं में समन्वय स्थापित करने का है । पहली योजना में भी बिना किसी अधिक प्रयास के सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन २५ प्रतिशत बढ़ गया है । यदि ऐसा था तो कुछ अधिक प्रयत्नों से, मुझे आशा है कि ३० अथवा ३५ प्रतिशत हो जायेगा । हो सकता है कि ४० प्रतिशत अधिक हो, परन्तु ३० अथवा ३५ प्रतिशत निश्चित रूप से हो जायेगा ।

हमारा विचार घनी खेती कराने का है न कि नये क्षेत्रों में इसको बढ़ाने का । थोड़ी सी घनी खेती से अच्छे परिणाम हो सकते हैं । भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रति एकड़ अधिक उत्पादन हो सकता है । ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कम उत्पादन होता है । अधिक उत्पादन तभी संभव है जब अच्छा बीज हो, घनी खेती हो, अच्छी खाद हो । खाद महत्वपूर्ण अंग है परन्तु उर्वरकों पर आधारित रहने की प्रवृत्ति हो गई है । यह मनोवृत्ति खतरनाक है क्योंकि इससे देश में उपयोग में लाई जाने वाली अन्य खाद की ओर ध्यान नहीं किया जाता है । मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि सामुदायिक परियोजना, योजनाओं तथा राज्य के कृषि विभागों में सहयोग हो तो प्रति एकड़ पर्याप्त उत्पादन बढ़ सकता है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री के लम्बे वक्तव्य के बाद क्या यह आवश्यक है कि और प्रश्न किये जायें ?

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

† *१७८५. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १३ जुलाई, १९५६ को जब त्रिपुरा के पुनर्वास विभाग के सचिव तथा निदशक चुताखिलबालटाली गये थे तो क्या उस समय उन्हें कोई अभ्यावेदन दिया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन में क्या क्या मांग की गयी थी ; और

(ग) उस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २३**]

†**श्री दशरथ देव** : विवरण में यह लिखा हुआ है :

"शिबिरों से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नकद अकर्म-वेतनों की अदायगी ; शिबिरों से बाहिर रहने वाले व्यक्तियों को नकद अकर्म-वेतन नहीं दिये जायेंगे।"

मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : प्रमाण-पत्र जारी कर देने के बाद यह आवश्यक है कि उन लोगों को ऋण न दिये जायें जिन के पास प्रमाण-पत्र नहीं हैं और शिबिरों में नहीं रह रहे हैं।

†**श्री दशरथ देव** : विवरण में यह लिखा हुआ है :

"कि दोबारा ऋण देते समय कठिनाइयों वाले प्रत्येक मामले पर उनके गुणावगुण की दृष्टि से विचार किया जायेगा।"

क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के मामलों का विशेष रूप कैसा है और किस आधार पर उनका निर्णय किया जायेगा ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर विस्तारपूर्वक विचार करने के बाद विशेष प्रयोजनों से एक बार तो ऋण दे दिये गये हैं। यदि दुबारा भी ऋण मांगने पर दे दिये गये तो उससे मांगने की आदत पक्की हो जायेगी। इसलिये जब तक उस राज्य के प्राधिकारियों को यह पूरा पूरा विश्वास न हो जाय कि ऋण की आवश्यकता अनिवार्य है, तब तक दुबारा ऋण देना अच्छी प्रथा नहीं समझी जाती है।

†**श्री दशरथ देव** : अभी तक त्रिपुरा के कितने मामलों में दुबारा ऋण देने की मंजूरी दी गयी है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : मेरे पास इस समय इस बारे में जानकारी नहीं है।

†**श्री दशरथ देव** : इस विवरण में यह लिखा हुआ है कि :

"राज्य सरकार प्रत्येक मामले पर उसकी अपनी अपनी स्थिति की दृष्टि से विचार कर रही है। उन मामलों को अब जल्दी से निबटाया जा रहा है।"

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मामलों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि से लेकर उनके निबटाये जाने की तिथि तक के बीच की कोई प्राक्कलित कालावधि निर्धारित की गयी है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : मैं नहीं जानता कि वे किस मामले का उल्लेख कर रहे हैं। सभा-पटल पर जो विवरण रखा गया है उस में लगभग आठ बातों का उल्लेख है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दशरथ देव** : यह देखा गया है कि त्रिपुरा राज्य में दुबारा ऋणों के लिये प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र कई वर्षों से निलम्बित पड़े हुए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन प्रार्थना पत्रों को निबटाने के संबंध में कोई प्राक्कलित कालावधि निर्धारित की गयी है ?

†**श्री ज० कृ० भोंसले** : शरणार्थियों को ऋण देने के संबंध में कोई निश्चित तथा कठोर नियम निर्धारित करना बड़ा कठिन है। जहां भी सम्भव है राज्य सरकारों ने एक व्यवस्था बनायी हुई है जो कि इन प्रश्नों पर अच्छी प्रकार से विचार करती है और सामान्यतया तीन से पांच मास की अवधि के अन्दर अन्दर ऋण दे दिये जाते हैं।

चाय के लिये गोदाम

†*१७८६. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में चाय के गोदाम किस किस समवाय अथवा व्यक्ति को आवंटित किये गये हैं ;

(ख) क्या गोदामों के पट्टे के लिये किसी भारतीय समवाय अथवा व्यक्ति ने पत्तन आयुक्तों को प्रार्थना-पत्र भेजा था ;

(ग) क्या वह प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २४**]

(ख) से (घ). कई भारतीय सार्थों ने प्रार्थना-पत्र भेजे हैं; उनमें से कुछेक को गोदामों के स्थान आवंटित कर दिये गये हैं।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि मैनन समिति ने यह कहा है कि आर्थिक शक्ति और गोदामों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण से भेदभाव पूर्ण व्यवहार होने लग पड़ता है ?

†**श्री कानूनगो** : इस विशेष प्रकरण के संबंध में तो मैं निश्चित नहीं हूं। परन्तु मैनन समिति ने सरकारी गोदामों के संबंध में विशेष रूप से और अन्य गोदामों के संबंध में सामान्य रूप से कई सिफारिशें की हैं। उन पर विचार हो रहा है।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि गोदामों के पट्टे के लिये भारतीयों ने प्रार्थना-पत्र भेजे थे, परन्तु उन्हें कलकत्ता क्षेत्र में पट्टे नहीं दिये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जहां तक विशेष गोदामों का संबंध है, मुझे उनके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों को, जो कि वर्तमान गोदामों के पट्टे भारतीय समवायों को देना चाहते हैं, नोटिस दिये जा रहे हैं ताकि यदि वे भारतीय समवायों को पट्टे दें तो उनसे वे पट्टे वापिस ले लिये जायें ?

†**श्री कानूनगो** : पत्तन-आयुक्तों के नियमों के अधीन किसी भी पट्टेदार को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह अपने पट्टे को आगे फिर से पट्टे पर दे दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्लाईडर तथा हेलीकापटर विमान

†*१७८८. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कलकत्ता कि एक सार्थ को ग्लाईडर तैयार करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) क्या उस सार्थ ने हेलीकापटरों तथा रेडियो द्वारा नियंत्रित जहाजों के निर्माण की भी अनुमति मांगी है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां । उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन, मई १९५६ में मैसर्ज एयरोनॉटिक्ल सर्विसेज लिमिटेड, कलकत्ता को ग्लाईडर तैयार करने का एक लाईसेन्स दिया गया है ।

(ख) उस सार्थ ने हेलीकापटरों और रेडियो द्वारा लक्ष्य नियंत्रित विमानों के निर्माण की भी अनुमति मांगी है । औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प के अनुसार विमान निर्माण का उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण सरकार का है, सिवाय ऐसे मामलों के जहां राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सरकार गैर-सरकारी समवायों से भी सहायता लेनी आवश्यक समझे । इसलिये उस सार्थ को हेलीकापटर और रेडियो द्वारा नियंत्रित लक्ष्य विमानों के निर्माण के लिये कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है । उस सार्थ से कुछ पुनर्वतित प्रस्थापनाएं प्राप्त हुई हैं, और उन पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या इस सार्थ को विमान निर्माण का कोई वास्तविक ठेका मिला भी है, और यदि हां, तो वह क्या लक्ष्य है ?

†**श्री म० म० शाह** : प्रति वर्ष ३६ ग्लाईडर ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या स्वयं भारत में ही सरकारी क्षेत्र में हेलीकापटर तैयार करने की कोई सरकारी योजना है ?

†**श्री म० म० शाह** : इस मामले पर समय समय पर विचार किया गया है । देश में इसकी आवश्यकता इतनी कम है कि इसका यहीं पर निर्माण करना संभव अथवा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं समझा गया है । परन्तु उस मामले पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में शीघ्र ही कोई निर्णय कर दिया जायेगा ।

†**श्री गि० श० सिंह** : क्या 'ग्लाईडर' का रूपांकन इस सार्थ ने ही निर्धारित किया है अथवा इसे लायसेन्स देते समय तय कर लिया गया था, और यदि हां, तो वे किस प्रकार के ग्लाइडर तैयार करेंगे यह रूप किस देश से लिया गया है ?

†**श्री म० म० शाह** : ग्लाईडर का रूपांकन उड्डयन विभाग के महा निदेशक तथा प्रति-रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था और सार्थ ने उसे स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : यदि सरकार देश में मांग के कम होने के कारण 'हेली-कापटरों' के निर्माण में स्वयं रुचि नहीं लेती तो क्या वह एक गैर-सरकारी सार्थ को लायसेन्स देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

†**श्री म० म० शाह** : जी, हां । माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर मेरे उत्त के बाद वाले भाग में निहित है । मैंने कहा है :

"उस सार्थ से कुछ पुनर्वर्तित प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार हो रहा है ।" इनका संबंध 'रोटेरी विंग' विमानों अर्थात् हेलीकापटरों से है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औषधियों तथा सम्बद्ध उद्योगों संबंधी भारतीय प्रतिनिधि मंडल

†*१७८९. **श्री वोडयार :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों में औषधियों तथा सम्बद्ध उद्योगों का अध्ययन करने के लिये उन देशों को एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) सरकार ने देश में आवश्यक औषधियों तथा भैषजों के निर्माण को बढाने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २५**]

†**श्री वोडयार** : क्या यह प्रतिनिधि मंडल इस उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत करेगा ?

†**श्री कानूनगो** : यह प्रतिनिधि मंडल, निश्चय ही एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, और इस उद्योग के संबंध में एक योजना बनाते समय अन्य प्रतिवेदन के साथ ही साथ इस प्रतिवेदन पर भी विचार किया जायेगा।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार को ज्ञात है कि कर्नल सोखे ने, जिन्होंने रूस का विस्तृत दौरा किया था, वहां के भेषज उद्योग के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, और क्या उस प्रतिवेदन पर उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय ने विचार किया है, और क्या यह भी सच है कि मुख्य औद्योगिक परामर्शदाता अपने मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा दिये गये टिप्पणों से संतुष्ट नहीं थे और वे इस विशेष सर्वेक्षण प्रतिवेदन के संबंध में एक विपरीत प्रतिवेदन चाहते थे ?

†**श्री कानूनगो** : इस संबंध में कई लोगों से, जिनमें कर्नल सोखिये भी सम्मिलित हैं, कई प्रस्थापनायें आई हैं। एक प्रतिनिधि मंडल को रूस से आमंत्रित किया गया था और इस मंडल ने कई प्रस्थापनायें प्रस्तुत की थीं। अब यह प्रतिनिधि मंडल रूस में इसलिये भेजा जा रहा है कि वह उन प्रस्थापनाओं का अध्ययन करे तथा जांच करे और इस बात का पता लगाये कि उन प्रस्थापनाओं को कहां तक पूर्णतः लागू किया जा सकेगा और कहां कहां पर परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

सिंगारन कोयला खान

†*१७९०. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मैसर्ज विलियर लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा संचालित सिंगारन कोयला खान को बन्द कर देने की धमकी दी जा रही है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : 'मैसर्ज विलियरज़ लिमिटेड' से अनौपचारिक पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ है कि कोयला खान बन्द कर देने का उनका कोई विचार नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या यह कोयले की खान अगस्त के सारे मास में बन्द नहीं रही थी ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : जी, हां। एक बार पानी भर जाने के कारण यह खान लगभग दो मास तक बन्द रही थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सारी खान के पानी से भर जाने का कारण यह था कि बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था क्योंकि कम्पनी के बिल के पैसे अदा नहीं किये गये थे ?

†**श्री रा० गि० दुबे :** हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या कोयला नियंत्रक अथवा कोयला उत्पादन तथा विकास आयुक्त के पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे जब भी कोयला की खानों में निक्षेपों की समाप्ति के अतिरिक्त अन्य कारणों से उत्पादन की कमी हो जाये तो उन खानों का निरीक्षण किया जा सके ?

†**श्री रा० गि० दुबे :** यह विशेष कोयला खान कोई कोक-कोयला उत्पादित करने वाली खान नहीं है। कोक-उत्पादन करने वाली खानों के संबंध में तो कार्यवाही करने के बारें में कोयल-खान (परिक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम में कई उपबन्ध हैं। कोक के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के कोयले का उत्पादन करने वाली खानों के बारे में कार्यवाही करने में हम समर्थ नहीं हैं। तो भी खानें कई मामलों में कोयला बोर्ड के पास शिकायतें करती हैं। यह मामला बोर्ड के विचाराधीन है और कोई कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या इन कोयला खानों के कर्मचारियों को इस बहाने से नोटिस दे दिये गये हैं कि अब वहां कोई काम नहीं है ?

†**श्री रा० गि० दुबे :** इसके विपरीत हमें पूछताछ से यह प्रतीत हुआ है कि यद्यपि उन्हें हानि हो रही है तो भी वे कर्मचारियों की संख्या को कम नहीं कर रहे हैं।

बर्मा में अपहरित भारतीय इंजीनियर

+

† *१७९१. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री गिडवानी :
सरदार अकरपुरी :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार के अधीन काम कर रहे कुछ भारतीय इंजीनियर बर्मा के राजद्रोहियों द्वारा अपहरित कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन इंजीनियरों के छोड़ दिये जाने के संबंध में कोई सूचना मिली है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां।

(ख) जहां तक भारत सरकार को ज्ञात हुआ है, तीन अपहरित भारतीयों के मित्र तथा संबंधी ५,००० कपात (रुपया) देकर मुक्त करने का प्रबन्ध करा रहे हैं।

†**श्री गिडवानी :** क्या इस राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे राशि के देने की व्यवस्था कर रहे हैं।

†**श्री गिडवानी :** निष्क्रय राशि कौन देगा क्या बर्मा की सरकार देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : उक्त व्यक्ति बर्मा सरकार द्वारा बर्मा रेलवे में नियुक्त थे। विभाजन के समय उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता रखना ही ठीक समझा। इसलिये वे अब भी भारतीय नागरिक हैं। वे उस क्षेत्र का दैनिक निरीक्षण कर रहे थे जहां कभी कभी विद्रोही आते थे और वे उन विद्रोहियों द्वारा पकड़ लिये गये। उनके पास शस्त्र नहीं थे और उन्होंनें उनसे युद्ध नहीं किया उन्हें पकड़ ले जाया गया और रख लिया गया। बर्मा सरकार ने तत्काल कार्यवाही की और कुछ सैनिक वहां भेजे। लेकिन वे व्यक्ति वहां से ले जाये जा चुके थे। वे अभी विद्रोहियों के हाथों में हैं। हमारी जानकारी यह है कि विद्रोहियों ने निष्क्रय राशि मांगी है। एक व्यक्ति के लिये ३,००० हजार रुपये अन्य दोनों के लिये प्रत्येक के लिये १,००० रुपये। कुल ५,००० रुपये मांगे। बर्मा सरकार तो नहीं लेकिन उन तीन व्यक्तियों के मित्र तथा सम्बन्धी इसके भुगतान के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री गिडवानी** : बर्मा की सरकार यह निष्क्रय राशि क्यों नहीं देती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : इस मामले का निश्चय वे ही कर सकते हैं। सरकार सामान्यतः शत्रुओं को निष्क्रय राशि नहीं देती है। वह उनके विरुद्ध लड़ती है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्योंकि वे कार्य पर थे अतः जिस विभाग में वे काम करते थे सम्बन्धियों-के स्थानपर उस विभाग से निष्क्रय राशि देने को क्यों न कहा जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बर्मा की सरकार स्वतंत्र सरकार है। उनके आन्तरिक मामलों में हम उन्हें सलाह नहीं दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटेल नगर के मकान

†*१७७९. **श्री टेक चन्द** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी पटेल नगर नई दिल्ली के दो कमरे वाले मकानों के लागत मूल्य का अन्तिम रूप से निश्चय हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक मकान का क्या मूल्य है ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो दक्षिणी पटेलनगर के मकानों में रहने वाली विधवाओं और गरीब शरणार्थियों के प्रतिकर दावों से १४०४ रुपया क्यों वसूल किया जा रहा है; और

(घ) क्या यह सच है कि दक्षिण पटेल नगर में मकान लाटरी डाल कर दिये गये थे और किसी को अपनी इच्छानुसार मकान नहीं लेने दिया गया ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अनुमानित मूल्य के आधार पर वसूली की जा रही है। यदि कुछ अधिक राशि वसूल होगी तो उसे वास्तविक मूल्य के अन्तिम रूप से निश्चय होने पर वापस कर दिया जायेगा।

(घ) जी हां।

बुनकरों को रक्षित बैंक द्वारा दिया गया ऋण

†*१७८४. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनकरों को तीन प्रतिशत ब्याज पर सहकारी बैंकों द्वारा रक्षित बैंक से ऋण देने की कोई योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह ऋण सहकारी समिति के सदस्य बुनकरों को ही दिया जायेगा अथवा अन्य जुलाहों को भी मिलेगा ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). रक्षित बैंक से सहकारी सीमा के अन्दर सहकारी बैंकों द्वारा ३ प्रतिशत के रियायती दर से जुलाहों को ऋण देने की एक योजना विचाराधीन है। और इसका निश्चय निकट भविष्य में कर लिया जायेगा।

राजस्थान में बाढ़ से हानि

†*१७८७. **श्री ज० रा० मेहता** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुई भारी वर्षा के कारण राजस्थान में कितने बांधों को क्षति पंहुची अथवा बह गये ;

(ख) उनमें तथा उनके नाम से प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने बांधों का निर्माण हो चुका है अथवा हो रहा है ;

(ग) अनुमानतः कितनी क्षति अथवा हानि हुई है;

(घ) त्रुटिपूर्ण निर्माण के कारण कितनी हानि हुई; और

(ङ) सरकार त्रुटिपूर्ण निर्माण के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २६**]

मोटर गाड़ियां

†*१७९२. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कारों, ट्रकों, बसों और मोटरगाड़ी के टायरों का वर्तमान सूचि-मूल्य क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि कुछ किस्म के मोटर गाड़ियों के टायर सूचि-मूल्य में उपलब्ध नहीं हैं और वे चोर बाजार की कीमत पर बिकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कुछ लोकप्रिय नाम के टायरों का मूल्य दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या २७**]

(ख) सरकार को टायर बेचने वालों के द्वारा कुछ नाम के टायरों की ज्यादा कीमत लेने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उस प्रकार के टायरों की कमी ही उनके ऊंचे मूल्य के लिये उत्तरदायी है ।

(ग) स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिये कमी वाले किस्म के टायरों का पर्याप्त निर्यात करनें की अनुमति दे दी गयी है ।

चाय बोर्ड

†*१७९३. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड द्वारा १९५५ में और १९५६ में जून के अन्त तक कितनी बैठकें की गयीं ;

(ख) सरकार द्वारा कौन से मुख्य मुख्य निर्णय किये गये और क्या सिफारिशें की गयी हैं ;

(ग) क्या निर्णयों की एक प्रति सभा-पटल पर भी रखी जायेगी ; और

(घ) सरकार द्वारा उनमें से किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ६ ।

(ख) से (घ). लोक-सभा के पटल-पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २८**] ।

औद्योगिक सहकारी संस्थाएं

†*१७९४. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने औद्योगिक सहकारी संस्थायें बनाने को प्रोत्साहन देने वाली कोई योजना वित्तीय सहायता के लिये प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गयी ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११ अनुबंध संख्या २९**]

यूरेनियम

*१७९५. **श्री ह० रा० नथानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के भीलवाडा जिले में यूरेनियम के निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसे निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) तथा (ख). वर्ष १९५१–५२ के दौरान में राजस्थान के भीलवाडा जिले में समरस्काईट जो कि एक यूरेनियम अयस्क है, के कुछ जखीरों पर काम किया गया और उनमें से निकली हुई अयस्क को सरकार ने खरीद लिया। यह जखीरे छोटे थे अतः जल्द ही खतम हो गये। इस इलाके से अन्य जखीरों के पाये जाने की कोई सूचना नहीं मिली।

जूट मिलों के करघों को मुहर बंद करना

†*१७९६. **श्री बंसल** :
श्री तुषार चटर्जी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई १९४९ से जूट मिलों के १२½ प्रतिशत करघे मुहर बन्द रहे ;

(ख) क्या १२½ प्रतिशत करघों को ९ जनवरी १९५६ को खोला गया अन्य ५ प्रतिशत को २० फरवरी को खोला गया और अब केवल ५ प्रतिशत अनुपयोगी है ;

(ग) क्या जूट मिलों नें १६ जुलाई १९५६ से २½ प्रतिशत करघों को पुनः मुहर बन्द कर दिया है ;

(घ) क्या मिलों ने १७ सितम्बर १९५६ से ५ प्रतिशत अधिक करघों को बन्द करने का निश्चय किया है ; और

(ङ) उत्पाद को घटाने की इस प्रवृत्ति के लिये क्या कारण है तथा क्या इस मामले में सरकार से परामर्श लिया गया था।

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क), (ग) और (घ). जी हां।

(ख) उत्तर हां में है परन्तु ९ जनवरी १९५६ को २½ प्रतिशत करघे खोले गये थे तथा १२ प्रतिशत नहीं।

(ङ) भारतीय जूट मिल संघ ने अपने कर्घों को पुनः मुहर बंद करने का निर्णय जनवरी—जून १९५६ में जूट के माल के उत्पादन वृद्धि के कारण किन्तु निर्यात में उसी अनुपात में वृद्धि न होनें और फलस्वरूप सामान जमा हो जाने और जूट के माल की कीमत घाटे के स्तर तक गिर जाने के कारण किया। सरकार से इस मामले में परामर्शा लिया गया था।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

†*१७९७. **बाबू राम नारायण सिंह** :
श्री अस्थाना :

क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नयी दिल्ली के द्वारा प्रदर्शनालय खोलत समय मेज, कुर्सी इत्यादिमें कितना व्यय किया गया था।

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)**: मेज कुर्सियों और अन्य स्थायी सजावट के सामान के लिये ५९,१७६ रुपये व्यय किय गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी उपक्रमों को सरकारी ऋण

†*१७९९. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ गैर-सरकारी उपक्रमों के लिये २$\frac{1}{2}$ या ३ करोड़ रुपये ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण किन उपक्रमों के लिये मंजूर किया गया है ;

(ग) ऋण किस प्रयोजन के लिये मंजूर किया गया है और उसकी शर्तें क्या हैं ;

(घ) क्या किसी अन्य उपक्रम ने भी इसी प्रकार के ऋण के लिये आवेदन किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). जी हां । सरकार ने अतुल प्रोडक्टस लिमिटेड, बुलसर के लिये तीन करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है जब कि उद्योग वित्त निगम ने "मैसर्स फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर लिमिटेड अलावाये" के लिये २·०६ करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है ।

(ग) दोनों मामलों में उक्त फर्मों को अपने विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के लिये यह ऋण दिया गया है । ऋण समझौते की मुख्य शर्तों सम्बन्धी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ३०]**

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक्टरी थर्मामिटर

†*१८००. **श्री० सै० वें० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक्टरी थर्मामिटरों के निर्माण के लिये स्वदेशी उद्योग की क्षमता कितनी है ;

(ख) जनवरी से जून १९५६ तक का आयात कोटा कितना था ; और

(ग) क्या स्वदेशी निर्माण की दृष्टि से यह कोटा अधिक है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) प्रतिमास १,२५० दर्जन ।

(ख) प्रतिष्ठापित आयातकर्ताओं के लिये जनवरी से जुलाई तक आयात करने का कोटा सामान्य देशों के लिये १०० प्रतिशत और सुलभ मुद्रा वाले देशों के लिये १०० प्रतिशत कर दिया गया है ।

(ग) स्वदेशी उत्पादन को दृष्टि में रख कर कोटे को घटा कर ८० प्रतिशत मृदु कर दिया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र में बाहरी मंगोलिया की प्रविष्टि

†*१८०१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने बाहरी मंगोलिया को यह आश्वासन दिया है कि भारत आगामी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी प्रविष्टी के बारे में दावे का समर्थन करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: संयुक्त राष्ट्र संघ में नये सदस्यों की प्रविष्टि के प्रश्न पर भारत सरकार की नीति सर्व विदित है। महासभा के पिछले सत्र में १६ नये सदस्यों की प्रविष्टि का स्वागत करते हुए भारत सरकार ने यह आशा व्यक्त की थी कि जापान तथा बाहरी मंगोलिया उस संघ के शीघ्र ही सदस्य बना लिये जायेंगे।

मिथानोल संयंत्र

†*१८०२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून १९५६ में दो रूसवासियों का एक दल देश के मिथानोल संयंत्र द्वारा उत्पादन करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी विशेषज्ञ सलाह कहां तक सफल रही ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** : (क) जी हां।

(ख) रूसी विशेषज्ञों ने यह सूचित किया कि देश में उपलब्ध संयंत्र लगभग अच्छी अवस्था में हैं तथा मरम्मत के पश्चात उसे सिन्द्री में मिथानोल और अमोनिया ने निर्माण के लिये प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। उनका प्रतिवेदन विचाराधीन है।

लोक लेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन

†*१८०३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लोक लेखा समिति के सोलहवें प्रतिवदन अंक १ की प्रारम्भिक कंडिका की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें समिति को जानकारी देने की प्रार्थना के सम्बन्ध में अत्याधिक विलम्ब के विरुद्ध शिकायत की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायत को दूर करने के लिये क्या किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादल अली खां)** : (क) जी हां।

(ख) मंत्रालयों और विभागों को जारी किये गये अनुदेशों की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी गयी है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३१**]

पटेल नगर के मकान

†*१८०४. **श्री टेक चन्द** : क्या **पुनर्वास** मंत्री ५ सितम्बर १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी पटेल नगर नयी दिल्ली के तीन कमरें वाले मकानों के मालिकों को १,१९२ रुपये (जमा किये गये ७,००० और अन्तिम मूल्य ५,८०८ रुपयों का अन्तर) ५ सितम्बर १९५५ के पूर्व वापस कर दिये गये जब कि जैसा कि ५ सितम्बर १९५५ को कहा गया था वास्तविक मूल्य का अन्तिम रूप से निश्चय नहीं हुआ था।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक मकान के मालिक को जिसे २३ अप्रैल १९५३ के पहिले मकान दिया गया था उसे मकान का वास्तविक मूल्य देना होगा अथवा उसे अन्य मकान मालिकों के दिये गये मकानों पर किये गये खर्च का भी एक अंश देना होगा ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) पूर्वी पटेलनगर के तीन कमरे वाले मकानों के सम्बन्ध में १,१२९ रुपये अर्थात मूल जमा ७,००० रुपये और वास्तविक लागत ५,८७१ रुपये का अन्तर लौटा दिया गया था ।

(ख) मूल जमा मांगते समय लागत ७,००० रुपये लगायी गयी थी । तत्पश्चात वास्तविक मूल्य कम आया ।

(ग) जी हां, प्रत्येक मकान मालिक को एक विशेष संख्या में बनाये गये तथा एक ही ठेके के अन्दर और एक प्रकार के मकानों के लिये उनका वास्तविक मूल्य देना होता है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात समकारी निधि

†***१८०५. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात समकारी निधि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है ;

(ख) क्या विस्तार कार्य के लिये प्रमुख देशीय उत्पादकों को भी कोई रकम दी जाती है और

(ग) यदि हां, तो १९५५-५६ में उत्पादकों को कितनी रकम दी गयी है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) समकारी निधि मुख्यत: इन कामों के लिये उपयोग की जाती है :—

(१) विदेश से मंगवाये गये कच्चे लोहे और इस्पात के लिये वित्तीय सहायता देना,

(२) पुर्नवेल्लनों की संविहित विक्रय दामो पर बेचने के समर्थ बनाने के लिये संविहित विक्रय दाम से अधिक उनके प्रतिधारण मूल्य के आधिक्य की अदायगी,

(३) लोहे और इस्पात के भाड़े को सम बनाना ताकि उसे सभी रेल पथ सीमाओं पर समरूपी दामों पर बेचा जा सके,

(४) मुख्य उत्पादकों को उनकी स्वीकृत विस्तार योजनाओं के लिये देय अग्रिम धन देना,

(५) लोहा और इस्पात नियन्त्रण संगठन के मूल्य त ा लेखा विभाग परिव्यय को पूरा करना

(ख) जी हां ।

(ग) ऋण रूप में ६,१६,८३,४८० रुपये पेशगी दिये गये ।

बिहार में उद्योग

†***१८०६. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार की सिफारिश पर उत्तर बिहार में कुछ बड़े तथा छोटे निर्माण कारी उद्योग प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया गया है और इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के जिन प्रश्नों पर विचार किया गया था उनका स्वरूप क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) तथा (ख) बिहार राज्य सरकार नें अपनी योजना के प्रारुप में "बड़े पैमाने के उद्योग" शीर्ष के अधीन, उत्तर बिहार में एक सीमेन्ट का कारखाना और कताई का एक सहकारी कारखाना स्थापित करने के लिये एक सामान्य प्रस्ताव रखा था। योजना आयोग में उद्योगों के लिये कार्यवहनगुट की एक बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है। सीमेन्ट के कारखाने के लिये राज्य योजना में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है और उत्तर बिहार में कारखाने के लिये उपयुक्त स्थान मिलने पर स्थिति पुनरीक्षित की जायगी। कताई के एक सहकारी कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में हाल ही में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और वह अखिल भारतीय हथकरधा बोर्ड के विचाराधीन है।

राज्य सरकार ने ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये भी, ११·४० करोड रुपये के अस्थायी बटवारे के भीतर कई योजनाएं प्रस्तुत की थी परन्तु योजनायें कहां कार्यान्वित की जायेंगी, उन "स्थानों" के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया है। अखिल भारतीय खादी, हथकरघा तथा दस्तकारी बोर्ड की सिफारिशों को विचाराधीन रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बंटन की राशि पुनरावर्तित की जा रही है।

चाय निर्यात अनुज्ञप्तियां

†*१८०७. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग के किसी खंड ने सरकार से १९५५–५६ विशेष निर्यात अनुज्ञप्ति की मान्यता की ३१ अगस्त, १९५६ तक अवधि बढ़ाने के लिये कहा है ;

(ख) क्या केवल ३० जून, १९५६ तक मान्यता की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो किस के अनुरोध पर ऐसा किया गया था ; और

(घ) क्या अवधि में इस कमी से उद्योग को २० से ३० लाख रुपये तक की हानि हुई है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) सरकार ने सभी तत्सम्बन्धी तथ्यों की जांच करने के बाद यह निर्णय किया था कि विशेष निर्यात अनुज्ञप्तियों की अवधि केवल ३० जून, १९५६ तक बढ़ानी चाहिये।

(घ) जी नहीं।

इस्पात प्राविधिकों का प्रशिक्षण

†*१८०८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री २६, अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं की गवेषणा तथा परिगणन करने और उचित प्रकार तथा गुण के प्रशिक्षण का संगठन करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये जिस प्राविधिक समिति को नियुक्त किया गया था उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गयी थी कि उन पांच कालिजों में, जहां धातु विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, अपने प्रशिक्षार्थियों के लिये विशेष धातु विज्ञान सम्बन्धी पाठचर्चा के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये गये हैं।

श्रम मंत्रालय द्वारा चलायें जाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों में अगले तीन वर्षों में कुल मिला कर लगभग १०,००० शिल्पी शिक्षार्थियों को १८ महीनें का बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिये प्रबन्ध किये

---

†मूल अंग्रेजी में

गये हैं। बुनियादी प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद १९५७, १९५८ और १९५९ में काम पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाओं के सम्बन्ध में देश में इस्पात कर्मशालाओं तथा अन्य इंजीनियरी सम्बन्धी कर्मशालाओं के साथ बातचीत की जा रही है।

सरकारी युद्ध सामग्री कारखानों और अन्य परियोजनाओं से, जहां कहीं आधिक्य होगा, अनुभवी प्रवीण श्रमिकों की पर्याप्त संख्या भी ली जायेगी।

दामोदर घाटी निगम

†*१८०९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम परियोजनाओं की कार्य आवश्यकताओं सम्बन्धी कोई निर्धारण कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३२]**

भारत-बर्मा व्यापार करार

†*१८१०. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २४ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१ के भारत-बर्मा व्यापार करार के नवीकरण के सम्बन्ध में हाल ही में कोई समझौता वार्ता प्रारम्भ की गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) समझौता वार्ता अभी हो रही है।

सिंदरी उर्वरक कारखाना

†*१८११. **श्री वोडयार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने में दैनिक दर पर कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मंजूरी १ सितम्बर, १९५४ से भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ा दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कारखाने के कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ; और

(ग) इस वृद्धि का अन्य ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां ;

(ख) लगभग ३,५०० ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ३३**]

भूमिहीन खेतिहर मजदूर

†*१८१२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई नयी योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों को बसाने के विषय पर मई, १९५५ में खाद्य और कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से लिखापढ़ी की थी और उनसे इस सम्बन्ध में उपयुक्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के लिये कहा था । उन्होंने यह भी कहा था कि इस प्रकार की योजनाओं के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता भी प्राप्त हो सकेगी । द्वितीय योजना में राज्यों द्वारा ५.०५ करोड़ रुपये और केन्द्र द्वारा०. ४९ करोड़ रुपये, कुल ५.५४ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । योजना के अधीन भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के लिये चौदह राज्य सरकारों की योजनायें हैं । इन्हें अब खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा विशायित किया जायेगा ।

कैनेडा के भारतीय आप्रवासी

†*१८१३. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री वोडयार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कैनेडा सरकार से, भारत से अधिक आप्रवासियों को अनुमति देने के उनके प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : जी नहीं ।

दिल्ली में शरणार्थी बस्तियां

†*१८१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ और १९ अगस्त, १९५६ को शनिवार और रविवार के दिन दिल्ली के कई भागों में मुसलाधार वर्षा के कारण तैहाड़, मालवीय नगर, कालकाजी और कोटला की शरणार्थी बस्तियों को हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हानि का प्राक्कलन मालूम किया गया है ;

(ग) किस प्रकार की सहायता की गयी है ;

(घ) अब तक कितनी सहायता की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नही होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिकों का मण्डल

†१३३०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंमी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में, विश्वविद्यालयों में और अन्य संस्थाओं में गवेषणा के कार्यक्रमों में समन्वय के सम्बन्ध में योजना आयोग की सहायता करने के लिये वैज्ञानिकों का जो मण्डल नियुक्त किया गया था क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) जी नहीं । अभी वैज्ञानिकों के मण्डल की बैठक नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता है ।

निर्यात संवर्धन परिषदें

†१३३१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संवर्धन परिषदों में से प्रत्येक ने अपने काय में अब तक कितनी प्रगति की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा अब तक निम्न कार्य किया गया है :—

सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद —

(१) बर्मा, मलाया, इन्डोनेशिया, आस्ट्रेलया, न्यूज़ीलैंड, कैनेडा, वैस्ट इन्डीस, नार्वे स्वीडन, ईराक, ईरान, अफ़गानिस्तान और फारस की खाड़ी की मंडियों में विपणि गवेषणा का कार्य किया;

(२) बर्मा, थाईलैंड, मलाया, इन्डोनेशिया और लंका को एक व्यापार-प्रतिनिधि मण्डल भेजा ;

(३) बग़दाद, सिंगापुर, अदन, बर्मा लागोस और मोम्बासा में कार्यालय खोले ;

(४) दिल्ली की भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी में तथा पाकिस्तान, अक्कारा, लागोस, और लीपज़िग में हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया;

(५) भारतीय राजदूतावासों में संधृत प्रदर्शन-कोष्ठों में भारतीय वस्त्रों का प्रदर्शन किया ;

(६) दो विवरणिकायें प्रकाशित कर रही हैं—एक भारतीय निर्मताओं और निर्यतकों के लिये और एक विदेशी आयातकों की जानकारी के लिये ;

(७) भारतीय निर्यतकों और विदेशों आयतकों के बीच एक सौ से अधिक वाणिज्यिक विवादों की जांच की और निबटारा किया ;

(८) भारत में विदेशी कपड़े के नमूनों को प्रदर्शित किया ताकि भारतीय मिलों और निर्तातकों का ध्यान इस बात की और आकर्षित किया जा सके कि विदेश में किस प्रकार के कपड़े को अधिमान दिया जाता है;

(९) भारतीय कपड़े के सम्बन्ध में एक हस्त-पुस्तक तैयार की और उसे विदेशी आयातकों में बांटा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१०) विदेशी खरीदारों को सूती कपड़े से सम्बन्धित नौ भरण पूर्व निरीक्षण योजना से सूचित करने के लिये कार्यवाहियां की ; और

(११) मिलों और निर्यातकों के बीच उपयोग के लिये एक प्रमाप संविदा उद्धिकसित की।

रेशमी तथा रेयन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद—

(१) कैनेडा, अमेरिका, लंका, पाकिस्तान, अदन, बर्मा, इन्डोनेशिया, मस्कात, ईराक, बौन, तेहरान, मनीला, काबुल और सिंगापुर से विपणि-प्रतिवेदन प्राप्त किय और उन्हें भारत में औद्योगिक व्यवसायों को परिचलित किया;

(२) उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न सांख्यिकीय तथा अन्य सामग्री एकत्रित की जा रही है और विदेशों में वाणिज्य-मंडलों और आयातकों को प्रसारित की जा रही है ;

(३) रेशमी तथा रेयोन कपड़े के विदेशों में लोकप्रिय नमूने एकत्रित किये गये और भारत में उद्योग को बांटे गये;

(४) भारतीय रेशम तथा नक़ली रेशम के वस्त्रों के नमूनों को भावी विदेशी आयातकों में बांटा गया;

(५) विदेशी आयातकों की शिकायतों की जांच करने और निबटारा करने के लिये एक स्थायी समिति नियुक्त की;

(६) एक विवरणिका प्रकाशित की जा रही है जिसमें रेशमी तथा रेयोन कपड़े के भारतीय निर्माताओं और निर्यातकों के हित की जानकारी दी जाती है ; और

(७) अक्करा और लागोस की भारतीय प्रदर्शनियों में अपने रेशमी तथा रेयोन माल का प्रदर्शन किया ।

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद—

(१) बर्मा, सिंगापुर, पाकिस्तान, पूर्वी अफ्रीका, लंका, ईरान, अदन, बंगकाक और पेंकिंग से विपणि प्रतिवेदन प्राप्त किये और बांटे ;

(२) बैंगलोर में हाल ही में हुए एशिया तथा सुदुरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के सत्र में विदेशी प्रतिनिधियों को प्लास्टिक की भारतीय वस्तुओं के नमने द्वारा प्रचार किया ।

(३) निर्यात सम्बन्धी मामलों के बारे में व्यापार तथा उद्योग की सूचना के लिये बुलेटिन प्रकाशित कर रही है।

इंजीनियरींग निर्यात वृद्धि परिषद—

(१) बर्मा में मंडियों को खोजने के लिये एक प्रतिनिधि मंडल बर्मा भेजा;

(२) विदेशी टेंडरों आदि के बारे में निरन्तर जानकारी प्राप्त कर रही है और उद्योग के सदस्यों में परिचालित कर रही है;

(३) मिस्त्र, सुदान और ब्रिटिश पूर्वी अफरीका में सर्वक्षक नियुक्त किये हैं । इन देशों में जीनियरिंग उत्पादों की मांग का निर्धारण करने के लिये बाजारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(४) ब्रिटिश पूर्वी अफरीका मिश्र, ईरान, इराक, बर्मा, थाईलेंड, मलाया और इंडोनेशिया की उपयुक्त पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के लिये कार्यवाही की है ।

काजू तथा काली मिर्च निर्यात संवर्धन परिषद—

(१) निर्यात की वस्तुओं को विभिन्न विदेशी मंडियों में भेजने के प्रयोजन से विदेशों में ऐसी मंडियों की खोज सम्बन्धी सभावनाओं का विदेश स्थित सरकारी व्यापार प्रतिनिधियों के सहयोग से पता लगाने के प्रयत्न किये हैं ;

(२) लिप ज़िग अन्तर्राष्ट्रीय मेला तथा अकरा और लागोस में भारतीय व्यापार प्रदर्शनी में काजू और काली मिर्च का प्रदर्शन किया । फ्रैंकफर्ट, जगरेब और प्राग्वें में प्रदर्शनियों में भी भाग ले रही है ;

(३) प्राग्वे, टोक्यो, मनीला, पैरिस, लंदन और ब्रसेल्स में भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा मुफ्त बांटे जानें के लिये नमूने भेजे;

(४) उद्योग के सदस्यों में विदेशों में बाजार स्थिति सम्बन्धी सामायिक प्रतिवेदन परिचालित किये जा रहे हैं ;

(५) निर्यात की जाने वाली काली मिर्चों को भरने के लिये "पोलीथीन" के बोरों के प्रयोग किये जाने को प्रोत्साहन दे रही है ताकि मिर्चों के आपस में जुड़कर बड़ी बड़ी डालियां बनने की सम्भावना न्यनतम हो जाये ;

(६) काजू के भारतीय निर्यात कर्ताओं के बीच विदेशी आयात कर्ताओं की शिकायतों का फैसला करने का प्रयत्न किया है;

(७) निम्न देशों में काजू और काली मिर्च के लिये नयी मंडियों को ढुंढने के लिये काजू और काली मिर्च व्यापार सम्बन्धी लोगों का एक शिष्ट मंडल भेजा :—

(क) पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी
(ख) तुर्की
(ग) हालेंड
(घ) स्वीटजरलैंड
(ड़) यूगोस्लेविया
(च) चैकोसिलोवाकिया
(छ) फ्रांस
(ज) इटली; और
(झ) आस्ट्रिया

तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद—

(१) लिपज़िग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तथा लाओस और अकरा में भारतीय प्रदर्शनी में नमूनों का प्रदर्शन किया । प्राग्वे, जगेरब और फ्रैंकफर्ट में प्रदर्शनी में भी भाग ले रहें है;

(२) विदेशों में हमारे भारतीय राजदूतावासों में बने प्रदर्शन कक्षों में रखे जाने और पहली वस्तुओं को स्थानापन्न करने के लिए निरन्तर नमूने भेजे जा रहें हैं;

(३) सुदान, मिश्र, पश्चिमी अफरीका, पूर्वी अफरीका और अदन को एक बीड़ी तम्बाकू शिष्ट मंडल भेजा । थोड़ी मात्रा के लिये जांच क्रयादेश प्राप्त हुए थे तथा माल भेज दिया गया ह । भावी आयातकर्तोओं ने जिस तम्बाकू के क्रयादेश दिये हैं, उसका नमूना भेज दिया गया है ;

(४) चीन के क्रयादेश को पूरा करने में सहायता देने की दष्टि से, बन्दरगाहों तक तम्बाकू पहुंचाने के लिये प्राथमिकता के आधार पर रेल-परिवहन की व्यवस्था की;

(५) उच्च श्रेणी के तम्बाकू के लिये मंडियों का पता लगाने की दष्टि से चैकोसिलोवाकिया और रूस के नमूने भेजे ; और

(६) तम्बाकू को पुनः सुखाने के लिये कोयला का कोटा प्राप्त करने में सहायता की ।

विकास आयुक्तों का सम्मेलन

†१३३२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विकास आयुक्तों के सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या रहे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) वे कार्यान्वित की जा रही हैं ।

विदेशों में भारतीय

†१३३३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में देशवार कितने भारतीय अप्रवास विधियों के अन्तर्गत रोके जा रहे हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : (क) तथा (ख). पूछी गयी जानकारी उपलब्ध नहीं है । संसार के सारे देशों से यह जानकारी एकत्रित करने में बहुत समय और परिश्रम की आवश्यकता होगी । बहुत से देशों में भारत के प्रतिनिधि नहीं हैं । प्राप्य जानकारी के अनुसार आप्रवास विधियों के अन्तर्गत रोके जाने वाले भारतीय लोगों की संख्या अधिक नहीं है । यदि माननीय सदस्य किसी एक या अधिक देशों-विशेषों के नाम लें, तो उन देशों से पूछतांछ की जायेगी ।

नये कारखाने और मिलें

†१३३४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में (राज्यवार) कौन कौन नये कारखाने और मिलें स्थापित हुई ।

(ख) उन कारखानों और मिलों के नाम जिनके लिये सरकार ने लाईसेंस दे दिये हैं परन्तु कारखाने और मिलें जो अभी तक स्थापित नहीं हुई हैं ; और

(ग) विलम्ब होने के क्या कारण है तथा लाईसेंस-धारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) से (ग). क्यों कि पूछी गयी जानकारी मंत्रालय में नहीं रखी जाती, इसलिये उसका बताना सम्भव नहीं है । फिर भी, यदि माननीय सदस्य विशिष्ट उद्योग या उद्योगों के बारे में जानकारी मांगें, तो वह दे दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बर चरखा शिक्षक

†१३३५. **श्री भीखा भाई** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बर चरखा शिक्षा का प्रशिक्षण लेने के लिये न्यूनतम आर्हता मैट्रिक रखी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यूनतम शिक्षा-आर्हता में छूट देने का है ; और

(ग) क्या सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) हां श्रीमान्, केवल नये लिये जाने वाले लोगों के लिए । जिन अनुभवी खादी कार्यकर्ताओं को मान्यता प्राप्त संस्थाओं ने भेजा हो उन पर ऐसी कोई शर्त नही लगायी जाती ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर में जो कहा गया है, उससे अधिक और कोई छूट देने का विचार नहीं है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

अनुमोदित ठेकेदार

†१३३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जुलाई, १९५६ के काल में कितने कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के साथ अनुमोदित ठेकेदारों के रूप में रजिस्टर हुए हैं ; और

(ख) अनुमोदित ठेकेदारों के रूप में सूची में कुल कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १८ ।

(ख) ११ ।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

†१३३७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री उन प्रारम्भिक केन्द्रों की सफलतायें बताने की कृपा करेंगे जो अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन मासों में स्थापित किये थे ।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३४**]

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

†१३३८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; और

(ख) इस काम के लिये कुल कितना धन व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन मंत्री (क० च० रेड्डी)** : (क) १९५५-५६ में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने निम्न पुस्तकें प्रकाशित की :

(१) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (नवम्बर '५२—नवम्बर '५४)।

(२) दस्तकारी-उत्पाद विपणन संबंधी प्रतिवेदन।

(३) दस्तकारियों की कहानी (अंग्रेजी और हिन्दी)।

(४) भारत की दस्तकारियां (सूची)।

(५) भारत में धातु के काम (फोल्डर)।

(६) हाथीदांत तथा कलड़ी पर खुदाई का काम (फोल्डर)।

(ख) इन पुस्तकों पर ७३,६३५ रु० व्यय हुए हैं।

'युनीवाल्टाइन' रेशम के कीड़ों के केन्द्र

†१३३९. **श्री हेम राज** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कहां कहां "युनीवाल्टाइन" रेशम के कीड़ों के केन्द्रों के मुलबीज स्टेशन खोलने की सिफारिश की है ; और

(ख) इस के लिये अन्तिम रूप में कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). केन्द्रीय नसल बीज स्टेशन के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के प्रश्न केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विचाराधीन है।

पंजाब की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†१३४०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने योजना आयोग को जो योजना प्रस्तुत की थी उसमें उसने कितने का प्राक्कलन किया था ;

(ख) कुल कितना धन देने का विचार है ; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितना धन दिया गया और राज्य ने कितने धन का प्रयोग किया ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २७० करोड़ रुपये की लागत का प्राक्कलन किया गया हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य की जो योजना सम्मिलित की गई है, अनुमान लगाया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि उस पर लगभग १२६ करोड़ रुपये लागत आयेगी। प्रथम पंच वर्षीय काल में, केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अतिरिक्त राज्य योजना पर कुल ३१.७ करोड़ रुपये निम्न रूप में व्यय हुए :

	राज्य योजना
	(करोड़ रुपये)
१९५१–५२ (वास्तविक)	२.७
१९५२–५३ (वास्तविक)	३.२
१९५३–५४ (वास्तविक)	७.३
१९५४–५५ (वास्तविक)	८.६
१९५५–५६ (संशोधित)	९.९
	३१.७

झूटे प्रतिकर दावे

†१३४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस आन्तर्राज्यिक दल के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो कई करोड़ रुपयो के झूटे दावे दिल्ली में निष्क्राम्य सम्पत्ति के भावी ग्राहकों को बेच रहा था ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : जिन मामलों का पता लगा है, वे जांच पड़ताल के लिये गृह-कार्य मंत्रालय में विशेष पुलिस विभाग तथा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को सौंप दिये गये हैं।

दिल्ली में प्रदर्शनी स्थान

†१३४२. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २१ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग मेला के स्थान को स्थायी रूप से प्रदर्शनी स्थान बनाने का अन्तिम विनिश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा के बारे में अभी अन्तिम विनिश्चय नहीं हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में

तम्बाकू

†१३४३. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से किन किन देशों को तम्बाकू का–वर्जीनिया तम्बाकू के अतिरिक्त–निर्यात किया जाता है ;

(ख) १९५३, १९५४ और १९५५ में ऐसा कितना और कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या ऐसे तम्बाकू के अधिक निर्यात की और कोई गुंजाइश है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा की ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जिन देशों को भारत से वर्जीनिया तम्बाकू के अतिरिक्त तम्बाकू का निर्यात होता है उनमें मुख्य देश निम्न है : लंका, मिस्र, जापान, अदन और पराधीन देश मलाया, कीनिया, सिंगापुर, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फ्रांसीसी, बैषुवत, अफरीका, माल्टा और गोजो ।

(ख) वर्जीनिया तथा अन्य किस्म के तम्बाकू के आंकड़े अलग अलग नहीं रखे जाते फिर भी, एक विवरण जिस में हमारे वर्जीनिया किस्म के अतिरिक्त अन्य किस्म के तम्बाकू के निर्यात का प्राक्कलन दिया है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(ग) और (घ). भारत के गर्मी द्वारा न सुखाये गये वर्जीनिया तम्बाकू के हमारे निर्यात में और वृद्धि होने की बहुत कम सम्भावना है।

सुराबया में वाणिज्य दूतावास

†१३४४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सुराबया (इन्डोनेशिया) में वाणिज्य दूतावास खोला गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां । यह ९ मार्च, १९५६ को खोला गया था।

दर अथवा चलाने के ठेके

†१३४५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दर अथवा चलाने के ठेकों की प्रणाली से सरकार अथवा संभरण करने वाला सार्थों को क्या लाभ हुये हैं ; और

(ख) उन सार्थों के नाम क्या हैं जिन से इस प्रकार के करार किये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी के दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये अनुक्रमणिका संख्या एस०–४१८/५६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी प्रेसों में छपाई

†१३४६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी प्रेसों के नाम क्या हैं जिनको १९५५–५६ में सरकारी कार्य अवण्टित[1] किये गये थे ; और

(ख) क्या इनके लिये टेण्डर मांगे जाते हैं अथवा काम आपसी बात-चीत द्वारा ही दे दिया जाता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) इन नामों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(ख) दोनों तरीकों से। जब कमी काम ऐसे अविलम्बनीय प्रकार का होता है जिसमें टेण्डर मांगने का समय नहीं होता, अथवा काम की मात्रा बहुत थोड़ी होती ह या टेण्डर में दिया गया मूल्य अनुसूची में दर्ज मूल्य से अधिक होता ह तब काम अनुसूचित दरों पर पंजीयन द्वारा दे दिया जाता है। अन्य मामलों में काम टेण्डरों के आधार पर दिया जाता है।

नेपाल को सहायता

†१३४७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार से कुछ प्राध्यापकों[2] को नेपाल भेजने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनों को और किस विषय के लिये ; और

(ग) उनको क्या पारिश्रमिक, आदि दिया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : (क) जी हां, यह सच है।

(ख) नेपाल सरकार के अनुरोध पर हमने नेपाल को सहायता के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राध्यापक और १५ लेक्चरर देना स्वीकार कर लिया है।

विषयों के अनुसार उनकी संख्या इस प्रकार है :

अंग्रेजी	२ प्राध्यापक, ४ लेक्चरर
भौतिक शास्त्र[3]	२ लेक्चरर
वनस्पति शास्त्र[4]	८ लेक्चरर
वाणिज्य[5]	१ लेक्चरर

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Allotted.
2. Professors.
3. Physics.
4. Botany.
5. Commerce.

(ग) उनके पारिश्रमिक इस प्रकार होंगे :

प्राध्यापकों के लिये—

(१) ८००–५०–१२५० का वेतनक्रम।

(२) प्रतिकर-भता[1]: १६५ रुपये (यदि वेतन के अनुसार भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव के बराबर हो), अथवा १५० रुपये (यदि वेतन के अनुसार द्वितीय सचिव के बराबर हो)।

(३) शीतकालीन भत्ता ; जिस प्रकार नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है उसी प्रकार शीतकाल के पांच महीनों के लिये।

लेक्चररों के लिये : —

(१) २५०–२०–३५०–२५–५०० के वेतनक्रम में।

(२) प्रतिकर भत्ता २१० रुपये (यदि विवाहित हो) और १६० रुपये (यदि अकेले हो)।

(३) शीतकालीन भत्ता जिस प्रकार नेपाल-स्थित भारतीय दूतावास के अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है उसी प्रकार शीतकाल के पांच महीनों के लिये।

गोआ

†१३४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात का पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोस्टारिका के स्थायी प्रतिनिधि रेवरेंड बेंजमिन नूनेज ने ९ जुलाई, १९५६ को बम्बई में कहा था कि गोआ के प्रश्न पर भारत और पुर्तगाल की सरकारों के बीच समझौता कराने के लिये अपने सत्प्रभाव का प्रयोग करने में लैटिन अमरीकी देशों को प्रसन्नता ही होगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस प्रस्ताव का उपयोग करेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ में कोस्टारिका के स्थायी प्रतिनिधि रेवरेंड बेंजमिन नुनेज ने ९ जुलाई, १९५६ को बम्बई में जो वक्तव्य दिया था, कोस्टारिका अथवा किसी अन्य लैटिन अमरीकी देश की ओर से गोआ के प्रश्न पर समझौता करा देने के बारे में प्रस्ताव के रूप में नहीं था। इस लिये, उस प्रकार के प्रस्ताव का उपयोग करने का तो प्रश्न की नहीं उठता।

पुनर्वास मंत्रालय

†१३४९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के पदाधिकारियों द्वारा जालसाज़ी और ग़बन के फलस्वरूप पिछले पांच वर्षों में सरकार को जो हानि हुई है, क्या अब तक उस का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) उसको वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Compensatory Allowanc.

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)**: (क) पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय में पदाधिकारियों द्वारा जालसाज़ी अथवा ग़बन की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

छोटे पैमाने के उद्योग

†१३५०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों की कुछ खरीद की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के नाम क्या हैं और उनका मूल्य कितना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा उपभोग वस्तू उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) ३१–३–५६ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय[1] और उसके प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा छोटे उद्योगों के उत्पादों के लिये दिये गये ठेकों के मूल्य का विवरण नीचे दिया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११ अनुबंध संख्या ३७**] इस विवरण में कुटीर उद्योग क्षेत्र के उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है।

नागार्जुन सागर परियोजना

†१३५१. **श्री च० रा० चौधरी :**
श्री श० व० ल० नरसिंहम :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना में कितने श्रमिकों को लगाया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : बांध के स्थान पर लगभग ६,०००।

पश्चिमी बंगाल में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें

†१३५२. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री उन सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिनको पश्चिमी बंगाल में द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में केंन्द्र की सहायता से पूरा किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११ अनुबंध संख्या ३८**]

अवैतनिक गजेटेड पदाधिकारी

†१३५३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उनके मंत्रालय में कितने व्यक्ति १ रुपये प्रतिमास का प्रतीक वेतन ले कर या लिये बिना किन किन स्थानों पर अवैतनिक रूप से गजेटेड पदाधिकारियो के पद पर कार्य कर रहें हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]. Directorate General of Supplies and disposals.

(ख) उनके क्या अधिकार है और उनको क्या क्या काम करने पड़ते हैं ; और

(ग) उनकी नियुक्तियां कौन करता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा उपभोग वस्तू उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ३९**]

रेशम की छीजन

†**१३५४. श्री मादिया गौडा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में रेशम की कितनी छीजन बाहर भेजी गई ;

(ख) काते हुये रेशम से कपड़ा बनाने वाली मिलों में १९५४ और १९५५ में कितनी छीजन काम में लाई गई और १९५६ के लिये कितनी छीजन की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ग) यदि कुछ छीजन बाकी पड़ी हो, तो उसे किस तरह निबटाया जायेगा ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जून, १९५६ के अन्त तक ३०७,४३९ पौंड छीजन बाहर भेजी गई।

(ख) स्पन सिल्क मिल्स, लिमिटेड, चन्नापटना में १९५४ में ३५९,३७० पौंड छीजन की और १९५५ में ३३७,३७० पौंड छीजन की खपत हुई। १९५६ में मिलों में लगभग ६,४५,४०० पौंड छीजन की खपत हो जाने का अनुमान है।

(ग) काते हुये रेशम से कपड़ा बनाने वाले मिलों की और साथ ही देश के हाथ की कताई के उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो छीजन बच जाती है, उसकी मात्रा का समय समय पर हिसाब लगा कर उसे बाहर भेज दिया जाता है।

आसाम में नाइट्रो-चाक उर्वरक संयंत्र

†**१३५५. श्री देबेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार के आसाम में नाइट्रो-चाक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई निर्णय हुआ है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां।

(ख) देश में उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने के वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार आसाम में उर्वरक का कोई कारखाना स्थापित नहीं कर सकेगी।

दिल्ली में राज्यों के मकानों का अर्जन

†**१३५६. श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धोलपुर हाउस, उदयपुर हाउस, जयपुर हाउस, कोटा हाउस और बीकानेर हाऊस के बारे में संघ सरकार और राजस्थान राज्य सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). संघ सरकार और राजस्थान सरकार के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, किन्तु आपस में जो शर्तें तय हो गई है, वे ये हैं :

(१) भारत सरकार ने राजस्थान सरकार की जिन इमारतों को अपने प्राधिकार में ले लिया है, उन पर प्रतिवर्ष जो किराया लगाया जायेगा वह उन इमारतों के पुस्त-मूल्य के ७$\frac{1}{2}$ प्रतिशत के हिसाब से होगा ।

(२) जमीन का किराया और मकान कर राजस्थान सरकार द्वारा दिया जायेगा।

(३) इमारतों की देखभाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जायेगी और इस काम के लिये राजस्थान सरकार को प्रति वर्ष दिये जाने वाले किराये में से एक महीने का किराया काट लिया जायेगा।

(४) भारत सरकार बिजली और पानी के खर्चे देगी।

(५) इमारतों की खास-खास मरम्मत का खर्चा राजस्थान सरकार से लिया जायेगा।

(६) इमारत में जो भी परिवर्तन किये जायेंगे अथवा इमारत के अहाते में जो भी नया निर्माण होगा उसके लिये राजस्थान सरकार से राय ली जायेगी और उसकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड

†**१३५७. श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड सतलज के दाहिने किनारे पर कुछ और जनित्र लगाना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है और इस पर लगभग कितना खर्चा होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) यह प्रस्थापना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि दाहिने किनारे पर कितने जनित्र लगाये जायें। जितने जनित्र लगाये जायेंगे, उतना ही खर्चा होगा।

नेपाल जाने वाले भारतीयों के लिये वीसा (दृष्टांक)

१३५८. श्री विभुति मिश्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल की सरकार ने एक आदेश निकाला है कि नेपाल आने के इच्छुक भारतीयों को वीसा (दृष्टांक) ले कर आना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका वास्तविक ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) जी, नहीं। यह सच नहीं है।

(ख) इसका सवाल नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाहन फ्राउन्ड्री लिमिटेड

†१३५९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में ऐसे कितने मामलों की खबर मिली है जिनमें नाहन फाउन्ड्री के व्यापार चिन्ह का अतिक्रमण किया गया ; और

(ख) इसको रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में भारतीय प्रदर्शनियां

१३६०. **श्री खू० चं० सोधिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) इस वर्ष में अब तक विदेशों में कितनी भारतीय प्रदर्शनियां की गयीं और इस वर्ष के अन्त तक कितनी और प्रदर्शनियां करने का विचार है ;

(ख) इन में से प्रत्येक प्रदर्शनी कहां कहां हुई और कहां कहां होने वाली है, कितने समय तक हुई और कितने समय तक होंगी और उन पर कितना व्यय किया गया और कितना व्यय किया जाने वाला है ; और

(ग) इन प्रदर्शनियों से वापस लाई गई वस्तुयें किस काम में लाई जाती हैं और उन्हें कहां रखा जाता है ?

निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). एक वक्तव्य सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) प्रदर्शनियों में दिखायी जाने वाली वस्तुएं व्यापारियों तथा भारत सरकार के विभागों दोनों से ही प्राप्त की जाती हैं। व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली वस्तुएं तो उनकी हिदायतों के अनुसार हस्तान्तरित कर दी जाती हैं और सरकारी विभागों द्वारा भेजी गयी वस्तुएं या तो बेच दी जाती हैं या किन्हीं अन्य प्रदर्शनियां को भेज दी जाती हैं, अथवा हमारे दूतावास उन्हें व्यापारिक प्रदर्शन कक्षों में स्थायी प्रदर्शन के लिये ले लेते हैं।

छोटे उद्योगों का राष्ट्रीय निगम

†१३६१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष छोटे उद्योगों के राष्ट्रीय निगम ने कौन-कौन से मुख्य काम किये ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४१]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

केंद्रीय नमक बोर्ड

†१३६२. **श्री हेम राज** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५५ से जून, १९५६ तक केन्द्रीय नमक बोर्ड की कितनी बैठकें हुई ;

(ख) उनमें मुख्य-मुख्य क्या निर्णय किये गये और सरकार से क्या-क्या सिफारिशें की गईं;

(ग) क्या सभा-पटल पर उन निर्णयों की एक प्रति रखी जायेगी ; और

(घ) सरकार ने उनमें से कौन-कौन सी सिफारिशें मान ली हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जनवरी, १९५५ से जून, १९५६ की अवधि में केन्द्रीय नमक बोर्ड की एक बैठक २१ मार्च, १९५६ को हुई थी।

(ख) से (घ). मांगी गई जानकारी के ब्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४२**]

रेशम बोर्ड

†१३६३. **श्री हेम राज** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५५ से जून, १९५६ तक रेशम बोर्ड की कितनी बैठकें हुई ;

(ख) उसने मुख्य-मुख्य क्या निर्णय किये और सरकार को क्या क्या सिफारिशें भेजीं; और

(ग) उनमें से किन किन को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) तीन सामान्य बैठकें हुईं और स्थायी समिति की ६ बैठकें हुईं।

(ख) (१) कच्चे रेशम के आयात की खपत का क्षेत्र निर्धारित करना।

(२) मालदा पश्चिमी बंगाल में १०० बेसिन फिलेचर वाले कारखाने की स्थापना करना।

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निधि नियत करना।

(४) अखिल भारतीय प्रशिक्षण संस्था की स्थापना करना।

(५) विदेशों में पाये जाने वाले रेशम के कीड़े पालने के केन्द्रीय स्टेशन की स्थापना करना।

(६) उत्तर में काते हुये रेशम के धागे से कपड़ा तैयार करने वाली मिलों की स्थापना करना।

(७) पश्चिमी बंगाल में कच्चे रेशम के बाजार को स्थायी बनाना।

(ग) ऊपर (१) और (२) में बताई गई सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। मद (६) के बारे में बोर्ड की ब्योरे वार प्रस्थापनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है। रेशम बोर्ड ने अन्य प्रस्थापनायें हाल ही में भेजी हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने

†१३६४. **श्री वोडयार** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार दो ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कारखाने की उत्पादन-क्षमता क्या है और प्रत्येक पर कितना खर्चा होगा तथा ये कारखाने कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) भारत सरकार का दो ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

साबुन

†१३६५ **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २० अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से किन किन देशों को साबुन भेजा जाता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जिन खास-खास देशों को भारत से साबुन भेजा जाता है उनके नाम इस प्रकार है : अदन, अफगानिस्तान, बर्मा, लंका, केन्या, पाकिस्तान, सिंगापुर टैंगानिका, जंजीबार मॉरीशस, मलाया, कुवैत और थाइलैण्ड संघ।

पटसन उद्योग

†१३६६. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर इस आशय का एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५६ में, प्रत्येक मास के अन्त में, टाट और बोरे की पृथक पृथक कितनी मात्रा थी;

(ख) १९५६ में प्रत्येक मास के अन्त में कच्चे पटसन, टाट और बोरे की कीमतें क्या-क्या थीं;

(ग) १९५६ में प्रतिमास, निर्यात की स्थिति कैसी रही ; और

(घ) देश में पटसन की चीजों की कितनी खपत हुई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

†१३६७. { **बाबू राम नारायण सिंह :**
श्री अस्थाना :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यालय खोलते समय बिजली लगवाने में खादी-ग्रामोद्योग भवन ने कितना खर्च किया ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस काम के लिये अलग-अलग ठेकेदारों से अलग-अलग दरें नहीं मांगी गईं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) ८,७२२ रुपये।

(ख) नहीं श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	१७४७–६९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७६९	औद्योगिक बस्तियां	१७४७–४८
१७७०	पाकिस्तान जानेवाले हिन्दू तथा सिख यात्री . .	१७४९–५०
१७७१	कलकत्ता में विस्थापित छात्रों के लिये कालेज . .	१६५०–५१
१७७२	चश्में के शीशे तैयार करने का कारखाना . .	१७५१
१७७३	कोयला खदान	१७५२–५३
१७७४	हज यात्री . .	१७५३–५४
१७७५	२४ परगना में विस्थापितों का पुनर्वासन . .	१७५४–५५
१७७६	इस्पात के कारखाने . .	१७५५–५८
१७७७	व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) जांच समिति	१७५८
१७७८	रेलवे पुल . .	१७५८–५९
१७८०	गवेषणा कार्यक्रम समिति . .	१७५९–६०
१७८१	उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण	१७६०–६१
१७८२	औषधियों का निर्माण .	१७६१–६२
१७८३	कृषि कार्यक्रम	१७६२–६३
१७८५	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति . .	१७६३–६५
१७८६	चाय के लिये गोदाम	१७६५
१७८८	ग्लाइडर तथा हेलीकापटर विमान	१७६६
१७८९	औषधियों तथा सम्बद्ध उद्योगों सम्बन्धी भारतीय प्रतिनिधि मंडल	१७६७
१७९०	सिंगारन कोयला खान	१७६७–६८
१७९१	बर्मा में अपहृत भारतीय इंजीनियर . .	१७६८–६९

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१७६९–९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७७९	पटेल नगर के मकान	१७६९–७०
१७८४	बुनकरों को रक्षित बैंक द्वारा दिया गया ऋण	१७७०
१७८७	राजस्थान में बाढ़ से हानि	१७७०
१७९२	मोटर गाड़ियां	१७७०–७१
१७९३	चाय बोर्ड	१७७१
१७९४	औद्योगिक सहकारी संस्थायें	१७७१
१७९५	यूरेनियम	१७७१–७२
१७९६	जूट मिलों के करघों को मुहर बन्द करना	१७७२
१७९७	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	१७७२
१७९९	गैर-सरकारी उपक्रमों को सरकारी ऋण	१७७३
१८००	डाक्टरी थर्मामिटर	१७७३
१८०१	संयुक्त राष्ट्र में बाहरी मंगोलिया की प्रविष्टि	१७७३–७४
१८०२	मिथानोल संयंत्र	१७७४
१८०३	लोक लेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन	१७७४
१८०४	पटेल नगर के मकान	१७७४–७५
१८०५	इस्पात सहकारी निधि	१७७५
१८०६	बिहार में उद्योग	१७७५–७६
१८०७	चाय निर्यात अनुज्ञप्तियां	१७७६
१८०८	इस्पात प्राविधिकों का प्रशिक्षण	१७७६–७७
१८०९	दामोदर घाटी निगम	१७७७
१८१०	भारत-बर्मा व्यापार करार	१७७७
१८११	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	१७७७–७८
१८१२	भूमिहीन खेतिहर मजदूर	१७७८
१८१३	कैनाडा के भारतीय आप्रवासी	१७७८
१८१४	दिल्ली में शरणार्थी बस्तियां	

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३३०	वैज्ञानिकों का मण्डल	१७७९
१३३१	निर्यात संवर्धन परिषदें	१७७९–८०
१३३२	विकास आयुक्तों का सम्मेलन	१७८२
१३३३	विदेशों में भारतीय .	१७८२
१३३४	नये कारखाने और मिलें	१७८२
१३३५	अम्बर चरखा शिक्षक	१७८३
१३३६	अनुमोदित ठेकेदार	१७८३
१३३७	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड .	१७८३
१३३८	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड	१७८३–८४
१३३९	"युनीवाल्टाइन" रेशम के कीड़ों के केन्द्र . . .	१७८४
१३४०	पंजाब की द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१७८४–८५
१३४१	झूठे प्रतिकर दावे	१७८५
१३४२	दिल्ली में प्रदर्शनी स्थान	१७८५
१३४३	तम्बाकू . . .	१७८६
१३४४	सुराबया में वाणिज्य दूतावास . .	१७८६
१३४५	दर अथवा चलाने के ठेके . . .	१७८६
१३४६	गैर-सरकारी प्रेसों में छपाई . .	१७८७
१३४७	नेपाल को सहायता	१७८७–८८
१३४८	गोआ	१७८८
१३४९	पुनर्वास मंत्रालय	१७८८–८९
१३५०	छोटे पैमाने के उद्योग	१७८९
१३५१	नागार्जुन सागर परियोजना . . .	१७८९
१३५२	पश्चिमी बंगाल में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें .	१७८९
१३५३	अवैतनिक गजेटिड पदाधिकारी .	१७८९–९०
१३५४	रेशम की छीजन	१७९०
१३५५	आसाम में नाइट्रो-चाक उर्वरक संयंत्र .	१७९०
१३५६	दिल्ली में राज्यों के मकानों का अर्जन . . .	१७९०–९१

[दैनिक संक्षेपिका]

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१३५७ भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड १७९१

१३५८ नेपाल जाने वाले भारतीयों के लिये वीसा (दृष्टांक) . १७९१

१३५९ नाहन फाउंडरी लिमिटेड १७९२

१३६० विदेशों में भारतीय प्रदर्शनियां . . . १७९२

१३६१ छोटे उद्योगों का राष्ट्रीय निगम . . . १७९२

१३६२ केन्द्रीय नमक बोर्ड १७९३

१३६३ रेशम बोर्ड १७९३

१३६४ ऊनी वस्त्र बनाने के कारखाने . . १७९४

१३६५ साबुन १७९४

१३६६ पटसन उद्योग १७९४

१३६७ खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली . . १७९५

भा. स. मु. ना.—वि.३२३९ लोक सभा/५६—६—१२—५७—१९०

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प . १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

१२.०१ म० प०

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित तीन संदेशों की सूचना देनी है :

(१) कि राज्य सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५६ को पारित किये गये लोक सहायक सेना विधेयक, १९५६ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) कि राज्य-सभा ने अपनी ३ सितम्बर १९५६ की बैठक में, लोक-सभा द्वारा २५ अगस्त, १९५६ को पारित किये गये भारतीय प्रौद्योगकीय संस्था इन्स्टीट्यूट (खड़गपुर) विधेयक, १९५६ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(३) कि राज्य-सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा ३० अगस्त, १९५६ को पारित किये गये राज्य वित्तीय निगम संशोधन विधेयक, १९५६ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

गैर-न्यायिक और न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका

†**डा० गंगाधर शिव** (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं न्यायिक भिन्न और कोर्ट फीस के स्टाम्प कागजों के प्रमापीकरण और मशीन रूलिंग के सम्बन्ध में एक प्रार्थी की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

1—250 L. S. 56

सभा का कार्य

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : वर्तमान विधेयक के पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों आदेश (संशोधन विधेयक) लिया जायेगा। पिछले शनिवार को गृह-मंत्री ने सभा-पटल पर पिछड़े वर्गों के आयोग का प्रतिवेदन रखा है। मेरा निवेदन है कि पहिले आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा हो तब यह विधेयक लिया जाय। इसके लिये तीन या चार दिन का समय लगेगा। अतः सत्रावधि बढ़ानी होगी। अध्यक्ष महोदय कृपया स्थिति को स्पष्ट करें।

†**प्रधान मंत्री तथा सभा के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पहिला प्रश्न यह है कि क्या सत्र की अवधि बढ़ाई जायेगी इसका उत्तर यह है कि सम्भवतः नहीं बढ़ाई जायेगी। सरकार इसे बढ़ाना नहीं चाहती। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पिछड़े वर्गों के आयोग के प्रतिवेदन पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों आदेश (संशोधन) विधेयक को लेने के पूर्व चर्चा की जायगी मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है तथापि यह संभव नहीं होगा। भविष्य में इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी और संसद् के निर्णय को क्रियान्वित किया जायेगा। सत्र समाप्ति के पूर्व तथा दूसरे विधेयक को लेने के पूर्व इस पर चर्चा करना संभव नहीं है।

†**श्री कामत** : उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह लिखा है कि यह विधेयक पिछड़े वर्गों के आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित है तथा सरकार उसकी कई सिफारिशों से सहमत नहीं है इसलिये जब तक आयोग की सिफारिशों पर चर्चा न कर लें इस विधेयक को कैसे ले सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन के जिन भागों पर विधेयक आधारित है उन पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है। सरकार भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन पर एक दिन चर्चा कर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में सभा में मतभेद है।

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर विचार प्रारम्भ करेगी। जो सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे पन्द्रह मिनट के अन्दर अपने संशोधनों की संख्यायें सचिव महोदय को बता देवें।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि खंडों को पारित करने के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता है। समय को बचाने के विचार से मैं सभी खंडों और संशोधनों को क्रमशः लूंगा। तत्पश्चात् खंडों पर पृथक-पृथक और संशोधनों पर एक साथ मतदान लिया जा सकता है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : मेरे विचार से यदि सभा अनुमोदित करे तो एक प्रकार के खंडों को एक साथ लिया जा सकता है। २ से १० खंड तक एक साथ लिये जा सकते हैं, खंड ११ से १६ तक और २०क और २५ खंड एक साथ लिये जा सकते हैं अल्पसंख्यक सम्बन्धी खंड २क, २१ और २३क एक साथ लिये जा सकते हैं इत्यादि।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड २ से १० तक औपचारिक हैं उनके लिये एक घंटे का समय ठीक रहेगा। खंड २०क और २५ के लिये २½ घंटे का समय और खंड १७ से २० के लिये एक घंटे का समय पर्याप्त रहेगा।

अब मैं उन नियत किये गये घंटों को, जो मैं ने लिखे हैं और जो सभा को स्वीकार्य हैं, पढ़ता हूं।

खंड २ से १०—एक घंटा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुछ माननीय सदस्य** : डेढ़ घंटा।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड २ से १०—डेढ़ घंटा; खंड ११ से १६, २०क और २५—न्याय-पालिका २½ घंटे; खंड १७ से २०—संघ राज्य-क्षेत्र—१½ घंटा ; खंड २२, २१, २१क—अल्प-संख्यक—३ घंटे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : यह समय पर्याप्त नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : देखने दीजिये कि क्या और आधे घंटे की आवश्यकता है। यह १½ घंटे से तीन घंटे हो गया है।

खंड २२—प्रादेशिक समितियां—३ घंटे।

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : अधिक समय दिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। खंड २३ आदि १½ घंटा।

माननीय सदस्य अपने संशोधनों की संख्या दे देंगे।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : कुल नियत समय १३ घंटे होता हैं। अब हमारे पास विधेयक के लिये केवल नौ घंटे हैं। यदि आप यह विनिश्चय करते हैं कि खंडों पर अलग मतदान हो, तो प्रत्येक बार इस में आधा घंटा लगेगा, जिसका अर्थ है कुल लगभग ३½ घंटे मतदान में लगेंगे।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तोड़) : इसमें एक दिन बढ़ा दीजिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : समय बढ़ाते जाने में कोई लाभ नहीं है। मैं इन खंडों को आज और कल में निबटाना चाहता हूं। यदि आवश्यक हुआ तो हम कुछ अधिक देर तक बैठेंगे। हम मतदान में कम से कम समय लगाने और माननीय सदस्यों को यथासम्भव अधिक समय देने का प्रयत्न करेंगे।

शाम को मैं खंड २ से १०, ११ से १६ और १७ से २० को वर्गों में मतदान के लिए रखूंगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : क्या उन सब को एक साथ रखना नियमानुकूल होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : या तो खंडवार या यदि सभा सहमत हो तो एक साथ। हमने नियमों में रूपभेद कर दिया है।

दो मतदान होंगे, एक आज शाम को और एक कल शाम को। उन विशेष खंडों को छोड़ कर जिन्हें अलग अलग रखना पड़े, मैं वर्गों को मतदान के लिए रखूंगा।

खंड २ से १०

†**श्री शं० शां० मोरे** (शोलापुर) : इससे पहिले कि हम २ से १० तक के खंडों पर चर्चा आरम्भ करें, मैं आपको एक प्रक्रिया संबंधी कठिनाई, जिसका मैं अनुभव करता हूं, बताना चाहता हूं।

उदाहरणार्थ खंड २ को लीजिये। पृष्ठ २ पर एक उप-खंड (२) है जो संविधान की वर्तमान अनुसूची संख्या १ का स्थान लेता है। परन्तु मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन विधेयक के खंड का संबंध भी जो अब धारा १२ बन गया है, संविधान की प्रथम अनुसूची से है और सारी वर्तमान अनुसूची धारा १२ से स्थानापन्न कर दी गई है। अतः यदि संविधान (नवां संशोधन) विधेयक द्वारा किसी में संशोधन किया जाता है तो यह राज्य पुनर्गठन से पूर्व... विद्यमान अनुसूची में संशोधन करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं ; यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार होगा।

†**श्री शं० शां० मोरे** : मेरा निवेदन यह है कि क्या इस राज्य पुनर्संगठन विधेयक के अधिनियम बनने से संविधान की अनुसूची जैसी कि वह इस के अधिनियम बनने से पहिले के रूप में थी, एक नई अनुसूची द्वारा स्थानापन्न नहीं हो जाती ? यदि संशोधन रखने हैं तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि वे संशोधन इस नई अनुसूची के संशोधन हों क्योंकि अब संविधान की मूल अनुसूची विद्यमान नहीं है अपितु नई अनुसूची विद्यमान है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा संविधान की मूल अनुसूची के स्थान पर रखी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां जो प्रथम अनुसूची है वह उस अनुसूची के स्थान पर है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद पिछली अनुसूची के स्थान पर रखी गई ह। अतः वह अनुसूची पहिली अनुसूची के स्थान पर है और यह अनुसूची बाद वाली के स्थान पर।

†**श्री शं० शां० मोरे** : फिर, संविधान की इस अनुसूची में हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बात यह है कि संविधान में संशोधन करते समय हमें किसी अधिनियम का उल्लेख नहीं करना चाहिये। अतः अब हमें खंडों को लेना चाहिये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : श्रीमान, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आज यह विधेयक सभा के समक्ष है, हम महसूस करते हैं कि हमारा यहां उपस्थित होना अत्यावश्यक है। परन्तु किसी प्रवर समिति की आज बैठक होनी है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि प्रवर समिति की बैठक उस दिन न हो जिस दिन सभा में संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा हो या छः बजे के बाद बैठक हो।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : आज कई और समितियों की भी बैठकें हो रही हैं।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : यदि समितियों की बैठकें होती हैं तो यहां गणपूर्ति न रहेगी।

मैंने कुछ राज्यों का पुनः नामकरण करने के बारे में संविधान की प्रथम अनुसूची के कई संशोधन रखे हैं। प्रथम, मद्रास राज्य के बारे में मैंने सुझाव दिया है कि इसका नाम तामिलनाद होना चाहिये क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि प्रत्येक राज्य का नाम उस भाषा के आधार पर होना चाहिये जो वहां के लोग बोलते हैं। इसी प्रकार मैं ने सुझाव दिया है कि मैसूर राज्य का नाम करनाटक राज्य होना चाहिये। परन्तु मेरा सब से अधिक महत्वपूर्ण संशोधन अंडमान निकोबार का पुनः नामकरण करने के बारे में है। अब समय आ गया है कि द्वीपों का नाम नेताजी के नाम पर रखा जाये क्योंकि इन द्वीपों में भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम ध्वजा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में फहराई गई थी। अतः मेरा सुझाव है कि इन द्वीपों का नाम नेताजी द्वीप या सुभाष द्वीप रख दिया जाये। परन्तु यदि वर्तमान सरकार के नेता नेताजी के साथ मतभेद होने के कारण यह स्वीकार न कर सकें तो मैं सुझाव देता हूं कि इन द्वीपों का नाम कम से कम आजाद हिन्द द्वीप रख दिया जाये। इसके अतिरिक्त अब जब कि संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन हो रहा है और हम भारत का राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, यह आवश्यक है कि हम विभिन्न राज्यों के नाम इस प्रकार रखें कि जन समुदाय सामान्यतः उन नामों के रहने का समर्थन करे।

फिर, मैंने राज्य परिषद में स्थानों के बंटवारे के बारे में खंड ३ का एक संशोधन रखा है। कल मैंने बताया था कि लकादीव, मिनिको और अमिनदिवी द्वीपों के मामले में जो नया संघ-राज्य क्षेत्र है और मूलतः मद्रास राज्य का एक भाग था, अब एक परिवर्तन करने का विचार है अर्थात इन्हें अंडमान तथा निकोबार द्वीप के साथ रखा जा रहा है और उन्हें लोक-सभा में एक स्थान प्राप्त होगा और वह एक सदस्य भी लोक-सभा की बैठकों में भाग लेने में असमर्थ है। लकादीव, मिनिको और

---

†मूल अंग्रेजी में

अमिनदिवी द्वीपों के अंडमान तथा निकोबार द्वीपों से बहुत दूर होने के कारण, मैं सुझाव देता हूं कि हम कम से कम राज्य परिषद में इन द्वीपों के प्रतिनिधित्व के लिए किसी स्थान का उपबन्ध कर सकते हैं। इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है कि इन छोटे द्वीपों को कम से कम राज्य-सभा में तो एक स्थान अवश्य दिया जाये, क्योंकि दूर होने के कारण वे लोक-सभा में संभवतः अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के साथ ही कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त न कर सकेंगी। अतः मुझे आशा है कि गृह-काय मंत्री उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करने के इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से विचार करेंगे।

मैंने खंड १० के संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा है कि खंड (१) क परन्तुक में 'चालीस' (forty) के स्थान पर 'पचास' (fifty) शब्द रखा जाये। संविधान (संशोधन) विधेयक में यह कहा गया है कि राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या "एक चौथाई" से बढ़ा कर 'एक तिहाई' कर दी जाये। परेन्तु मैं नहीं समझता कि उनकी संख्या को बढ़ा कर एक तिहाई करने से क्या लाभ है, विशेषतः जब बम्बई तथा पंजाब राज्यों ने विधान परिषदों को समाप्त करने के संकल्प पारित कर दिये हैं।

मैंने यह भी सुझाव दिया है कि विधान परिषदों में नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या भी कम कर दी जाये। इस समय इन सदस्यों की संख्या का अनुपात बहुत अधिक है। राज्य-सभा में २५० सदस्यों में से केवल १२ ही नाम निर्देशित होते हैं, परन्तु राज्यों की विधान परिषदों में उनका अनुपात बहुत अधिक है। इसीलिये मेरा यह सुझाव है कि उनका अनुपात कम कर दिया जाये।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं श्री बसु के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों को 'नेताजी द्वीप' या 'सुभाष द्वीप' नाम से पुकारा जाये। नेताजी देश के वह महान व्यक्ति थे जिन्होंने इन द्वीपों को मुक्त कराया था। कई लोग उन्हें प्रारम्भ में विद्रोही आदि कहा करते थे ; अब बड़े हर्ष की बात है कि वही लोग इन द्वीपों को उनके नाम पर पुकारने का प्रस्ताव रख कर आज उनका इतना मान कर रहे हैं। इसलिये इस विधेयक के प्रभारी मंत्री जी से हमारा सविनय निवेदन है कि वे श्री बसु के इस सुझाव को स्वीकार करके भारत की सम्पूर्ण जनता की भावनाओं का आदर करें।

श्री कामत ने यह सुझाव दिया है कि उन द्वीपों को 'स्वराज्य तथा शहीद' द्वीपों के नाम से पुकारा जाये। ये नाम नेताजी ने स्वयं ही इन द्वीपों के रखे थे और वहां का प्रशासन चलाने के लिये मेजर जनरल चटर्जी को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। इसलिये आज जब हम देश के विभिन्न राज्यों का पुनः नामकरण कर रहे हैं तो द्वीपों का नाम भी सोच समझ कर रखा जाये। इस संबंध में मेरा यही सुझाव है कि उन्हें 'नेताजी द्वीप' या 'सुभाष द्वीप' के नाम से पुकारा जाये।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं ने संशोधन संख्या १६०, १६१ तथा १६२ प्रस्तुत किये हैं। संशोधन संख्या १६० में मैंने यह कहा है कि सारे विधेयक में 'स्टेटस' (राज्यों) के स्थान पर 'प्रॉविन्स' (प्रांत) शब्द रखा जाये। आपको स्मरण होगा कि संविधान सभा में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि 'स्टेटस' (राज्य) के स्थान पर 'प्रदेश' (प्रान्त) शब्द रखा जाये, और एक अन्य सुझाव में यह कहा गया था कि इस स्थान पर 'प्राविन्स' शब्द ही रहने दिया जाये। इसका कारण यह है कि 'स्टेट' शब्द के कई अर्थ हैं और उससे भ्रम हो जाने का भय रहता है। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय रियासतों को 'स्टेट' कहा जाता था। इसीलिये मेरा यह सुझाव है कि देश के सभी प्रशासनीय वर्गों को 'स्टेटस' के स्थान पर 'प्रॉविन्स' नाम से पुकारा जाये, और इस संबंध में संविधान में संशोधन कर दिया जाये।

जहां तक मेरे संशोधन १६१ तथा १६२ का संबंध है, मेरा यह निवेदन है कि वैसे तो मैं श्री बसु के संशोधनों का समर्थन करता हूं, परन्तु यदि उनमें से कोई भी स्वीकार न हों तब मेरे इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये। अन्दमान द्वीप के नाम के संबंध में विश्वकोश ब्रिटानिका में यह लिखा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

हुआ है कि इसका नाम 'हनुमान' से सम्बन्ध रखता है जो कि भक्त शिरोमणि माने जाते हैं। उनका नाम एक पौराणिक नाम है और संभवत: आज के युग में उन्हीं पुरानी बातों को याद करना उपयुक्त न होगा।

श्री चटर्जी ने यह कहा है कि नेताजी ने इन द्वीपों को स्वतंत्र कराने के बाद उनका नाम स्वयं 'स्वराज्य तथा शहीद' द्वीप रखा था। वैसे तो इन दोनों शब्दों के अर्थ स्पष्ट हैं और उपयुक्त भी हैं, क्योंकि अनेकों भारतीयों ने शहीद होकर ही स्वराज्य प्राप्ति में हमारी सहायता की थी। निवेदन है कि श्री बसु के इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये कि उन द्वीपों को 'नेताजी द्वीप' या 'सुभाष द्वीप' या 'आजाद हिन्द द्वीप' नाम से पुकारा जाये। परन्तु यदि उन्हें स्वीकार न किया गया तो मेरे इस संशोधन संख्या १६२ को स्वीकार कर लिया जाये जिसमें मैंने सुझाव दिया है कि 'अन्दमान तथा निकोबार' द्वीपों को 'जवाहर तथा सुभाष द्वीप' नाम से पुकारा जाये। इसका कारण यह है कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इन दोनों वीरों की सेवायें अमर हो गयी हैं।

अत: गृह मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सम्बन्धी इतिहास की स्मृति में इन द्वीपों का नाम "जवाहर तथा सुभाष द्वीप" रखा जाये।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** (तिरुचुर) : मैं संक्षेप में मद संख्या ७ का उल्लेख करना चाहता हूं। वास्तव में तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि शेनकोटाह ताल्लुक मद्रास को मिलना चाहिये। परन्तु बाद में उसके कुछ भाग त्रावनकोर-कोचीन को दे देने का निर्णय कर लिया गया। यह कोई उचित निर्णय नहीं किया गया था, इसलिए मद्रास राज्य के मुख्य मंत्री ने गृह-कार्य मंत्रालय को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था।

गृह-कार्य मंत्री जी ने यह वचन दिया था कि वे इस सम्बन्ध में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के मुख्य मंत्री से बातचीत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या कुछ किया है और त्रावनकोर-कोचीन के मुख्य मंत्री ने क्या उत्तर दिया है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों को नेताजी सुभाषचन्द्र के नाम पर पुकारने का जो सुझाव प्रस्तुत किया गया है, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। परन्तु उस वीर नेता की स्मृति में केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है।

†**श्री दामोदर मेनन** (कोजिकोड) : मैं संक्षेप में लक्कादिव, मिनीकाय तथा अमीनदिवी द्वीपों के सम्बन्ध में निर्देश करना चाहता हूं। वे इस विधेयक के अनुसार अब एक संघ क्षेत्र माने जायेंगे। गृह-कार्य मंत्री जी ने कल यह कहा था कि संघ क्षेत्रों को भी संसद में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि इन लक्कादीव, मिनीकाय तथा अमीनदिवी के द्वीपों को प्रतिनिधित्व कैसे दिया जायेगा। श्री बसु ने यह सुझाव दिया है कि उन्हें राज्य सभा में एक स्थान दिया जाये। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें लोक-सभा में भी एक स्थान दिया जाये।

यह द्वीप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, और मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिये मेरा निवेदन है कि उन्हें लोक-सभा में एक स्थान अवश्य दिया जाये। यदि गृह-कार्य मंत्री जी उनकी आबादी कम होने के कारण उन्हें लोक-सभा में एक स्थान न दे सकें तो उस स्थिति में उन्हें इस प्रतिनिधित्व के लिये केरल राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग मान लिया जाये। अत: गृह-कार्य मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि वे इन द्वीपों की स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

†**श्री शं० शां० मोरे** : मैं श्री कामत द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का विरोध करता हूं, जिसमें उन्होंने अन्दमान का नाम बदल देने का सुझाव दिया है। अन्दमान शब्द हनुमान शब्द का

---

†मूल अंग्रेजी में

मलाया में बोला जाने वाला रूप है जिससे प्रकट होता है कि हनुमान जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। अतः यदि हम अब उसका नाम बदल देंगे तो उससे भारत से बाहिर के लोगों की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात होगा।

यह देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि श्री कामत केवल आधुनिकता की झोंक में आकर कई शताब्दियों के पुराने नामों को बदल देने पर बल दे रहे हैं।

यदि हम इस प्रकार से प्राचीन नाम बदलते गये तब तो हमें सभी प्रांतों के नाम बदल देने पड़ेंगे।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लाज के बारे में मुझे यह कहना है कि यह "स्टेट" का लफ्ज है उसके कारण काफी कंफ्यूजन अथवा धुंधलापन हमारे मनों पर पड़ता है। हमारे मनों पर ही नहीं बल्कि बाहर के देशों के लोगों के मनों पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ सकता है, कि शायद हिन्दुस्तान एक राष्ट्र नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि "स्टेट" शब्द को हटा कर "प्रान्त", "प्रदेश" या दूसरा कोई शब्द रख दिया जाये तो उससे हमारे देश का काफी नाम और गौरव होगा, और आज जो संकुचित भावना हमारे यहां आ गई है कि अपने अपने प्राविन्स की बात को ही हमेशा कहा जाये, इस परिवर्तन को कर देने से उसके स्थान पर दूसरी भावना आयेगी और पूरे देश की स्वायतता को बढ़ाने की ओर हमारे कदम बढ़ेंगे। इसलिये आप "स्टेट" शब्द को हटा कर "प्रान्त" या दूसरा कोई नाम रख दीजिये।

दूसरी बात जो कही गई है वह अन्डमान और निकोबार द्वीपों के बारे में है जिनके लिये कहा जाता है कि नाम परिवर्तित कर दिये जाये। श्री मोरे साहब यहां नहीं है, लेकिन उनकी बात मेरी समझ में आई नहीं। उन्होंने काफी मजाक में हनुमान और अन्डमान की बात कही। मैं समझता हूं कि श्री कामत ने काफी अनुसंधान अथवा रिसर्च करके इस बात को बताने की कोशिश की थी कि उसका इतिहास आदमियों का इतिहास है, उसका मतलब कोई सिर्फ हनुमान से नहीं था। वह एक मजाक की बात मान ली गई। मेरा ख्याल है कि जब हम दूसरे प्रान्तों के नामों में परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद का नाम परिवर्तित हो रहा है, हैदराबाद के साथ मेरा भी ताल्लुक ह, अगर उसका नाम परिवर्तित होता है तो उसमें कोई एतराज नहीं, हैदराबाद का नाम कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है, न वहां की संस्कृति से हमे बहुत प्रेम है। इसी तरह से और भी जगह हैं जिनके नाम बदल रहे हैं। ऐसी हालत में अगर इन द्वीपों के नाम बदल जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। किसी भी देश के इतिहास के अन्दर जब एक पृष्ठ के बाद दूसरा पृष्ठ लिखा जाता है तो उस पृष्ठ के साथ नामों का भी परिवर्तन होता है। जब हमारे देश में स्वराज्य के लिये संघर्ष हुआ है और काफी प्रयत्नों के बाद हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ है, तो मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि हमारे यहां के नाम परिवर्तित हों। न केवल नामों का ही परिवर्तन हो बल्कि जो हमारे गांवों तथा शहरों की रूपरेखा है, जो नक्शा है, उसको भी बदलना चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने के बाद भी राजधानी में जिन गवर्नरों, वाइसरायों और जेनरलों ने अपने शासन में हमारा शोषण किया उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां हों। यहां क्या कहीं भी हों, कलकत्ते, हैदराबाद, बम्बई कहीं भी, तो यह हमारे लिये बड़ी शर्म और अफसोस की बात है। यह चीजें किसी भी दूसरे देश के अन्दर नजर नहीं आती हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि परिवर्तन होना आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि हम एक प्रगतिशील देश हैं और तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उन्नति की तरफ अग्रेसर हो रहे हैं, तो यह परिवर्तन अवश्य करने चाहियें। स्टेटस रिआर्गेनाइजेशन बिल के जरिये बहुत से परिवर्तन हमने कर लिये हैं, एक प्रान्त को हम दूसरे प्रान्त में मिलाने जा रहे हैं, बहुत से प्रान्त नहीं भी मिलना चाहते, उनको भी हम मिला रहे ह, कहीं पर हम बा-लिंगुअल प्रान्त बना रहे हैं और कहीं पर मल्टी-लिंगुअल बना रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जो दूसरे परिवर्तन हम करना चाहते हैं उनको भी हम कर दें। मैं समझता हूं कि इन परिवर्तनों से हम एक कनफ्यूशन

[डा० सुरेश चन्द्र]

सा पैदा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम इस कनफ्यूशन को दूर करें और उसको दूर करने का तरीका मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अंडमान और निकोबार आइलैंडस में जब हिन्दुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, एक कदम उठाया गया था जिसमें कि आजाद हिन्द फौज का बहुत बड़ा हाथ था। आज हम आजाद हिन्द फौज को भूल जायें...

श्री कामत : नहीं भूलेंगे।

डा० सुरेश चन्द्र : लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। यह पार्लियामेंट चाहे उसको भूल जायें...

श्री कामत : हरगिज नहीं।

डा० सुरेश चन्द्र : लेकिन जब तक भारतवर्ष स्वतन्त्र रहेगा तब तक हिन्दुस्तान के लोग आजाद हिन्द फौज को नहीं भूल सकते। आज हमें मानना ही पड़ेगा कि हम आजाद हिन्द फौज को भूल चुके हैं...

श्री कामत : गवर्नमेंट भूल चुकी है।

डा० सुरेश चन्द्र : लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह आजाद हिन्द सेना ही जिस ने सबसे पहले अंडमान और निकोबार आइलैंडस में आ कर भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। इस पार्लियामेंट के ऊपर यह झंडा बाद में फहराया गया लेकिन वहां पर इसे पहले फहराया गया था। उस वक्त आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के हाथ में था। वह वहां आये थे और उन्होंने उसको स्वतन्त्र किया और आजाद हिन्द फौज के लोगों ने उसे अपने खून से सींचा। आज मैं समझता हूं कि हम उस नेता की स्मति को कायम रखें और उन शहीदों की स्मृति को कायम रखें जिन्होंने भारत वर्ष की आजादी में योग दिया है। आज इसका कुछ पता नहीं कि आया सुभाषचन्द्र बोस मर चुके हैं या जिन्दा हैं। इसके बारे में हमें तभी पता लगेगा जब जो कि कमिटी बैठी हुई है वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। हमें किसी भी सूरत में उनकी स्मृति को नहीं भूलना चाहिये। सुभाष बोस क्या चाहते थे ? उनकी हमेशा यह ख्वाहिश रही थी कि हिन्दुस्तान आजाद हो, भारत स्वतन्त्र हो। इसी के लिये वह जिए और अगर वह मरे चुके हैं तो इसी के लिये मरे हैं। हमें उनकी स्मृति में इन द्वीपों का नाम वही रखें जो उन्होंने स्वयं रखा था। उनकी यह ख्वाहिश कभी नहीं थी कि उनकी मशहूरी हो और उनके नाम पर जगहों के नाम रखे जायें। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि उनके हृदय में कभी भी यह आकांक्षा नहीं थी, कभी भी उनकी यह इच्छा नहीं थी कि उनके नाम को आगे बढ़ाया जाये। इस वास्ते भी मैं यह चाहता हूं कि उन दो नामों को जो कि उन्होंने दिये थे उनको हम स्वीकार कर लें। अगर गवर्नमेंट इसको स्वीकार कर लेती है तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा कदम वह इस दिशा में उठायेगी। इस वास्ते मैं इस पर बहुत जोर देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत की स्वतन्त्रता के लिये अपने आपको बलिदान कर दिया उनके नाम पर ही इन द्वीपों का नाम रख दिया जाये। उनके बलिदान से पहले और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिये अपने आपको बलिदान कर दिया, इस चीज को भी हम कभी नहीं भूल सकते। अगर हम यह चाहते हैं कि हम नेताजी के नाम को भी भूल जायें तो हम उनके नाम को भूल सकते हैं लेकिन जिन लोगों ने भारत की स्वतन्त्रता के लिये अपने आपको बलिदान कर दिया, उन शहीदों को हम कभी नहीं भूल सकते। हमें उनकी याद अपने दिलों में हमेशा ताजा रखनी होगी। उनकी स्मृति मे हमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा जिससे कि आगे चल कर जो हमारी दूसरी जैनरेशंस आयें उनको एक प्रकार से इंस्पिरिशेन मिलता रहे और जिस से वे समझें कि ये वे लोग थे जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये अपनी जान की

बाजी लगा दी और देश को स्वतन्त्र करा के छोड़ा। जिन्होंने अपने आपको बलिदान किया वे न सिर्फ इसी देश मे रहने वाले थे बल्कि दूसरे देशों में रहने वाले भी थे। मैं चाहता हूं कि इन नामों को बदल कर हम उनका नाम शहीदों के नाम पर रखें ताकि उनकी स्मृति को हम अपने दिलों में ताजा रख सकें ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि खंड २ से १० के बारे में कई सरकारी संशोधन भी हैं। खंड २ के लिये संशोधन संख्या १२६ और १२७ हैं और खंड ३ के लिये दो संशोधन संख्या १२८ और १२९ हैं और खंड ८ के लिये संशोधन संख्या १३० है ।

†**श्री वि० घ० देशपांडे (गुना)** : श्री बसु और मेरे माननीय नेता श्री चटर्जी ने जो भावनायें प्रकट की मैं उनका समर्थन करता हूं ।

मैं ने संशोधन संख्या ९३ और ९४ प्रस्तुत किये हैं। एक संशोधन में मैं ने यह सुझाव दिया है कि इसका नाम 'हुतात्मा द्वीप' रखा जाये क्योंकि गत एक शताब्दी से यह शहीदों का द्वीप रहा है। यदि इसका नाम शहीद द्वीप रखा जाये तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इनका भाव एक ही है ।

जब भी कभी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्मारक बनाने के लिये कहा जाता है तो सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। मेरे विचार से यदि नेताजी जीवित भी हों तो भी उनका स्मारक बनाने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने इन द्वीपों का नाम वीर सावरकर और भाई परमानन्द द्वीप रखे जाने का भी सुझाव दिया है परन्तु सरकार इन्हें पसन्द नहीं करेगी। इन शहीदों ने यहां कष्ट सहन किये हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अण्डमान और निकोबार में हमारे असंख्यक शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है इस लिए हम चाहतें है कि इसका नाम बदल दिया जाये और मुझे आशा है कि सरकार हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेगी ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि "प्राविन्स" शब्द के लिये शब्द राज्य का प्रयोग न करते हुए उसे प्रदेश अथवा प्रान्त ही कहा जाये ।

गृह-कार्य मंत्री से मुझे यह भी निवेदन करना है कि क्योंकि वह हिन्दी के बड़े प्रशंसक हैं और वह इस पक्ष में नहीं है कि नामों को बिगाड़ा जाये इसलिये बम्बई राज्य का नाम मुम्बाई प्रदेश रखा जाये अथवा ऐसा ही कोई अन्य नाम हिन्दी भाषा से लिया जाये। गुजरात तथा महाराष्ट्र के नाम मिट नहीं जाने चाहियें। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल का नाम बंगला और उड़ीसा का नाम उत्कल रखा जाना चाहिये ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : व्यक्तिगत रूप से इस जनतंत्र के युग में मैं उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता हूं । अन्दमान और निकोबार ये नाम अंग्रेजों ने दिये थे और यदि उन्हें बदलना ही है तो यह बात वहां के निवासियों पर छोड़ दी जानी चाहिये । हम विजेता होने का दावा नहीं करते न हम कहीं बस्तियां स्थापित करने जा रहे हैं ।

श्री देशपांडे ने यह सुझाव दिया है कि जहां श्री सावरकर को कारावास में रखा गया था, कम से कम उनका नाम उस स्थान से सम्बद्ध किया जा सकता है । सरकार को चाहिये कि वह यदि ब्लेअर का नाम बदलकर सावरकर पोर्ट कर दे और मेरा निवेदन है कि हमारे महान नेता सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति मे भी इस प्रकार की कार्यवाही की जाये । इसके अतिरिक्त मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

इस बात पर जोर देता हूं कि हमें कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे लोगों में यह धारणा उत्पन्न हो कि हम विजेता हैं या दूसरों पर विजय प्राप्त करके उपनिवेश स्थापित करना चाहते हैं ।

मैं एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं । प्रथम अनुसूची की शब्दावली में आन्ध्र प्रदेश रखा गया है और "आन्ध्र" के आगे "प्रदेश" लगाने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता । मध्य प्रदेश में शब्द 'प्रदेश' उस राज्य की विशिष्ट स्थिति के कारण रखा गया है और इसलिये वहां शब्द प्रदेश लगाना उचित ही है किन्तु आन्ध्र एक प्रान्त है, राज्य है इसलिये शब्द "प्रदेश" को हटा देना चाहिये ।

इन शब्दों का अनुवाद अंग्रेजी में करके या उसे अंग्रेजी में पढ़ के हम कई नामों को और क्लिष्ट बना देते हैं । कल समाचार पत्र में एक चोरी का जिक्र था जो कि रतलाम और दोहद के बीच हुई थी किन्तु एक हिन्दी दैनिक के सम्पादक ने दोहद के लिये दोहाड लिखा और इसका अर्थ दो सीमाएं होता है । उड़ीसा अपने आपको उत्कल कह सकता है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी । इसी प्रकार गुजरात और बम्बई का द्विभाषी राज्य पश्चिम प्रान्त कहला सकता है । नाम इस प्रकार रखे जाने चाहियें जिनसे हमारी संस्कृति का कुछ आभास मिले ।

पृष्ठ ३ पर मद १५ जम्मू और काश्मीर के बारे में है । हमने यह कहा है कि यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जो संविधान के प्रारम्भ से तुरन्त पहले जम्मू और काश्मीर के भारतीय राज्य में सम्मिलित था । मेरा नम्र निवेदन है कि १९४८ में इस राज्य क्षेत्र का कुछ हिस्सा हमसे छीन लिया गया था और मैं यह जानना चाहता हूं कि संविधान के प्रारम्भ के समय यह क्षेत्र क्या था ? इसलिये मेरा सुझाव यह है कि उचित संशोधन किये जायें ताकि अगस्त १९४७ में जो राज्य क्षेत्र था वह जम्मू और काश्मीर का राज्य क्षेत्र रहे ।

राज्यों के पुनर्गठन और बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाने के उत्साह में हमने उन फ्रांसीसी बस्तियों पर विचार नहीं किया जो गत वर्ष भारतीय संघ में विलीन हुई हैं । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जब हम सारे देश के लिये अनुसूची तैयार कर रहे हैं तो उक्त बस्तियों को उससे अपवर्जित न किया जाये ।

श्रीमान्, मैंने खंड ४ में संशोधन के लिये एक सूचना दी है । मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि लोक-सभा की सदस्य संख्या ५०० ही रखी जाये और जनसंख्या के आधार पर अथवा संघ क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों को मिला कर इसे बढ़ाया न जाये । यदि देश में हमें प्रजातन्त्र की स्थापना करना है तो वह प्रजातन्त्र सर्वत्र एकसम होना चाहिये । इस उपबन्ध के जरिये लोक-सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये दो तरीके निर्धारित किये जा रहे हैं और इस प्रकार का पक्षपात या भेदभाव अनुचित है । संघ क्षेत्रों से चुने जाने वाले सदस्यों के लिये भी वही विधि होनी चाहिये जो कि अन्य सदस्यों के लिये निश्चित है ।

खंड ५ के उपबन्धों के बारे में एक संशोधन है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। वर्तमान अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई प्रसंविदा, संधि, करार, वचन या सनद यह व्यवस्था करती है कि यदि कोई विशिष्ट अधिकार किसी तीसरे पक्ष को मिले तो वह पक्ष उपबन्धों के आधार पर उक्त अधिकार का लाभ उठा सकता ह । इस उपबन्ध के स्थान पर जिस नये उपबन्ध को रखने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें यह कहा गया है कि यह अधिकार किसी ऐसे पक्ष द्वारा प्रयोग नहीं किया जायेगा । मेरी अपनी राय यह है कि जहां तक राज्यों का संबंध है, किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में तो यह ठीक है किन्तु किसी तीसरे पक्ष को न्यायनिर्णयन के अधिकार से वंचित करना ठीक नहीं है । सरकार के पास स्थिति की जांच करने के लिये काफी समय है और मेरा सुझाव

यह है कि पुराना उपबन्ध कायम रहे और उसके साथ यह स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाये कि इन उपबन्धों के अन्तर्गत जिस किसी तीसरे पक्ष को अधिकार प्राप्त हुये हैं, वह उनका प्रयोग भविष्य में भी कर सकता है।

†**श्री आनन्द चन्द** (बिलासपूर) : श्रीमान इस विधेयक के खंड ४ के नये अनुच्छेद ८१(१)(ख) के बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह उपखंड संघ राज्य-क्षेत्रों से २५ सदस्यों के निर्वाचन का उपबन्ध करता है और मूल विधेयक में केवल २० सदस्यों के लिये उपबन्ध था। किन्तु जब बंबई को एक संघ राज्य-क्षेत्र माना गया था तो यह संख्या २५ की गई थी। सौभाग्य से बंबई अब एक द्विभाषी राज्य है और मेरा ख्याल है इस संख्या को २५ न रखकर पहले के समान २० कर दिया जाये। यही संशोधन मैं ने प्रस्तुत किया है। इसी सिलसिले में श्री उ० मू० त्रिवेदी ने यह आशंका प्रगट की है कि संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किसी अन्य तरीके से होगा। मेरा ख्याल है कि उन्हें गलतफहमी हुई है। उपखंड (ख) में कहा गया है कि निर्वाचन की विधि संसद निर्धारित करेगी और मुझे विश्वास है कि संसद इस बात की समुचित व्यवस्था करेगी कि संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्य वयस्क मताधिकार पर उस प्रकार और उस प्रक्रिया के अनुसार चुनें जायें जिसके अनुसार इस सदन के अन्य सदस्यं चुने जाते हैं।

श्री त्रिवेदी ने यह सुझाव दिया है कि लोक-सभा की सदस्य संख्या ५०० से अधिक न हो मेरा ख्याल है कि सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि ४८६ होंगें और माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्य १५ होंगे यानि लोक-सभा के कुल सदस्य ५०१ होगें। इस प्रकार सात लाख लोगों के लिये इस सदन में एक प्रतिनिधि होगा और प्रतिनिधिान का यह अनुपात काफी बड़ा है इसलिये बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हमें सदस्य संख्या भी बढ़ानी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या ५०० और संघ क्षेत्रों के अतिरिक्त सदस्यों कि संख्या २० रखी गयी है। मैं आशा करता हूं कि चूंकि यह एक अनुषांगिक संशोधन है इसलिये माननीय गृह-कार्य मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह घोषित कर दूं कि सदस्यों द्वारा इस खंड समूह के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले चुनें गये संशोधन, उन के अन्यथा स्वीकार्य होने की शर्त पर, इस प्रकार हैं :

खंड २	१६०, १२६ (सरकारी) १३७, १२७ (सरकारी) १३८, १३९, ४, ९३, ९४, १६१ और १६२
खंड ३	१२८ (सरकारी) १२९ (सरकारी)
खंड ४ . . .	७१
खंड ८	१४१, १३० (सरकारी), ८
खड १० . . .	९

खंड २—(अनुच्छेद १ और प्रथम अनुसची का संशोधन)

†**श्री कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या १६० प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य और भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति १ में—

शब्द Constitution ["संविधान"] के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये : "as amended by the States Reorganisation Act, 1956, and the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956" ["राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ और बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ द्वारा संशोधित रूप में"]

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वांदिवाश) : अपना संशोधन संख्या १३७ प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति २३—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये : "But excluding the territories specified in sub-section (1) of Section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956" ["किन्तु बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उप-धारा (१) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों को छोड़ कर"]

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २४—

शब्द "Gujerat" ("गुजरात") के स्थान पर शब्द "Bombay" ("बम्बई") रखा जाये।

(३) पृष्ठ २, पंक्ति २५—

शब्द "Section 10" ("धारा १०") के स्थान पर शब्द "Section 8" ("धारा ८") रखे जायें।

(४) पृष्ठ २, पंक्ति ३१—

शब्द "Section 11" ("धारा ११") के स्थान पर शब्द "Section 9" ("धारा ९") रखे जायें।

(५) पृष्ठ २—

पंक्ति ४७ से ४९ तक निकाल दी जायें।

(६) पृष्ठ ३, पंक्ति १०—

शब्द "Section 13" ("धारा १३") के स्थान पर शब्द "Section 11" ("धारा ११") रखे जायें।

(७) पृष्ठ ३, पंक्ति १२—

शब्द "Section 12" ("धारा १२") के स्थान पर शब्द "Section 10" ("धारा १०") रखे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) पृष्ठ ३, पंक्ति २७—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये : "and also the territories specified in sub-section (1) of Section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956" ["और बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उप-धारा (१) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्र भी "

(९) पृष्ठ ३—

पंक्ति ३४ और ३५ निकाल दी जायें ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं अपने संशोधन संख्या १३८ और १३९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री क० कु० बसु** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** : मैं अपने संशोधन संख्या ९३ और ९४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या १६१ और १६२ प्रस्तुत करता हूं ।

खंड ३—(अनुच्छेद ८० और चौथी अनुसूची का संशोधन)

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति २९ में—

शब्द "संविधान" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये : "as amended by the States Reorganisation Act, 1956, and the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956" ["राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ और बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ द्वारा संशोधित रूप में"]

(२) (१) पष्ठ ५, पंक्ति १—

"23" ["२३"] के स्थान पर "22" ["२२"] रखा जाय ।

(२) पृष्ठ ५—

पंक्ति २ के स्थान पर शब्द "4 Bombay 27" (" ४ बंबई २७") रखे जायें ।

(३) पृष्ठ ५—

पंक्ति ६ को निकाल दिया जाये ।

(४) पृष्ठ ५, पंक्ति १२—

"15" ["१५"] के स्थान पर "16" ["१६"] रखा जाये ।

(५) पृष्ठ ५—

पंक्ति १४ को निकाल दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० ब० पन्त]

(६) पृष्ठ ५, पंक्ति १९—

"226" ["२२६"] के स्थान पर "220" ["२२०"] रखा जाये।

†**श्री आनंद चन्द** : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५, पंक्ति २७—

शब्द "Twenty-five members" ("पचीस सदस्य") के स्थान पर शब्द "Twenty members" ("बीस सदस्य") रखे जायें।

खंड ८—(अनुच्छेद १६८ का संशोधन)

†**श्री न० र० मुनिस्वामी** : अपना संशोधन संख्या १४१ प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ६, पंक्ति २७ में—

"the word 'Bombay' shall be omitted and" ["शब्द 'बंबई' को निकाला जायेगा और"] इन शब्दों को निकाल दिया जाये।

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति ४०—

शब्द "Bihar" ("बिहार") के स्थान पर शब्द "Bombay" ("बंबई") रखा जाये।

(३) पृष्ठ ६, पंक्ति ४१—

शब्द "Maharashtra" ("महाराष्ट्र") के स्थान पर शब्द "Madhya Pradesh" ("मध्य प्रदेश") रखा जाये।

श्री म० प्र० मिश्र (मुंगेर—उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस पवित्र मांग का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, जो कि इस सदन से उठी है, कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम सुभाष द्वीप रख दिया जाये। यह एक बहुत विरला मौका है जब कि मैं एक कम्यूनिस्ट भाई के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि जादू वह है, जो सिर पर चढ़ कर बोलता है। जब नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आज़ाद हिन्द फ़ौज बना कर पूर्वी एशिया में अंग्रेज़ी शहनशाहियत से लड़ रहे थे, तो इस देश की कम्यूनिस्ट पार्टी अंग्रेज़ी राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। उस ज़माने में उस पार्टी ने नेताजी और उन की आज़ाद हिन्द फ़ौज को जो गालिया दी, उन के लिये भाषा के जो जो भद्दे शब्द व्यवहार किये, वे शायद इस देश के दुशमनों ने भी—अंग्रेज़ों ने भी—नहीं किये। लेकिन नेताजी और उन की आज़ाद हिन्द फ़ौज का जादू तो आज सिद्ध होता है कि वही लोग इस सदन में यह प्रस्ताव लाये हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम नेताजी द्वीप या सुभाष द्वीप रख दिया जाये।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में, बल्कि दुनिया भर की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में, नेताजी सुभाष का एक विशिष्ट स्थान है। हिन्दूस्तान के इतिहास में जितनी महान हस्तियां हुई हैं—और इस देश में महापुरुषों की कभी भी कमी नहीं रही है—उन में नेताजी का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जायेगा। एक भारतीय जब भी अपने जीवन में पस्त-हिम्मती अनुभव करेगा, गिरा हुआ अनुभव करेगा, तो सिर्फ नेताजी का नाम ले कर ही वह अपने में साहस और वीरता का संचार कर सकेगा। इतना बड़ा महापुरुष हमारे देश में पैदा हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जो मांग इस वक्त यहां पर रखी गई है, वह बहुत छोटी है। उस महापुरुष ने हिन्दुस्तान की आज़ादी को करीब लाने में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया। आज यह कहा जा सकता है कि १९४७ का १५ अगस्त "१९४७ का १५ अगस्त" न होता—उस दिन भारत को स्वतंत्रता न मिली होती और हम को यह दिन देखने का न मिलता, अगर १९४२ और १९४३ में दक्षिण पूर्वी एशिया में आजाद हिन्द फ़ौज का जन्म न हुआ होता। यह एक बहुत छोटी सी मांग है कि इतनी बड़ी हस्ती की यादगार में एक छोटे से द्वीप का नाम उसके नाम पर रख दिया जाये। इस संबंध में हम को यह भी न भूलना चाहिये कि जब पहले पहले नेताजी की फ़ौज आई, तो उस ने उस द्वीप पर हमारा तिरंगा झंडा गाड़ा, पहले पहले उस ने आज़ाद कराया। अगर मैं नहीं भूलता हूं तो शायद आज़ाद हिन्द फ़ौज और उस की हकूमत ने ही उस द्वीप का नाम आज़ाद द्वीप या सुभाष द्वीप रखा था।

श्री कामत: नहीं, शहीद द्वीप।

श्री म० प्र० मिश्र : हमारे मित्र श्री देशपांडे और अन्य लोगों ने भी कहा है कि इस द्वीप का नाम सुभाष बाबू के नाम पर रखा जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह एक बहस की बात है कि सुभाष बाबू जीवित हैं या नहीं। मेरे ख्याल में इस देश में कोई भी आदमी इस स्थिति में नहीं है कि वह कह सके कि सुभाष बाबू मर ही गये हैं और न ही कोई इस स्थिति में है कि कह सके कि वह जीवित हैं। मेरे विचार में इस समय इस बहस में नहीं पड़ना चाहिये। आज हमारा यह कर्तव्य है—इस देश का फ़र्ज़ है, इस पीढ़ी का फ़र्ज़ है कि उन की यादगार में, उन्होंने देश की जो सेवा की, उस के सम्मान में एक ऐसा स्मारक कायम किया जाये, जो कि आने वाली पीढ़ियों को उन का स्मरण करा सके। इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं इस को कोई बड़ी चीज़ नहीं मानता हूं। मैं यह नहीं समझता हूं कि अगर यह सुरकार उस द्वीप का नाम सुभाष द्वीप रख देगी, तो वह कोई बहुत बड़ा काम कर देगी। हां, इससे एक बड़े काम की—एक बड़े स्मारक की—शुरुवात की जा सकती है। सब से छोटा काम यह है कि इस द्वीप का नाम सुभाष द्वीप रख दिया जाये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस वादविवाद में भाग लेने की मेरी इच्छा नहीं थी किन्तु माननीय सदस्य श्री म० प्र० मिश्र ने सुभाषचन्द्र बोस द्वारा आज़ाद हिन्द फ़ौज का गठन और उस समय साम्यवादी दल के कार्य का उल्लेख किया है मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि यह इस समय आवश्यक नहीं है और जब नेताजी बोस इस देश से ब्रिटिश सत्ता का उच्चाटन कर रहे थे तब साम्यवादी दल अंग्रेजों की सहायता कर रहा था इस आरोप का उत्तर देना संगत ही होगा। मैं सदन को इस बात का स्मरण कराता हूं कि एक बार श्री नेहरू ने भी यह कहा था यदि सुभाष चन्द्र जापानी सेना की सहायता से इस देश में वापस आते हैं तो वे स्वयं अपने हाथों से उनका मुकाबला करेंगे। किन्तु बाद में देश के विचारों में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ और साम्यवादी दल ने आज़ाद हिन्द फ़ौज के बारे में निर्णय किया और यही कारण है कि आज़ाद हिन्द फ़ौज के बन्दियों की रिहाई की इतनी जबरदस्त मांग की गई थी।

इसलिये मेरा ख्याल है कि इस अवसर पर मत भेद प्रकट करने वाली कोई बात न कही जाये।

जब सभा में इन द्वीपों का फिर से नाम रखने का प्रश्न उपस्थित हुआ है, तो कोई वजह ऐसी नहीं है कि हम सुभाष चन्द्र बोस और उन के साथियों के बलिदान को ध्यान में रखते हुये उन का नाम शहीद और स्वराज द्वीप न रखें। मैं समझता हूं कि श्री कामत का प्रस्ताव अच्छा है और हमें उसका समर्थन करना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री इस का ध्यान रखेंगे और देशवासियों की भावना के अनुसार उन द्वीपों का नाम रखेंगे।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : अंदमान और निकोबार द्वीपों के नाम के बारे में सभा में काफी चर्चा हुई है। मुझे तो यह विषय विशेष महत्व का नहीं जान पड़ता। अनेक नाम सुझाये गये हैं और जिन लोगों ने सुझाव दिये हैं उन्हें स्वयं ही संदेह है और उन्होंने दूसरे नाम भी सुझाये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : जी नहीं, इस संशोधन पर सब सहमत हैं।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्तुत संशोधन के आधार पर कह रहा हूं, सदस्यों की निजी धारनाओं के आधार पर नहीं। इस में कोई संदेह नहीं कि सुभाष बाबू एक बहुत बड़े देशभक्त थे। हम बड़े आदर से उनका स्मरण करते हैं और उनके बलिदान, साहस और स्वातंत्र्य प्रेम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। मुझे पता नहीं कि वे जीवित हैं या नहीं। यह विवाद अभी तक चल रहा है।

इस समय प्रश्न यह है कि हमें नाम बदलना चाहिये या नहीं। कुछ सदस्यों ने शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, सावरकर द्वीप, भाई परमानन्द द्वीप आदि नाम सुझाये हैं किन्तु केवल उन्हीं द्वीपों का नाम बदलने पर क्यों जोर दिया गया, यह मेरी समझ में नहीं आया है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : क्योंकि उनका नेताजी से सम्बन्ध है।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : किन्तु जिन लोगों ने सावरकर और परमानन्द जी का सुझाव दिया है उन्होंने उनका सम्बन्ध प्रकट नहीं किया है। यह तो मैं स्वयं चाहता हूं कि सुभाष बाबू का एक अच्छा स्मारक हो। शायद कुछ सदस्यों को पता नहीं है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कार्य कारिणी समिति के पास एक न्यास है जो उन बातों का प्रबन्ध करता है जिन में सुभाष बाबू को दिलचस्पी थी।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** : क्या उस न्यास में सरकार का भी कोई हाथ है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इस विषय में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को सरकार से सम्बन्ध एक संस्था समझा जा सकता है। मुझे पता नहीं कि हिन्दु महासभा ने भी कभी सुभाष बाबू का कोई स्मारक बनाया है या नहीं।

अन्दमान और निकोबर द्वीप सैंकड़ों वर्षों से इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे कोई नगर नहीं बल्कि द्वीप हैं। दुनियां के नक्शे में उनका एक स्थान है और अतः इन सुझावों पर हम विभिन्न पहलुओं से विचार करेंगे और यदि परिवर्तन किया गया तो हम देखेंगे कि कौन सा नाम उपयुक्त होगा। हम सुभाष बाबू का आदर करने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते। इस विषय पर सभा में कोई मतभेद नहीं है कि चाहे हम किसी समय कोई भी विभिन्न राजनैतिक दृष्टिकोण रखते हों, हम सब सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धा रखते हैं किन्तु इन द्वीपों के लिये अनेक नाम सुझाये गये हैं और हम सोच विचार कर नाम बदलेंगे। यदि इस प्रकार नाम में कोई परिवर्तन किया जाये तो मेरे विचार से कोई अनुचित बात नहीं है। किन्तु ऐसे कामों में गुणावगुण पर ध्यान देना आवश्यक है। आज की दुनिया में प्रत्येक द्वीप अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित है। जहां तक प्रस्तावकों के उद्देश्यों और कारणों का सम्बन्ध है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उन उद्देश्यों के हम भी समर्थक हैं।

लक्कादीव और मालदीव के लिये कहा गया है कि वहां का कोई प्रतिनिधि यहां नहीं है। यह बात सत्य है। हम लोक-सभा में वहां का प्रतिनिधि चाहते हैं जिसे नामनिर्देशित किया जा सकता है। अन्दमान और निकोबार का एक स्थान सभा में मौजूद है और इसी प्रकार हम लक्कादीव और मालदीव का भी एक स्थान पृथक् चाहते हैं क्योंकि इन दोनों द्वीपसमूहों का केवल एक प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अन्दमान और निकोबार तथा लक्कादीव और मालदीव में कोई पारस्परिक सम्बध नहीं है।

एक सुझाव यह भी दिया गया है कि बम्बई का द्विभाषी राज्य बन जाने से संख्या २५ के बजाय २० रखी जाये। इस संशोधन को मैं स्वीकार कर लूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांसीसी बस्तियों का भी सभा में जिक्र किया गया है। अभी उन का विधि अनुसार हस्तांतरण न होने के कारण, उन्हें इस विधेयक में स्थान नहीं दिया गया है। हम आशा करते हैं कि उन बस्तियों को भी विधिवत् शामिल करने का अवसर हमें शीघ्र प्राप्त होगा। अभी कुछ समय और व्यतीत होने के बाद हम ऐसा कर सकेंगे और तभी हम आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे।

मैं समझता हूं कि मैंने लगभग सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : १९५३ में पश्चिमी बंगाल सरकार शरणार्थियों को अन्दमान में बसाने के सिलसिले में उस का नाम सुभाष द्वीप रखता चाहती थी। क्या इस सुझाव को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया था ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : यदि आप मुझे इस विषय में लिख कर भेजें तो मैं पता लगा सकूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति १ में—

शब्द "संविधान" के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"as amended by the States Reorganisation Act, 1956, and the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956" ["राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ औरबिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ द्वारा संशोधित रूप में"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति २३—

अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but excluding the territories specified in sub-section (1) of Section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956" ["किन्तु बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उप-धारा (१) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों को छोड़कर"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं बाकी संशोधन रखता हूं।

प्रश्न यह है :

(२) कि पृष्ठ २, पंक्ति २४ में—

"Gujerat" ["गुजरात"] के स्थान पर "Bombay" ["बम्बई"] रखा जाये।

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

(३) पृष्ठ २, पंक्ति २५ में—

"Section 10 ["धारा १०"] के स्थान पर "Section 8" ["धारा ८"] रखा जाय।

(४) पृष्ठ २, पंक्ति ३१ में—

"Section 11" ["धारा ११"] के स्थान पर "Section 9" ["धारा ९"] रखा जाये।

(५) पृष्ठ २ में—

पंक्ति ४७ से ४९ हटा दी जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो इन के पक्ष के हों, "हां" कहें और जो विरुद्ध हो वे "न" कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य** : "हां"।

†**कुछ माननीय सदस्य** : "नहीं"।

†**अध्यक्ष महोदय** : "हां" वाले जीत गये।

†**श्री कामत** : "न" वाले जीते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा, तो इस पर बाद में मत लिये जायेंगे, नियम यह है कि मध्यान्ह भोजन के समय किसी मत के निर्णय के सम्बन्ध में विवाद हो तो उस पर बाद में मत लिये जायेंगे। मैं दूसरे उपखंड मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

(६) पृष्ठ ३, पंक्ति १० में—

शब्द "Section 13" ["धारा १३"] के स्थान पर शब्द "Section 11" ["धारा ११"] रखा जाये।

(७) पृष्ठ ३, पंक्ति १२ में—

शब्द "Section 12" ["धारा १२"] के स्थान पर शब्द "Section 10" ["धारा १०"] रखा जाये।

(८) पृष्ठ ३, पंक्ति २७—

अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and also the territories specified in sub-section (1) of Section 3 of Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956." ["और बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा १ में उल्लिखित राज्य क्षेत्र भी"]

(९) पृष्ठ ३—

पंक्ति ३४ और ३५ निकाल दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या ४, १६०, १६२, ९३ और ९४ मतदान के लिये सभा के समक्ष रखे और वे अस्वीकृत हुए ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मंत्री महोदय के आश्वासन के आधार पर मैं अपने संशोधन संख्या १३७, १३८ और १३९ वापस ले लेना चाहता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ४,१२७ प्रविष्ठि (२) से (५) और १६१ स्थगित होंगे । नया खंड २ क अल्पसंख्यकों के संबंध में है और वह स्थगित होगा । अब खंड ३ में एक सरकारी संशोधन १२८ है जो मैं सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति २९ में—

"Constitution"("संविधान") के बाद जोड़ा जाये :

"as amended by the States Reorganisation Act, 1956 and the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956" ["राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ और बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ द्वारा संशोधित रूप में"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १२९ के संबंध में प्रविष्टि संख्या १ और ४ अभी निबटायी जा सकती हैं । संख्या २, ३, ५ और ६ स्थगित होंगी । प्रविष्टि संख्या १ और ४ में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ ५, पंक्ति १ में—

"23" ["२३"] के स्थान पर "22" ["२२"] रखा जाये ।

(४) पृष्ठ ५, पंक्ति १२ में—

"15" ["१५"] के स्थान पर "16" ["१६"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रविष्टि २, ३, ५, और ६ स्थगित होंगी । इस खंड में केवल दो ही संशोधन (संख्या १२८ और १२९) हैं । अब खंड ४ ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति २७ में—

"Twentyfive members" ["पचीस सदस्यों"] के स्थान पर "Twenty members" ["बीस सदस्य"] शब्द रखें जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : नया खंड ४ क प्रस्तुत नहीं किया गया है। खंड ६ और ७ में कोई संशोधन नहीं हैं। खंड ८ में एक सरकारी संशोधन संख्या १३० है और वह भी स्थगित किया जा सकता है।

†**श्री क० कु० बसु** : मेरा एक संशोधन संख्या ८ है। वह भी स्थगित किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संख्या ८ स्थगित रहेगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मुझे अपना संशोधन संख्या १४१ वापस ले लेने की अनुमति दी जाये।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ८ में अब कोई संशोधन नहीं हैं। खंड ९ में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अब खंड १० में श्री बसु का एक संशोधन संख्या ९ है जो मैं मतदान के लिये सभा के समक्ष रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या ९ मतदान के लिये सभा के समक्ष रखा और वह अस्वीकृत हुआ ।

खंड ११ से १६, २०क और २५

†**अध्यक्ष महोदय** : अब खंड २ से १० और वे संशोधन जो स्थगित किये गये हैं, आज अन्त में सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे जायेंगे।

अब सभा खंड ११ से १६, २० क और २५ पर चर्चा करेगी। सदस्यगण बहुत ही संक्षेप में बोलें। वे संशोधनों की संख्या भी बतायें।

†**श्री क० कु० बसु** : खंड २० क। श्री रा० ना० सिंह देव के संशोधन अल्पसंख्यकों के संबंध में हैं।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मेरा संशोधन संख्या ३१ है। वह ठीक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि संशोधन संख्या २६ ठीक न बैठे तो ३१ ठीक बैठेगा। प्रत्येक ही खंड २०क के लिये है।

†**श्री चि० चा० शाह** (गोहिलवाड-सोरठ) : मैं खंड ११ से १६ के विषय में, जो न्यायपालिका के संबंध में है, कुछ बातें कहना चाहता हूं। अनुच्छेद २१६ का परन्तुक हटा देना वास्तव में जरूरी है क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है।

खंड ११ में दो संशोधन हैं जिनका उद्देश्य एक ऐसा संविहित उपबन्ध बनाना है कि कम से कम एक-तिहाई न्यायाधीश उस राज्य से हो जहां उच्च न्यायालय न हो। मैं इन संशोधनों के सिद्धांत का समर्थन करता हूं। किन्तु मंत्रालय ने कल एक ज्ञापन परिचालित किया था जिसमें कहा गया था कि इस बात के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जायेगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीश उस राज्य से बाहर के हों। उस व्याख्या को देखते हुए, मैं कोई संविहित या संवैधानिक उपबन्ध जरूरी नहीं समझता।

अब खंड १२ है। संयुक्त समिति ने खंड १५ में उपखंड ३ जोड़ कर जो संशोधन किया है उसे ध्यान में रखते हुए अब खंड १२ में किया जाने वाला संशोधन आवश्यक नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

रेलवे मंत्री दुर्घटना-स्थल से वापस आ चुके हैं। वह एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया है कि वह साढ़े चार बजे वक्तव्य दे सकते हैं। वह एक महत्वपूर्ण विषय है और सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिये। सदस्यगण अनुपस्थित सदस्यों को भी सूचित कर दें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†**श्री चि० चा० शाह :** वर्तमान अनुच्छेद २१७ में कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु के बाद न्यायाधीश के पद पर नहीं रहेगा। वह संशोधन अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों के संबंध में है। मेरी राय में वह अनावश्यक है क्योंकि खंड १५ में संशोधित अनुच्छेद २२४ में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों पर दो सीमाओं का उल्लेख है, अर्थात् वे दो वर्ष से अधिक अवधि के लिये पद पर नहीं रह सकते और ६० वर्ष की आयु तक ही पदारूढ़ रह सकते हैं। अतः मेरा यह कहना है कि अनुच्छेद २१७ में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद २१७ में और दूसरे संशोधन हैं जिनसे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु-सीमा ६२ या ६५ तक बढ़ाने का विचार है। मैं इनमें से किसी संशोधन से सहमत नहीं हो सकता। संविधान सभा ने काफी विचार-विमर्श के बाद ६० वर्ष की आयु-सीमा संविधान में रखी है। बम्बई उच्च न्यायालय ने सर्व सम्मति से वह आयु-सीमा ६२ या ६५ तक बढ़ाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है और वह बहुत उचित कारणों के आधार पर किया है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के लिये आयु-सीमा बढ़ाने के पक्ष में एक तर्क यह रखा जाता है कि आयु-सीमा बढ़ाये बगैर वास्तव में उपयुक्त लोग न्यायाधीश के पद के लिये मिलना संभव नहीं होता। इसके लिये एक उपाय यह है कि उन्हें ५५ वर्ष की आयु में नियुक्त करने के बजाय, कम आयु में ही नियुक्त किया जाये। बम्बई उच्च न्यायालय में ४२ या ४५ की आयु में ही न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रथा बढ़ती जा रही है। इसलिये मेरा यह कहना है कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के लिये आयु-सीमा बढ़ाने में कोई औचित्य नहीं है।

आगे खंड १३ द्वारा संविधान के अनुच्छेद २२० का संशोधन करने का प्रयत्न किया गया है जिससे सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को वकालत करने पर प्रतिबन्ध ढीला कर दिया जायेगा। हमें याद है कि इकबाल अहमद बनाम इलाहाबाद बेन्च के मामले में यह प्रश्न उठाया गया था और काफी बहस और विचार-विमर्श के बाद यह प्रतिबन्ध संविधान में रखा गया था। इस खंड में दो संशोधन हैं एक संशोधन पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा रखा गया है जिसमें वकालत केवल उच्चतम न्यायालय तक ही सीमित रखी गयी है और अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत करने के लिये उसी प्रकार प्रतिबन्ध रहेगा। यद्यपि मैं प्रतिबन्ध हटाये जाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं फिर भी मैं उसे अन्य उच्च न्यायालयों तक ढीला करने के बजाय उच्चतम न्यायालय तक ही सीमित रखना अधिक पसंद करूंगा। दो अन्य संशोधन भी हैं। एक यह है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश राज्य सरकारों या संघ सरकार के अधीन कोई कार्यपालिका नियुक्तियां स्वीकार न करे किन्तु केवल न्यायपालिका नियुक्तियां स्वीकार कर सकते हैं। मैं इस संशोधन के सिद्धांत से सहमत हूं। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को कार्यपालिका पदों का आकर्षण हो और यह एक स्वस्थ सिद्धांत है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकार के अधीन कार्यपालिका पदों के लिये आकांक्षा न करें और यदि करें तो केवल न्यायपालिका पदों के लिये ही। अतः मैं इस संशोधन से सहमत हूं।

आगे और एक संशोधन है जिससे यह प्रतिबन्ध उन भाग ख राज्यों के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होगा, जो अभी खतम किये जा रहे हैं। इन न्यायाधीशों को अन्यत्र न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति दी जानी चाहिये। माननीय गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर विचार करेंगे और इस ओर ध्यान देंगे कि उन उच्च न्यायालयों को खतम करने के कारण किसी भी न्यायाधीश को हानि न उठानी पड़े। किन्तु यदि सरकार उन्हें कोई पद न दे सके या न्यायाधीशों को वह पद स्वीकार न हो तो मेरी राय से यही उचित है कि उन्हें वकालत करने की अनुमति दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चि० चा० शाह]

आगे खंड १४ है जिससे अनुच्छेद २२२ का खंड २ निकाल देने का प्रयत्न किया जा रहा है। अनुच्छेद २२२ के खंड २ में यह उपबन्ध है कि किसी न्यायाधीश के स्थानान्तरित होने पर उसे प्रतिकारात्मक भत्ता दिया जायेगा। मेरे विचार से उस उपबन्ध के लिये कोई औचित्य नहीं है। इसलिये यह बिल्कुल उचित है कि वह उपबन्ध निकाल दिया जाये और इसका कारण संशोधन १५ और १०४ मेरी राय में अनावश्यक हैं। अतः खंड १४ यथावत् ही रहना चाहिये।

आगे खंड १५ है जिसमें अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों के बारे में कहा गया है अनुच्छेद २२४ में उपबन्ध है कि कुछ आपात-परिस्थितियों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवा के लिये बुलाया जा सकता है। जहां तक मुझे ज्ञात है, किसी उच्च न्यायालय में उस उपबन्ध से लाभ नहीं उठाया गया है। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कोई स्वस्थ प्रथा नहीं सिद्ध हुई है। वास्तव में यदि काम अधिक है, तो ठीक उपाय यही है कि स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किये जायें, न कि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश कुछ थोड़े समय के लिये नियुक्त किये जायें। सभी उच्च न्यायालयों में बकाया काम बहुत बढ़ा हुआ है और वह एक स्थायी चीज हो गयी है। अनुच्छेद २१६ के अधीन प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की हुई है किन्तु अब वह अनावश्यक है। सरकार को स्थायी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि कोई बकाया काम बाकी न रहे। इसलिये मुझे यह उपबन्ध अधिक पसंद नहीं है और केवल अपवादात्मक मामलों में ही, और न कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिये एक विकल्प के रूप में उसका आश्रय लेना चाहिये।

खंड १६ के संबंध में, वह केवल संबंधित अनुच्छेदों को एक दूसरी प्रकार से लिखा गया है। अतः खंड ११ से १६ बिल्कुल नियमानुसार हैं और खंड १३ में उपर्युक्त दो संशोधनों के अतिरिक्त और कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।

†**श्री दातार** : मेरे मित्र ने बाद में जो बात कही है उस संबंध में मैं श्री चटर्जी के सुझाव के अनुसार एक संशोधन की सूचना पहले ही दे चुका हूं। वह इस प्रकार है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३८ के बाद, जोड़ा जाये--

व्याख्या : इस अनुच्छेद में, "उच्च न्यायालय" में प्रथम अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित किसी राज्य का उच्च न्यायालय, जो संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ के पूर्व विद्यमान हो, शामिल नहीं है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मेरा संशोधन संख्या १०० मेरे तथा श्री वि० घ० देशपांडे के नाम में है। मैं चाहता हूं कि खंड १३ के अन्तिम कुछ शब्दों के स्थान पर ये शब्द रखे जायें :

"उस उच्च न्यायालय में या उसके अधीन न्यायालयों में अथवा न्यायिक या अर्ध-न्यायिक नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई पद स्वीकार न करेगा।"

अनुच्छेद २२० के अधीन, इस संविधान के लागू होने के बाद, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा हो, वह न्यायालयों में या किसी अन्य प्राधिकार के सामने वकालत न कर सकेगा। इसे मैंने पदत्याग कर दिया था किन्तु तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने मुख्य मंत्री डा० राय के जरिये मुझे अपना त्यागपत्र तब तक स्थगित रखने के लिये कहा जब तक कि संविधान सभा में उस पर लंबित अग्रेतर विचार समाप्त न हो जाये। संविधान सभा में अनुच्छेद २२० में कोई परिवर्तन न किया और उसी रूप में उसे पारित किया। इस अनुच्छेद से बहुत कठिनाइ हुई है और मेरी राय से गृह मंत्री इस अनुछेच्द में संशोधन कर तथा भूतपूर्व न्यायाधीशों द्वारा न्यायालयों में या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष वकालत करने पर प्रतिबन्ध हटा कर बहुत ठीक ही कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इससे प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा कि यह आदर्श चीज है कि उच्च न्यायालय का कोई भी भूतपूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। किन्तु हमारा संविधान और हमारे नियम युक्तियुक्त नहीं हैं और हमारे कार्य संविधान के संगत नहीं रहे हैं। हमार मित्र का यह कहना बड़ी विचित्र बात है कि साठ वर्ष की आयु में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवा से निवृत्ति दे दी जानी चाहिये और उसके अनुभव से देश तथा सम्बन्धित न्यायालय को वंचित कर देना चाहिये। हमने संविधान में सत्यनिष्ठा से उच्चतम न्यायालय, भारत के सबसे ऊंचे न्यायालय, के लिये यह अधिनियमित किया है कि सेवानिवृत्ति आयु ६५ वर्ष होगी। अनुच्छेद १२४ में हमने यह उपबन्ध किया है कि उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश ६५ वर्ष की अवस्था न होने तक पद धारण करेगा। संयुक्त समिति में क्या हुआ यह बताना मैं उचित नहीं समझता किन्तु वहां क्या हुआ इसके बारे में कुछ बताये बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने इस बात का अनुसमर्थन किया था। "इसे समता पर रखिये और उन्हें पर्याप्त निवृत्ति-वेतन दीजिये।" आप जानते है कि आज संसार में सबसे बड़ा न्यायालय अमरीका का सुप्रीम कोर्ट है। उस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारे बीच में थ और उन्होंने इस भवन के ऊपर वाले कमरे में जो महत्वपूर्ण भाषण दिया था वह भी आपको याद होगा। उच्चतम न्यायालय के वैधिक वर्ग के सम्मुख भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि वास्तव में मानव स्वतंत्रता का आधार न्यायपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, किन्तु आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पूर्णरूपेण ज्यों के त्यों बनाये रखने पर अत्याधिक ध्यान नहीं दे सकते। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस अनुच्छेद का, जिस रूप में कि यह इस समय है, प्रणाली पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ा है। एक तो यह कि वैधिक वर्ग के सब से अच्छे व्यक्ति स्वभावतः ही न्यायाधीश पद ग्रहण करने में हिचकिचाते हैं जब कि उन्हें यह बताया गया है कि चार-पांच वर्षों में उन्हें यह पद छोड़ देना होगा और साठ वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् वे एक प्रकार से निष्क्रिय बना दिये जायेंगे। वे न तो कोई दूसरी वृत्ति अपना सकेंगे और न किसी अन्य उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत ही कर सकेंगे। यह सीमा या तो ६० वर्ष के बजाय ६५ वर्ष कर दीजिये और उन्हें काफी निवृत्ति-वेतन दीजिये अथवा इस प्रतिबन्ध को हटा दीजिये। मैंने अमरीका के मुख्य न्यायाधीश श्री अर्ल वारेन से पूछा था : "आपकी स्थिति क्या है ?" उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया : "हम न्यायाधीशों को वेतन के बराबर ही निवृत्ति-वेतन देते हैं ; सात वर्षों के पश्चात् निवृत्ति-वेतन और वेतन बराबर हो जाते हैं।" अतः उनके लिये कोई अन्तर नहीं पड़ता। उन्हें कोई अन्य स्थान, नौकरी अथवा जीविका कमाने के साधन के प्रश्न पर सोचने में कोई उत्साह नहीं रह जाता। इंग्लैंड में क्या उपबन्ध है ? मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालय के प्रत्यक न्यायाधीश का वेतन ५,००० पौण्ड है और निवृत्ति-के पश्चात् निवृत्ति-वेतन अब बढ़ा कर ४,००० पौण्ड कर दिया गया है। अतः आय-कर घटा देने के बाद वेतन और निवृत्ति-वेतन लगभग बराबर ही रहता है। हमारा कहना था : "आयु ६५ वर्ष कर दीजिये और काफी निवृत्ति-वेतन दीजिये। और आगे काम करने का सारा उत्साह समाप्त कर दीजिये तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को समान स्तर पर रख दीजिये।" यदि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेते तो ठीक था। उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किये जो बिल्कुल युक्तिहीन नहीं थे और उन्होंने ६५ वर्ष कर देने के हमारे सुझाव को नहीं स्वीकार किया।

यदि आप ६० वर्ष ही आयु बनी रहने देना चाहते हैं तो जब तक आप यह प्रतिबन्ध दूर नहीं करते तब तक भारतीय न्यायपालिका को आप बड़ी हानि पहुंचाने जा रहे हैं। आपको ठीक प्रकार के लोग नहीं मिल सकेंगे। और यह बड़ा आवश्यक है.....

†**श्री व० द० पांडे** (जिला अल्मोडा—उत्तर-पूर्व) : बाद में वे किसी भी विधान मण्डल के सदस्य हो सकते हैं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : हां, वे कुछ मामलों में १०–५ रुपये प्रतिदिन तो कमा ही सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति** : अधिकतम २१ रुपये प्रतिदिन हैं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : धन्यवाद।

मैं बताना यह चाहता हूं कि यह प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिये। आपको चाहिये कि अन्य सभ्य और लोकतन्त्रात्मक देशों की भांति यहां के न्यायाधीशों को भी उसी स्तर पर रख दीजिये अथवा ६५ वर्ष आयु कर दीजिये और अधिक निवृत्ति-वेतन दीजिये।

मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि मुख्य न्यायाधीशों को बड़ी कठिनाई होती है। जब से यह चीज हुई है तब से मुख्य न्यायाधीशों के पद के लिये अच्छे प्रकार के लोग नहीं मिल पाते क्योंकि जिन लोगों की वकालत बहुत अच्छी चलती है वे सेवा में आना पसन्द नहीं करते।

आज अच्छे वकीलों की अपनी वृत्ति से आय और न्यायिक वेतन में बड़ा अन्तर है। किन्तु स्वतन्त्र भारत में लोगों को कुछ न कुछ त्याग करना चाहिये। आपको अच्छे व्यक्ति तभी मिल सकेंगे जब कि आप यह प्रतिबन्ध हटा दें।

इस सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव किया है कि जिस उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश रह चुका हो, निवृत्ति के पश्चात् उसे उस न्यायालय अथवा उसके अधीन न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। किन्तु संयुक्त समिति का संशोधन इससे भी आगे कुछ और है। प्रस्तावित अनुच्छेद २२० में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त और कहीं भी वकालत नहीं कर सकेगा।

मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की चीज उचित नहीं है। अन्य किसी न्यायाधिकरण के सम्मुख वकालत करने के मामले बहुत ही कम होंगे। हमारे संविधान के अधीन निर्वाचन आयुक्त की स्थिति बहुत कुछ उच्चतम न्यायालय की तरह है। उस पर किसी प्रकार का कार्यपालिका का नियन्त्रण नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिये कि कोई संसद् सदस्य उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को निर्वाचन आयोग के सम्मुख प्रस्तुत कराना चाहता है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह न्यायोचित होगा ?

अतः मैं चाहता हूं कि अत्याधिक नियंत्रण न लगाये जायें। केवल यह कहना ठीक नहीं कि यदि भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायपालिका के सम्मुख वकालत करने आयेगा तो न्यायाधीशगण उसके पक्ष में निर्णय दे देंगे। मैं यह बात अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं।

बंगाल के महाधिवक्ता और श्री पी० आर० दास० मेरे न्यायालय में कई दिनों तक आते रहे, तो क्या मैंने कभी इस विचार से उनकी सहायता करने की कोशिश की कि श्री पी० आर० दास पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं ? यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखकर पक्षपातपूर्ण न्याय देता है तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाये जाने के योग्य नहीं है। इसी प्रकार डा० राधा विनोद पाल का उदाहरण ले लीजिये जो अनेक विधियों के लिये सुप्रसिद्ध हैं। वे भी आय-कर के कुछ मामलों में न्यायालय में आये। किन्तु हम लोगों के मस्तिष्क में कभी ऐसी बात नहीं आई कि चूंकि वह मेरे न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, अतएव उनके पक्ष में निर्णय दिया जाये। मेरा निवेदन है कि इस चीज को जरूरत से ज्यादा महत्ता दी जा रही है।

मेरा सुझाव बड़ा निष्पक्ष है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री फ्रैंक एन्थनी तथा कुछ अन्य मित्र यह महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय न्यायपालिका का स्वतन्त्रता के बारे में पहले वाला स्तर अब नहीं रह गया है। जैसा कि अमरीका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, केवल संविधान बना लेना ही सब कुछ नहीं है, उसे कार्यान्वित भी किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

आप उसे किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे। जब तक कि पूर्णरूपेण स्वतन्त्र न्यायाधीश नहीं होंगे तब तक आप मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकेंगे ? यदि आप इन लोगों पर मंत्रियों आदि का जोर डलवाने का प्रयत्न करेंगे तो वास्तव में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा तो कहना यह है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा कर आप उन्हें निष्क्रिय बना रहे हैं।

अतः आप यह विधि बनाइये कि उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश कार्यपालिका के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। ऐसा होने पर ही भारतीय न्यायापालिका की जो उच्च परम्परा इतने समय से बनी हुई है, कायम रह सकेगी अन्यथा नहीं।

गत वर्ष राष्ट्रमण्डलीय विधि सम्मेलन में भारतीय न्यायपालिका की जो प्रशंसा की गई उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। न्यायाधीश श्री डगलस ने "मार्शल से लेकर मुकर्जी तक" नाम एक पुस्तक लिखी थी जिसमें मुकर्जी को उन्होंने मार्शल की कोटि में रखा था। यह बड़े आदर और महत्व की चीज है। अतः जब अमरीका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह कहते हैं कि हमारे यहां के निर्णय अमरीका के न्यायालयों में बड़े आदर के साथ पढ़कर सुनाये जाते हैं तो यह बड़े गौरव और सम्मान की बात है।

किन्तु यदि आप न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियन्त्रण से मुक्त नहीं करते तो न्याय-पालिका का वह आदर बना नहीं रह सकता। अतः आपको चाहिये कि भूतपूव न्यायाधीश को किसी न्यायाधिकरण का सभापति अथवा किसी अन्य न्यायिक पद पर नियुक्त करें, राज्यपाल न बनायें। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, किन्तु उन्हें जहां तक हो राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिये। मैंने डा० काटजू से, जब वह गृह-कार्य मंत्री थे, इस बारे में अपील की थी, किन्तु अन्त में उन्होंने भी यही कहा कि भूतपूर्व न्यायाधीश राज्यपाल के पद के लिये आदर्श व्यक्ति है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या उच्च न्यायालय को भूतपूर्व न्यायाधीशों के अतिरिक्त राज्यपाल के पद के लिये और कोई योग्य व्यक्ति है ही नहीं। ईश्वर के लिये भले ही आपको उन आदर्श व्यक्तियों की कुर्बानी करनी पड़े किन्तु उन्हें कम से कम राज्यपाल न बनाइये, ऐसा मेरा अनुरोध है।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री दातार ने हमारे संशोधन संख्या १०३ के सुझावों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया है।

मैंने संयुक्त समिति में इस बात का अनुसमर्थन किया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दो-तीन वेतन-वर्ग नहीं होने चाहियें। पेप्सू और त्रावणकोर-कोचीन के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कम वेतना मिलता है। राजस्थान में अभी तक कई वेतन-क्रम थे जिनमें वृद्धि कर अब २,००० रुपये वेतन कर दिया गया है। न्यायाधीश वांच जब राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुये थे तो उन्हें कुल मिलाकर ४,४०० रुपये वेतन मिलता था।

अतः मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब आप क, ख, ग और घ श्रेणी के राज्यों के बीच के बनावटी अन्तर को दूर करना चाहते हैं तो फिर सारे राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी आपको समान स्तर पर लाना चाहिये। इस पर गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसकी जांच-पड़ताल करवाना चाहूंगा। हमने उनकी यह शर्त मान ली थी।

मैं मुख्य न्यायाधीश को बहुत समय से जानता हूं। वह मेरे साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में रह चुके हैं। अब धीरे धीरे उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस जांच-पड़ताल से ये न्यायाधीश बड़े घबराये हुये से हैं। इनमें से कुछ ने काफी अच्छा कार्य कर दिखाया है। अब मान लीजिये की पेप्सू अथवा राजस्थान के कुछ न्यायाधीश हटा दिये जाते हैं। ऐसी दशा में उचित यही है कि नियंत्रण उनके बारे में लागू नहीं होना चाहिये क्योंकि उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि वे सेवा में बने रहेंगे। मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री भी यही चाहते हैं कि न्यायपालिका का स्तर ऊंचा हो जिसके लिये यह मांग सर्वथा उचित है।

मैं श्री शाह के कथन से सहमत हूं कि उन्हें कारुण्य भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** प्रतिकरात्मक भत्ता।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** हां, प्रतिकरात्मक भत्ता।

मैं श्री फ्रैंक एन्थनी के संशोधन संख्या ३० के पूर्णतया पक्ष में हूं जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के कुल सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य राज्य के बाहर के होने चाहियें।

मुझे आशा है कि उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यदि एक-तिहाई सदस्य राज्य के बाहर के हों तो अवांछनीय चीजें नहीं हो सकेंगी। प्रादेशिक भावना को न्यायपालिका में स्थान नहीं दिया जाना चाहिये।

मैंने सर आइवर जेनिंग्स के भारतीय संविधान पर भाषण पढे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका वाले अध्याय और विशेषकर उच्च न्यायालयों से सम्बन्धी अध्यायों को संविधान में नहीं रखा जाना चाहिये था।

उन्होंने अनुच्छेद २२४ का एक उदाहरण इस बारे में दिया है कि निवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में बैठने के बारे में संविधान में संरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी।

सर आइवन जेनिंग्स के कथन में काफी सत्यता हो सकती है। उन्होंने लंका के संविधान का प्रारूप बनाया। वह एक विशेषज्ञ समझे जाते हैं। गलत हों या सही किन्तु हमारे संविधान में इनके उपबन्धों का उल्लेख किया गया है। यदि यह अध्याय उसमें है तो मैं यह सुझाव देता हूं कि फ्रैंक एन्थनी के कथन में काफी शक्ति है। इससे न्यायपालिका का स्तर ऊंचा होगा, वकील आदि अधिक प्रसन्नता अनुभव करेंगे तथा इससे झगड़ा करने वाली जनता में अधिक विश्वास उत्पन्न होगा।

आखिर आप कितने स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करेंगे ? आप को न्यायालयों में पड़े बकाया काम को समाप्त करने के लिये अतिरिक्त तथा कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करने पड़ेंगे।

†**श्री देवेश्वर शर्मा** (गोलाघाट-जोरहात) : छुट्टियां कम कर दीजिये।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** अगर आप छुट्टियां कम कर दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। परन्तु यह एक गलत धारणा है कि हिन्दुस्तान में छुट्टियों की अधिकता के कारण न्यायालयों में काम जमा हो जाता है। कदाचित् आपको अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश के इस कथन से कुछ भ्रान्ति हो गई है कि अमरीका में जब तक सब कार्य समाप्त न हो जाये तब तक न्यायालयों में छुट्टियां नहीं होती हैं। हमारी और उनकी स्थिति सर्वथा भिन्न है। वहां पर १६०० में से १३५० अपीलों को न्यायाधीश अपने कमरे में ही बैठ कर बिना किसी सुनवाई के निर्णय कर देते हैं। किन्तु भारत में ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे न्यायालय इससे सर्वथा भिन्न परम्पराओं में पले हैं। यहां संविधान के अनुच्छेद ३२ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिये सुनवाई अथवा पूर्ण अवसर देने का विधान किया गया है। दूसरे, अमरीका में उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालयों का

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। वे केवल नीचे के न्यायालयों द्वारा ही अपील न्यायालयों तक पहुंच सकते हैं। किन्तु भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिये अनुच्छेद ३२ के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय में पहुंच सकता है। इस प्रकार मेरा निवेदन है कि हम अमरीका की भांति न्याय का निपटारा नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों देशों की न्यायिक मान्यताएं तथा परंपरायें एवं संविधान आदि भिन्न हैं।

अब मैं एक और बात को लेता हूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि श्री दातार ने राज्य-सभा में किस लिये ऐसा कहा है कि भारत के विधिजीवी (बार) लोक भावना से इतने शून्य हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को भी मानने से इन्कार कर रहे हैं। मुझे तो आज तक इसका कोई उदाहरण नहीं मिला है और न ही इससे पहले मैंने कभी यह बात सुनी है। इसके विपरीत बार वालों की शिकायत है कि यह केवल न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों के निर्णयों की ही परीक्षक मात्र रह गई है। मैं समझता हूं कि श्री दातार का यह आ ेप ीक नहीं है। बल्कि हमारे देश की बार को तो यह इच्छा है कि यहां भी अमरीका की भांति लोक जीवन से प्रसिद्ध व्यक्ति आयें और इसकी प्रतिष्ठाओं को चार चांद लगायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड ११ से १६ तथा खंड २०(क) और खंड २५ पर निम्नलिखित संशोधन रखे जाने की सूचना मिली है :

खंड ११	संशोधन संख्या	३०, १४२
११ क	”	९९
१२	”	१०, १४३ (वैसा ही जैसा कि १०), ११, ७४ (वैसा ही जैसा कि ११), १४४, १६३ (वैसा ही जैसा कि ११) और १४५
१३	”	१४६, १२, १००, १७२, १३, १०१, १४७ (वैसा ही जैसा कि १०१), १०२, १६४, १०४, १४, १०३ और २१३
१४	”	१५ और १०४
१४(क) (नया)	”	१९३
१५	”	१६, १४८, १६५, १०५, १७, ७६ (वैसा ही जैसा कि १७), १६६ (वैसा ही जैसा कि १७) और १४९
१६	”	१०६, १०७, १८, ३९
२० क	”	३१, १५०, २५ और २६
२५	”	२१४

†मूल अंग्रेजी में

इसके पश्चात् खंड ११ तथा खंड ११-क, खंड १२, १३ तथा खंड १४९ के संबंध में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :

खंड संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
खंड ११ (अनुच्छेद २१६ का संशोधन)	श्री फ्रैंक एन्थनी	३०
	श्री हेमराज	१४२
नया खंड ११ क	श्री श्री नारायण दास	९९
खंड १२ (अनुच्छेद २१७ का संशोधन)	श्री क० कु० बसु	१०
	श्री न० रा० मुनिस्वामी	१४३
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	११
	श्री कृष्णाचार्य जोशी	१४४
	श्री कामत	१६३
	श्री कृष्णाचार्य जोशी	१४५
खंड १३ (अनुच्छेद २२० के स्थान पर नया अनुच्छेद रखा जाना)	श्री न० रा० मुनिस्वामी	१४६
	श्री बी० कि० रे	१२
	श्री नि० चं० चटर्जी	१००
	श्री र० द० मिश्र	१७२
	श्री क० कु० बसु	१३
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	१०१
	श्री कृष्णाचार्य जोशी	१४७
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	१०२
	श्री कामत	१६४, १९४
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	१४
	श्री नि० चं० चटर्जी	१०३

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३८ के पश्चात् यह जोड़ा जाए :

"Explanation—in this article, the expression 'High Court' does not include a High Court for a State specified in part B of the First Schedule as it existed before the commencement of Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956."

["व्याख्या—इस अनुच्छेद में उल्लिखित 'उच्च न्यायालय' में प्रथम अनुसूची, जिस रूप में कि वह संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ के लागू होने से पहले विद्यमान थी, के भाग ख में उल्लिखित उच्च न्यायालय नहीं सम्मिलित है ।"]

निम्नलिखित और संशोधन प्रस्तुत किये गये :

खंड संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
खंड १४ (अनुच्छेद २२२ का संशोधन)	श्री क० कु० बसु	१५
	श्री नि० चं० चटर्जी	१०४
नया खंड १४ क	श्री कामत	१९३
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	१६
	श्री न० रा० मुनिस्वामी	१४८
	श्री कामत	१६५
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	१०५
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	१७
	पंडित ठाकुर दास भार्गव	७६
	श्री कामत	१६६
	श्री न० रा० मुनिस्वामी	१४९
खंड १६ (अनुच्छेद २३० से २३२ तक के अनुच्छेदों के लिये नये अनुच्छेद रखना)	श्री श्री नारायण दास	१०६

†**श्री च० रा० नरसिंहन** (कृष्णगिरी): मैं अपना संशोधन संख्या ३९ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नवीन खण्ड २० क

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हेम राज** : मैं अपना संशोधन संख्या १५० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रा० ना० सिंह देव** (कालाहांडी-बोलनगिर) : मैं अपने संशोधन संख्या २५ तथा २६ प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड २५—(द्वितीय अनुसूची का संशोधन)

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १३ में पंक्ति २८ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :

"(ii) for sub-paragraphs (3) and (4), the following sub-paragraphs shall be constituted, namely :

'(3) Any person, who immediately before the commencement of the constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, was holding office as The Chief Justice of the High Court of State specified in Part B of the First Schedule and has on such commencement become the Chief Justice of the High Court of State Specified in the said Schedule as amended by the said Act, shall, if he was immediately before such commencement drawing any amount as allowance in addition to his salary, be entitled to receive in respect of time spent on actual service as such Chief Justice, the same amount as allowance in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraphs'."

["उपकंडिका (३) और (४) के स्थान पर निम्न उपकंडिका रखी जाये :

"(३) कोई व्यक्ति जो, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ के आरम्भ होने के तुरन्त पहले, प्रथम अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदधारी था तथा यदि वह इसके आरम्भ होने पर उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अनुसूची में उल्लिखित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन गया ह तो यदि वह इस अधिनियम के आरम्भ होने के पहले वह अपने वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में कोई रकम ले रहा हो तो इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधिपति के पद पर यथार्थ सेवा वाले समय के लिये वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में उतनी ही रकम का अधिकारी होगा"।]

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खंड १२ में, मैंने अपने संशोधन से ६० वर्ष के स्थान पर ६५ वर्ष रखना चाहा है तथा खंड १३ में मैं चाहता हूं कि अन्य 'उच्च न्यायालय' शब्द हटा दिये जायें तथा ये शब्द रख दिये जायें कि किसी प्रदेश के किसी न्यायालय में अस्थाई रूप से अथवा स्थाई रूप से उसका सम्बन्ध दिन से उसको वहां प्रेक्टिस करने की अनुमति न दी जाये।

जैसा कि श्री शाह ने बताया संविधान बनाते समय हमने इस मामले पर विस्तृत रूप से विचार किया था तथा यह निर्णय किया था कि ६० उचित आयु है तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। उस समय भी यह समझा गया कि इस पर निश्चित राय नहीं की जा सकती है। मैं यह नही समझ सका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ६५ वर्ष की आयु तक पद पर क्यों रहने दिया जाए जब कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ६० वर्ष की

†मूल अंग्रेजी में

आयु तक ही पद पर रहने की अनुमति हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीश का वेतन समान है। और जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, उच्च न्यायालय से ही नियुक्त किये जाते हैं तब इन न्यायाधीशों के पद पर रहने की आयु समान क्यों नहीं रखी गई है। मेरा विचार है कि जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं तब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी ६५ वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं।

अन्य सरकारी कर्मचारियों की भी आयु ५५ से ५८ वर्ष कर दी गयी है तथा बढ़ोत्तरी भी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में हमारा पूर्ण विश्वास होता है तथा उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनकी शारीरिक अवस्था का ध्यान रखना चाहिये। इसलिये मेरा विचार है कि यह आयु ६५ वर्ष कर देनी चाहिये। मेरा यह भी विचार है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलनी चाहिये।

जैसा कि आपने कहा था, न्यायालय में हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिये तथा यह तभी संभव है जब न्यायपालिका पूर्णतया स्वतंत्र हो। यह तभी संभव है जब न्यायाधीशों को राज्यपाल नियुक्त न किया जाए यह बात नहीं है कि वह उस पद पर काम ठीक नहीं कर सकते हैं। परन्तु उनके संबंध में जनता यह समझेगी कि न्यायाधीश का काम करते हुए वे सरकार की ओर देखते हैं।

'अन्य उच्च न्यायालयों' के संबंध में मेरे दो संशोधन हैं, में पहले संशोधन से 'और अन्य उच्च न्यायालय' शब्द हटाना चाहता हूं। यह तभी संभव है जब आयु ६५ वर्ष कर दी जाये। परन्तु यदि यह आयु ६० वर्ष रखी जाये तो उनको उच्चतम न्यायालय तथा जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहे हों उस को छोड़ कर अन्य उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाय। यह लोकहित में होगा।

खंड १५ के संबंध में मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि उपखंड (३) अनावश्यक है क्योंकि खंड १२ में दिया है कि अनुच्छेद २२४ के अनुसार वह एक अतिरिक्त अथवा कार्यकारी न्यायाधीश के पद पर ६० वर्ष तक रहेगा। इस उपखण्ड ३ को खंड १५ के हटाने से कोई हानि नहीं होती है।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : मैंने दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। एक खंड ११ पर संख्या ३० है। मैंने यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसके सम्बन्ध में सिफारिश की है कि राज्य के मुख्य पदाधिकारियों को जनता का विश्वास हो तथा उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश राज्य के बाहर के हों।

मेरा विचार है कि संयुक्त समिति ने इस पर पूर्णतया विचार नहीं किया था। आपसी वाद-विवाद में आयोग की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार नहीं हुआ तथा उनमें से एक यह भी है।

श्री शाह इस सिद्धान्त से सहमत है और मैं विधी-कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं श्री चटर्जी से सहमत हूं कि न्यायाधीशों कि नियुक्ती संबन्धी इन सब उपबन्धों को अनुच्छेद २१६ क एक भाग के रुप में संमिलित किया जाना चाहिये।

अनुच्छेद २१६ में राष्ट्रपति को न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। परन्तु मुझे मुख्य मंत्रीयों या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की मंत्रणा में विश्वास नहीं है। क्यों कि राजनीतिक या प्रादेशिक आधारों पर नियुक्तियां होने का भय है। स्वतंत्रता की आधार शिला न्यायपालिका को ऐसे गौण आधारों पर स्थापित किया नहीं जाना चाहिये। इसके लिये तो स्थिरता और दृढ़ता की आवश्यकता है। अतः हमें इस प्रांतीयता को रोकने के लिये संविधान में इस उपबंध को जोड़ना चाहिये।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

श्री चटर्जी ने कहा है कि सेवा निवृति के पश्चात् न्यायाधीशों को आधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने की अनुमति दी जानी चाहिये। संविधान बनाते समय इस प्रश्न पर खूब विचार किये जाने के बाद यह तय हुआ था कि न्यायपालिका के मान और ईमानदारी को कायम रखने की दृष्टि से न्यायधीशों को विधि व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अतः मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हूं। अपितु मैं यह मानता हूं कि सेवानिवृत्ति की आयु ६५ या ७० वर्ष तक बढ़ा दी जाये और उन्हें अधिक उदारतापूर्वक पेंशन दी जाये। न्यायपालिका की ईमानदारी और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये ऐसा किया जाना आवश्यक है क्यों कि हम सब मनुष्य हैं और यह सत्य है कि न्यायाधीश के पद से निवृत्त होने वाले व्यक्ति का प्रभाव बना रहता है। यदि उनको विधि व्यवसाय करने दिया जायेगा तो न्यायपालिका का मान कायम नहीं रह सकता है। आज की इसी प्रतियोगिता के समय में भूतपूर्व न्यायाधीशों के अपने आर्दशों से गिर कर साधारण स्तर पर आ जाने की संभावना है। इस से समस्त न्यायपालिका का नाम बदनाम हो जायेगा और उस का मान गिर जायेगा तथा उसकी कटु आलोचना होने लगेगी।

आज हम जो कुछ करते हैं उस से निश्चय ही हमारी न्यायपालिका का मान और आदर उस का पन्द्रह वर्ष पहले के मान और आदर से कम हो गया है। इस का एक कारण यह है कि भूतपूर्व न्यायाधीश वकीलों और मुकद्दमें बाजो के बीच आकर विधि व्यवसाय करने लगता है।

निर्णयों की आलोचना तो होती ही है। लोग सोचने लगते हैं कि अमुक न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात् अमुक फर्म में काम करन की सोच रहा है इस लिये ऐसा निर्णय दे रहा है। इस प्रकार न्यायाधीश गलत या सही आलोचना के पात्र बन जाते हैं। इस लिये मैं विधि व्यवसाय करने की अनुमति दिये जाने का विरोध करता हूं। उन्हें स्वस्थ रहने की अवस्था में ६५ या ७० वर्ष तक काम करने दिया जाय और अच्छी पेशंन दी जाये परन्तु सिद्धान्त के नाते मैं उन्हें विधि व्यवसाय करने की अनुमति दिये जाने का कभी समर्थन नहीं करूंगा।

श्री चटर्जी ने कहा है कि आजकल न्यायाधीश इस आशा से मंत्रीयों आदि के पीछे पीछे फिरते देखे जाते हैं कि उन्हें कार्यपालिका या राजनैतिक अधिमान प्राप्त हो जाएगा। यह सर्वथा गलत है। न्यायाधीश चाहे ऐसा न भी सोचते हों, परन्तु जनता और वकील लोग तो ऐसे अवश्य सोचने लगते हैं कि अमुक न्यायाधीश कोई ऊंचा पद पाने की इच्छा से सरकार के पक्ष में निर्णय दे रहा है। मुझे इसी बात पर सब से बड़ी आपत्ति है। क्या सरकार के पास कार्यपालिका के लिये अन्य लोग नहीं हैं कि वह न्यायाधीशों की ओर देखे। इस से समस्त न्यायपालिका का मान और गरिमा नष्ट हो सकती है। इस लिये मैं विधि-मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इन दोनों संशोधनों पर ध्यान दें कि एक-तिहाई न्यायाधीश बाहर से लिये जायें और भूतपूर्व न्यायाधीशों को कार्यपालिका पदों पर नियुक्त न किया जाए।

मेरे संशोधन संख्या ३१ का आशय एक नवीन खण्ड २० क को समाविष्ट करना है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस देश की एकता को बनाने की दृष्टि से यह सिफारिश की है कि भारतीय इंजीनियर सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें स्थापित की जानी चाहिये। देश की अखण्डता और एकता के लिये यह सिफारिश लाभदायक है, अतः हमें इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

इस सिफारिश का क्या हुआ? सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है? मैं देखता हूं कि अखिल भारतीय सेवाओं में अब प्रान्तीयता और प्रादेशिकता आ चुकी है। रेलवे में उत्तर प्रदेशवाद बड़ा फैल रहा है। उत्तर प्रदेश वाले अपने प्रान्त के लोगों को भर्ती कर रहे हैं और बंगाली तथा मद्रासी अपने प्रान्तों के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्रालय में यह हो रहा है। अखिल भारतीय सेवाओं में इस प्रकार की मनोवृत्ति का होना देश के लिये बहुत खतरनाक है। हम परोक्ष या अपरोक्ष रूप से केन्द्र प्रसारी शक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे है, और ये शक्तियां देश की एकता को नष्ट कर रही हैं।

हमें इस प्रवृत्ति को रोकना होगा अखिल भारतीय सेवायें प्रदेशिक हो गई हैं और परिणामतः हमारा प्रशासन दिन प्रति दिन कमजोर होता जा रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों में इन बुराईयों का हल है, परन्तु दुःख की बात है कि हम इन्हें भूले जा रहे हैं। न्यायपालिका के सुदृढ़ बनाये जाने के संबंध में आयोग नें निश्चित सिफारिशें की हैं। प्रशासन को मजबूत बनानें के लिये उसने अखिल भारतीय सेवाओं की अधिक पदालियों की सिफारिश की है। इस अनुच्छेद २१२ में कुछ अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है।

मैं अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का उल्लेख करना भूल गया हूं। शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय स्तर से नीचे गिर कर दल बन्दी के स्तर पर आ गया है। मैं अपील करूंगा कि हमें आयोग की इन सिफारिशों को अवश्य कार्यान्वित करना चाहिये, ताकि देश में प्रशासन सुदृढ़ हो और देश के वियोजन का जो क्रम चल रहा है वह बन्द हो। हमें इस दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही करनें की आवश्यकता है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मेरा खण्ड १३ के संबंध में संशोधन संख्या १४ स्वीकार हो चुका है अतः मैं उस बारे मे अधिक नहीं कहूंगा। संविधान लागू करते समय भाग 'ख' में के राज्यों के कुछ न्यायाधीशों को एक या दो वर्ष के लिये नियुक्त करके उस अवधि की समाप्ति पर उन्हें हटा दिया गया था और उन्हें विधि व्यवसाय करनें देनें आदि के बारें में कोई उपबंध नहीं किया गया था। इसका कोई कारण मेरी समझ में नही आता है कि ऐसा क्यों किया गया है। इस स्थिति को दूर करने के लिये मैंने संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत किया है। परन्तु सरकार नें उस रूप में स्वीकार न करके दूसरा संशोधन रखा है और एक व्याख्या भी जोड़ दी है। मैं पूछता हूं कि यह व्याख्या क्यों जोड़ी गई है। और मेरा संशोधन क्यों स्वीकार नहीं किया गया ? यदि हम परन्तुक जोड़ना चाहते हैं, तब व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे संशोधन में कोई अस्पष्टता नहीं है, अतः व्याख्या अनावश्यक है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे संशोधन की भाषा में परिवर्तन करनें की कृपा न करें।

सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को न केवल उन्हीं न्यायालयों में अपितु अन्यत्र भी विधि व्यवसाय करने की अनुमति देना उचित नहीं है। क्योंकि न्यायधीश के नाते उनका बड़ा ऊंचा स्थान रहा होता है और सेवा निवृति के बाद उन्हें माभूली लोगों के मुकाबले में विधी व्यवसाय करने देना उचित नहीं है। इस से न्यायापालिका के मान और सम्मान के गिर जाने की संभावना है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिये ६० वर्ष की आयु की जो सीमा रखी गई है, यह ठीक नहीं है। सेवा निवृत्ति होने के बाद लोग घर बैठना नहीं चाहते, अपितु कुछ काम करना चाहते हैं। इस लिये मेरा सुझाव है कि उन्हें ६५ वर्ष की आयु तक काम करने दिया जाए और यदि वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिये अधिक परिश्रम के साथ काम करना चाहते हो, तो इस के बारे में कोई उपबन्ध किया जाना चाहिये। जब तक न्यायाधीश काम करना चाहे या काम करने के लिये असमर्थ न हो जायें तब तक उन्हें सेवा से निवृत नहीं किया जाना चाहिये।

दूसरे मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के स्थापित किये जानें के समय से लेकर अब तक किसी भी विधि व्यवसायी को न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। यह हमारी सरकार और संविधान के कार्य करण पर एक आरोप है।

विधि जीवी वर्ग में से न्यायाधीशों की नियुक्तियां करनें सें उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस से उच्चतम न्यायालय में कार्य करनें वाले अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। उन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये जो बिना उपयुक्त अर्हता और विधि के ज्ञान के उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश बन गये हैं। इनकी नियुक्तियां करते समय सरकार को बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये और राष्ट्रपति को भी इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रणा देनी चाहिये कि विधि-जीवी वर्ग में से नियुक्तियां की जायें।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

मैंनें खंड १५ में संशोधन संख्या १६ को सूचना दी है। अनुच्छेद २२४ में संशोधन करने का जो प्रस्ताव किया गया है उसके अनुसार यदि राष्ट्रपति अनुभव करें कि किसी उच्च न्यायालय का कार्य बढ़ जाने के कारण न्यायालयों में दो वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिये अन्य न्यायाधीश नियुक्त किये जानें चाहिये तो वह ऐसा कर सकता हैं। यदि विधि जीवी वर्ग में से कोई अर्ह व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है तो पदावधि समाप्त होनें पर जब वह वापिस आता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है जिसका उसके व्यवसाय पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इस लिये मेरा निवेदन है कि जब अस्थायी नियुक्तियां की जानीं हों तो वह उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत न्यायाधीशों में से की जायें। ताकि उनकी सेवाओं को भी काम में लाया जा सके और किसी नये व्यक्ति को केवल उसके व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के विचार से ही नियुक्त न किया जाये।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से सहमत हूं कि अनुच्छेद २२४ में यह संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ६० वर्ष की आयु के पश्चात उच्च न्यायालय मे नियुक्त किया गया कोई अपर अथवा कार्यकारी न्यायाधीश सेवायुक्त नहीं रहेगा क्यों कि अनुछेद २१७ में पहले ही यह उपबन्धित है।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम): इन खंडों के संबंध में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमे से अनेक से मैं सहमत नहीं हूं।

कुछ संशोंधनों में यह सुझाव दिया गया है कि सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ा कर ६२ वर्ष कर दी जाय और कुछ एक में ६५ वर्ष का सुझाव दिया गया है। श्री चटर्जी नें अन्य देशों में सेवा-निवृत्त की आयु का उल्लेख किया परन्तु इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्य देशों की अपेक्षा भारतीयों कि औसत आयु संसार के अधिकांश देशों से कम है। यदि कोई सीमां निश्चित की जाती है तो वह युक्तियुक्त होनी चाहिये। संविधान में ६० वर्ष की आयु की व्यवस्था की गई है और मैं इसे ठीक समझता हूं। अन्य सेवाओं में सेवा-निवृत्ति की आयु ५५ वर्ष है और जिला न्यायाधीश भी ५५ वर्ष की आयु होने पर सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। यदि श्री चटर्जी विधि जीवी वर्ग में से किसी की राय पूछें तो कोई भी व्यक्ति आयु सीमा के बढ़ाये जाने के पक्ष में नहीं होगा। यदि इसे बढ़ा कर ६५ वर्ष कर दिया जाता है तो इसका यह अर्थ होगा कि आगामीं कम से कम पांच वर्ष तक न तो विधि जीवी वर्ग में से कोई नियुक्ति की जा सकेगी और न ही किसी जिला न्यायाधीश की पदोन्नति करके उसे उच्च-न्यायालय में नियुक्त किया जायेगा। क्या श्री चटर्जी देश में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं? इसी कारण हमें उनकी यह राय पसन्द नहीं है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी**: माननीय सदस्य मेरी बात ठीक से नहीं समझे हैं। मैंनें यह कहा था कि उच्च न्यायालय और उच्चतम-न्यायालय में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। इन दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु सीमां एक जैसी होनी चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस**: कई लोगों का विचार है कि अच्छे व्यवसाय वाले विधि जीवी व्यक्ति उच्च-न्यायालय और उच्चतम-न्यायालय में न्यायाधीश होना पसंद नियुक्त नहीं करेंगे, परन्तु मेरे विचार से न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें काफी आकर्षक है। हमनें मुख्य-न्यायाधिपति का वेतन ४,००० रुपये और न्यायाधीशों का वेतन ३,५०० रुपये निश्चित किया है जो देश में आपके सामान्य स्तर को देखते हुए किसी प्रकार भी कम नहीं हैं, अतः नियमों को अधिक नम्र बनाने की मैं कोई आवश्यकता नही समझता।

अतिवयस्कता आयु बढ़ानें का मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी होती है परन्तु उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां करने के लिये अर्ह और योग्य व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है।

अब मैं इस प्रश्न को लेता हूं कि क्या न्यायाधीशों को विधि व्यवस्था करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये या नहीं। संविधान संशोधन विधेयक में तो केवल यही प्रतिबन्ध लगाया गया है कि न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय में जहां वे न्यायाधीश थे और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में विधि

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। श्री चटर्जी चाहे कुछ भी क्यों न कहें परन्तु मनुष्य की मनोवृति कुछ इस प्रकार की है कि उस विधि व्यवसायी के प्रति जो सेवा निवृत्त न्यायाधीश हो प्रत्यक्ष रूप से पक्षपात भले ही न किया जाये परन्तु फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव न्यायालय पर अवश्य पड़ेगा और सामान्य विधि व्यवसायियों की अपेक्षा उसकी बात पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। हम ने देखा है कि लोग अपना मुकदमा उस वकील को देना चाहते हैं जो पहले न्यायाधीश रह चुका हो क्यों कि इसमें उन्हें मुकदमा जीतनें की आशा अधिक रहती है। जैसा कि पंडित भार्गव नें कहा हमें जनता में इस प्रकार की भ्रान्ति नहीं होने देनी चाहिये ।

मेरा विचार है कि हमें सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों के पुनः नियुक्त किये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। राज्य पुनर्गठन आयोग के सभापति उच्चतम-न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश ही थे। उन्हों नें बड़े सन्तोषजनक ढ़ंग से कार्य किया और अन्य अवसरों पर देश को इन सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं से लाभ उठाना चाहिये। औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक में हमनें यह उपबंध किया है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय का कोई स्थायी अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किया जाये। अन्य कई विधेयकों में भी ऐसे उपबंध रखे गये हैं। उनकी नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये। हमें बचाव यह करना है कि उच्च न्यायालय में काम करते समय कार्यपालिका का उनपर किसी प्रकार का प्रभाव न रहे। इसके लिये संविधान में यह उपबंध किया गया है कि सभा की अनुमति के बिना उन्हें हटाया नही जा सकता है। अतः मैं एक संशोधन के अतिरिक्त जो भाग 'ख' में के राज्यों के उच्च न्यायालयों में उन न्यायाधीश को जिन्हें नये उच्च न्यायालयों में नियुक्त नहीं किया जायेगा, विधि व्यवसाय करनें के लिये प्राधिकृत करता है, अन्य सब संशोधनों का विरोध करता हूं।

†**श्री कामत**: मैंनें कई संशोधनों की सूचना दी थी परन्तु मैंने केवल संशोधन संख्या १६३ १६४, १६५, १६६, १९३ और १९४ प्रस्तुत किये है ।

लोक सभा को भलीभांति विदित है कि हमने अपने संविधान की प्रस्तावना के चार महान सूत्रों में न्याय को सर्व प्रथम स्थान दिया है । यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि स्वतन्त्र और शक्तिशाली न्यायपालिका लोकतन्त्र का आधार स्तम्भ होती है। अतः भारतीय सम्पूर्ण सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का हित इसी में है कि हम न्यायपालिका की शक्ति और स्वतन्त्रता को बनाये रखें । गत कुछ वर्ष से यह शिकायत है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उतने योग्य व्यक्ति नहीं रहे हैं जितने कि आज से १० या १५ वर्ष पूर्व हुआ करते थे । यह बड़े दुःख की बात है कि लोगों की इस प्रकार की धारणा बन गई है । हमें समय पर कार्यवाही करके न्यायपालिका के स्तर को गिरने से बचाना चाहिये । मेरे स्वर्गीय मित्र श्री के० टी० शाह ने संविधान सभा में इस प्रकार का एक संशोधन रखा था परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे न्यायाधीशों को किसी कार्यपालिका पद का लालच नहीं दिया जाना चाहिये । इससे भ्रष्टाचार फैलता है । उन्हें पथ भ्रष्ट होने से बचाने के लिये यह जरूरी है कि उनका वेतन पर्याप्त हो । मुझे प्रसन्नता है कि उनका वेतन काफी अच्छा है । दूसरे यह कि सेवा-निवृत्ति के पश्चात उनका निवृत्ति वेतन भी पर्याप्त होना चाहिये । यदि इसे बढ़ा दिया जाये तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । इसी लिये मैंने यह दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु सम्बन्धी दो अन्य संशोधनों का निर्देश करते समय मुझे यह कहना है कि सामान्यतः यह देखा गया है कि अन्य कार्यपालिका पदाधिकारियों की अपेक्षा न्यायधीशों का स्वास्थ्य अधिक अच्छा होता है और मैं उस संशोधन का स्वागत करता हूं जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु को ६५ से बढ़ाकर ७० वर्ष कर दिया जाने का सुझाव दिया गया है । अमरीका में एसी कोई आयु सीमा नहीं है । यदि हम कोई आयु सीमा निश्चित करना ही चाहते हैं तो वह ७० वर्ष होनी चाहिये और इसी प्रकार उच्च न्यायालयों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

के लिये आयुसीमा को ६० से बढ़ाकर ६५ वर्ष कर दिया जाना चाहियें। मैं ने अनुच्छेद २४४ मे आगे और संशोधन प्रस्तुत किया है। श्री नि० चं० चटर्जी ने भी इसी प्रकार का एक संशोधन प्रस्तुत किया है और यदि वह स्वीकार्य हो तो मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं रखूंगा। मैं ने अपने संशोधन मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्रशासनिक राज्यपाल अथवा विदेशों में स्थित भारतीय शिष्टमंडल के नेता जैसे कार्यपालिका पदों के स्वीकार किये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध लगे रहने चाहियें।

संशोधन १६५ के बारे मे मुझे यह कहना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एक मास से अधिक समय तक औसतन संख्या से कम नहीं रखी जायेगी।

मैं ने सुना है कि नागपुर उच्च न्यायालय में ६ मास तक यह संख्या स्वीकृत संख्या से कम रही और बहुत सा काम जमा हो गया है। यह प्रश्न यहां कई बार उठाया गया परन्तु मंत्री महोदय यही कहते रहे यह कार्यवाही काम के परिमाण पर निर्भर करती है। यदि मंत्री महोदय ने जांच की होती तो उन्हें पता चलता कि वहां काम जमा हो रहा है। परन्तु राज्यों का पुनर्गठन होने से नागपुर में कोई उच्च न्यायालय नहीं रहेगा अतः इसीलिये इस ओर ध्यान नहीं दिय गया है। न्यायपालिका के प्रबन्ध का यह ढंग नहीं है। मुझे आशा है कि राज्यों का पुनर्गठन हो जाने पर सरकार इसकी और अधिक अच्छी व्यवस्था करेगी। इसलिए मैं उन विभिन्न संशोधनों को जिनका मैंने उल्लेख किया है सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हुआ उनकी स्वीकृति की सिफारिश करता हूं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : न्यायालय और न्यायाधीशों की बात करने से मुझे बीस वर्ष पहले की बात याद हो आती है जब कि मैंने भी विधि व्यवसाय को अपनाना चाहा था। किन्तु कुछ समय पश्चात मैं अन्य कार्यों मे लग गया। उस समय के एक न्यायाधीश के कथन का मुझे स्मरण हो आता है। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति विधि का पालन करते हुये जीवन जापन करना चाहता है, तो उसे यह भी याद रखना चाहिये कि विधि का पालन किस प्रकार किया जाता है। यह भी मेरे स्मृति पटल पर आता है कि एक बार जब कि मैं जेल में था; और श्री नि० चं० चटर्जी के समक्ष मेरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत हुई थी, उस समय श्री चटर्जी ने अत्यन्त महत्व-पूर्ण निर्णय दिया था किन्तु वह मुझे मुक्त नहीं कर सके थे क्योंकि उस समय आज जैसा स्वतन्त्र संविधान लागू नहीं था और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का चित्र अधूरा ही था। इन बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि न्यायपालिका की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि हम न्यायपालिका से सम्बन्धित खंडों पर विचार करने के लिये इतना समय खर्च कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमरिका के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। वहां न्यायमूर्ति होल्मस जैसे न्यायाधीश भी थे जिनकी राय को समाज के हितचिन्तक केवल विधि सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में ही नहीं प्रत्युत सामाजिक पुनर्गठन के सबंध में भी बड़े आदरपूर्वक सुना करते थे। इसी कारण से न्यायपालिका का बड़ा महत्व है, संसद् और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक न्यायाधीश के लिए ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिए कि ६० वर्ष की आयु के पश्चात उसका भविष्य अनिश्चित हो जाय। रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि न्याय-पालिका का स्तर गिर रहा है।

ब्रिटिश शासन काल में यह प्रथा थी कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल से भी सामाजिक स्तर पर नहीं मिलने जाते थे। कलकत्ता के विधि जीवी परिषद् के नेता जब श्री शरतचन्द्र बोस थे तो एक बार इस समाचार के आधार पर कि मुख्य न्यायाधिपति ने राज्यपाल से भेट की थी, उक्त मुख्य न्यायाधिपति के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। परन्तु अब स्वतन्त्र भारत में न्यायाधीशों को कार्यपालिका के सदस्यों से इसलिए सम्पर्क स्थापित करते देखा गया है कि उन्हे किसी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाय। इस बात पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हमारी आकांक्षा न्यायपालिका को स्वतन्त्र और सम्मानपूर्वक ढंग से

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य करते हुए देखने की है। जैसा कि श्री एंथनी ने कहा यदि सचमुच आज कल न्यायाधीश पदों के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हैं तो इसका उपचार किया जाना चाहिए। इस कारण मैं उन संशोधनों का समर्थन करता हूं जिसमे इस बात की व्यवस्था है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा अवधि अधिक होनी चाहिए।

कोई कारण नहीं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ६० वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त कर दिया जाय जब कि उच्चतम न्यायालय के लिए सेवा-निवृति आयु ६५ वर्ष है। श्री कामत के इस सुझाव में भी सार है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ७० वर्ष की आयु तक भी काम करने के लिये समर्थ हो सकते हैं इसलिए न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और श्रेष्ठता की रक्षा की जानी चाहिए और न्यायाधीशों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। परन्तु इस विधेयक के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा ६० वर्ष तक ही रखी गयी है।

मैं यह नहीं चाहता कि न्यायाधीश सेवा-निवृत्त होने पर विधि व्यवसाय करें। इस विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था है कि न्यायाधीश केवल उस उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता जिसमें कि वह न्यायाधीश रहा हो, जैसा कि श्री चटर्जी कर रहे है। मेरा विचार है कि श्री चटर्जी विधि व्यवसाय करने में आनन्द का अनुभव करते हैं और यह भी मेरा विचार है कि मेरे अधिकांश मित्र इस बात से सहमत होंगे। यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे यहां ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो विधि व्यवसाय करने में आनन्द का अनुभव करते हों, और क्योंकि वह आनन्द का अनुभव करते है, इसलिए वह अपने मामले अच्छी तरह चला सकते हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायदान करने के लिये हमारे यहां ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जो किसी का भी पक्ष न लें। श्री चटर्जी नें जिस पुस्तक का उद्धरण दिया उसी के लेखक नें एक स्थान पर लिखा है कि भारत में जितने विधि-व्यवसायी राजनीतिज्ञ उत्पन्न किये हैं उतने किसी अन्य देश ने उत्पन्न नहीं किये हैं, परन्तु यह सत्य है कि विधि व्यवसायी राजनीतिज्ञ न तो अच्छा विधि व्यवसायी ही होता है और न अच्छा राजनीतिज्ञ ही। मैं यह नहीं चाहता कि विधि व्यवसायी ही न्यायाधीश बनें। न्यायाधीश तो ऐसा होना चाहिये जो कि विधि व्यवसाय में नाम पाने के कारण न्यायाधीश बना हो और जिसका स्वभाव ही न्यायिक हो गया हो। इसलिए मैं चाहता हूं चुनाव आयुक्त और नियन्त्रक महालेखा परीक्षक जैसे पदों पर न्यायिक प्रकृति के व्यक्ति नियुक्त किये जायें। और एक बार न्यायाधीश बनने पर फिर उन्हें विधि व्यवसायी नहीं बनना चाहिए। मैं श्री क० कु० बसु के संशोधन का समर्थन करता हूं कि सेवा-निवृत्त होने के पश्चात न्यायाधीशों को न्यायापालिक पदों के अतिरिक्त कोई और पद ग्रहण नहीं करना चाहिए।

मैं श्री फ्रैंक एंथनी के विरोध के अनपेश की इस विचार का भी समर्थक हूं कि न्यायाधीशों का स्थानान्तरण होना चाहिये। यह नियम भी ठीक नहीं है कि किसी उच्च न्यायालय विशेष में न्यायाधीशों की इतनी संख्या दूसरे राज्य सें आनी चाहिए। मैं भाषा के आधार पर राज्य के पुर्नगठन का पक्षपाती तो हूं, परन्तु मुझ में प्रान्तीयता की भावना नहीं है। परन्तु इस देश में लोकतंत्र को चलाने के लिए हमने इकाइयां बनायी है और इन इकाइयों की भाषा में ही सब बाते वहां की जनता को समझाई जानी चाहिऐं। उदाहरण के लियें यदि एक तैलगु आन्ध्र उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में जाता है तो वह सारी प्रक्रिया को समझ सकेगा। इस लिए न्यायाधीश भी यदि उसी इकाई की भाषा को जाननें वाला हो तो अच्छा है। जैसा श्री क० कु० बसु ने एक उदाहरण दिया था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में यद्यपि न्यायाधीश बंगाली था, दोनों पक्ष और साक्षी भी बंगाली थे, परन्तु कार्यवाही की प्रत्येक पंक्ति का अनुवाद किया जाता था। न्यायालय का भी समय नष्ट होता था और समय और धन का भी नाश होता था। इस लिए हमे पुरानी बातों को छोडना चाहिए और इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी न्यायाधीश हो उसे उस प्रदेश की भाषा आनी चाहिए, चाहें वह उसकी मातृभाषा हो अथवा न हो। यदि हम न्यायदान की पद्धति में आवश्यक परिवर्तन नहीं करतें हैं और विधि को सरल नहीं बनातें हैं तो प्रजातन्त्र इस देश

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

में एक असाध्य चीज हो जायेगी। संसद् में हम चाहें कितनी ही चर्चा क्यों न करें किन्तु जन साधारण उस जीवन में कभी भाग नहीं ले सकेगा, जिसका कि वह अधिकारी है। इसी लिए मेरा सुझाव है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस प्रदेश की बहुसंख्यक जन संख्या की भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए।

यदि हम चाहते हैं कि हमारी न्यायपालिका उसी स्तर और सम्मान की अधिकारी बने जितनी की हम उसे बनाना चाहते हैं, तो हमें सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। हमारे न्यायाधीशों को भी यह नहीं अनुभव करना चाहिए कि ६० वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें कोई नहीं पूछेगा। साथ ही हमें अपने नियमों में इस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिये ताकि वें सर्व स्वीकृत समाजवाद के आदर्श के अनुरूप हो जायें।

†**श्री दातार** : इस खंड समूह पर हुए वाद-विवाद में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में कई बाते सामने आयी है। मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों का उत्तर दूंगा। सब से प्रथम बात तो यह कही गयी कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु ६० से बढ़ा कर ६५ वर्ष कर दी जाय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु ६५ से बढ़ाकर ७० वर्ष कर दी जाये। यह बात कई माननीय सदस्यों ने कही। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है हमें कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और सब को देख कर ही आयु का निश्चय किया जाता है। काफी हद तक संविधान सभा में इस पर विचार करने के पश्चात उस ओर वाले माननीय सदस्य भी उस समय सदस्य थे, जो जो अन्तिम निर्णय किया गया था वह कार्यकाल निश्चित करने का एक सुनहरी मध्यमार्ग था।

एक ओर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के लिये हमें बहुत अनुभवी और सुलझे हुए न्यायाधीश चाहिये। इस दृष्टि से तो यह ठीक है कि इन सुलझे हुए व्यक्तियों को कार्यपालिका पदों के लिये निश्चित कार्यकाल से अधिक समय तक पदों पर काम करते रहने देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। कार्यपालिका के सभी उच्च अधिकारियों के लिये तो ५५ वर्ष की अयु सीमा रखी गई है और अनुसचिवीय के पदों के लिए सेवा-निवृत होने की आयु ६० वर्ष रखी गई है। परन्तु इस मामले में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और साथ ही हम चाहते है कि वह यथासंभव अधिक से अधिक समय तक काम करें। परन्तु उस मामले का दूसरा पहलू यह है कि ६० अथवा ६५ वर्ष के पश्चात यह भी आवश्यक है कि नवयुवकों को भी अवसर दिया जाय और इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

†**श्री कागत** : परन्तु मंत्री महोदय तो नवयुवकों को अवसर नहीं देते हैं।

†**श्री दातार** : जहां तक मंत्रियों का संबंध है वह तो प्रत्येक समय विरोधी दल की दया पर निर्भर रहते है, इस लिये वह किसी तरह चल रहे है और अच्छी तरह चल रहे हैं।

जहां तक न्यायाधीशों का संबंध है हमारी इच्छा है कि दोनों बातों के संबंध में, अर्थात योग्य और सुलझे हुए व्यक्तियों को अधिक समय तक सेवायुक्त रखा जाये और नवयुवकों को भी अवसर दिया जाये, हमें आयु सीमा का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिये कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जायें। यही कारण है कि इस मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में अपवाद किया गया था और उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु सीमा ६० वर्ष कर दी गयी थी, जब कि कार्यपालिका अधिकारी के लिये ५५ वर्ष निश्चित कर दी गई है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के लिये इस लिये भी अधिक आयु की व्यवस्था की गई थी क्योंकि उच्चतम न्यायालय के लिये कुछ न्यायाधीशों का चुनाव तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से ही किया जाता है। यदि उनके लिये भी ६० वर्ष की आयु का नियम बना दिया जाता

---

†मूल अंग्रेजी में

तो हम अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्तियों की बुद्धि और अनुभव के लाभ से वंचित रह जाते। इसी कारण ही यह ६० और ६५ का वर्ष उपबन्ध रखा गया है और मेरा निवेदन है कि इस से दोनों पक्ष सन्तुष्ट है, इस लिये इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

दूसरा मामला विधि व्यवसाय करने के अधिकार से संबंध रखता है। संविधान के लागू होने से पहले स्थिति बिलकुल भिन्न थी और न्यायाधीश सेवा-निवृत्त होने के पश्चात विधि व्यवसाय कर सकते थे। परन्तु संविधान में यह एक कठोर नियम बनाया गया कि जो न्यायाधीश संविधान के लागू होने के समय या उसके बाद सेवा-युक्त थें वे सेवा-निवृत्त होने के पश्चात विधि व्यवसाय नहीं कर सकते थे। यह नियम निर्धारित किया गया। जहां तक इस नियम का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि इससे यह परिणाम निकाला है कि श्रेष्ठ और वरिष्ठ वकील उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं।

अब हमने वास्तविकता को देखना है। हमें मनुष्य के स्वभाव की कमजोरियों और झुकावों का ध्यान रखना है। यदि कोई वकील काफी अच्छा विधि व्यवसाय चला रहा है तो वह न केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर काम करने से प्रत्युत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर काम करने से इन्कार कर देगा, यद्यपि हम न्यायाधीशों को बहुत अच्छा वेतन देते हैं। यह तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जो कुछ वेतन हम उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दे रहे हैं वह काफी नहीं है। मेरा दावा है कि यह काफी आकर्षक है। जहां तक सामान्य अवस्था का संबंध है हमने उन्हें अनेक सुविधायें भी दे रखी है, जैसा कि भाग 'ग' में के राज्य अधिनियम, भाग 'क' में के राज्य अधिनियम तथा संविधान के उपबन्धों से स्पष्ट है। अतः यह उपबंध पर्याप्त आर्कषक हैं।

किन्तु यदि अधिवक्ता अधिक धन कमा रहे है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया कि वे हजारों रूपया कमा रहे है, तो स्वाभाविक है कि वे उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें अपने विधि व्यवसाय को सीमित करना होगा। उदाहरणा के लिये वकीलों और कभी कभी डाक्टरों की आय विपुल धन राशि तक पहुंच जाती है। स्वाभाविक है कि जब किसी व्यक्ति की आय इतनी अधिक है तो निस्सन्देह वह अत्यन्त योग्य तथा अनुभव प्राप्त अधिवक्ता है। हमें इस बात को नहीं भूलाना चाहिये कि हम उत्कृष्ठ एवं अत्यधिक दक्ष व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त करना चाहते है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसी के परिणाम स्वरूप सन १९५० से जब कि संविधान पारित तथा लागू हुआ अनेक अवसरों पर प्रतिमा सम्पन्न वकील न्यायाधीश के पद को स्वीकार करने के लिये इच्छुक नहीं थे। इस लिये जब उच्चतम कोटि के व्यक्ति प्राप्त नहीं है तो हमें उनसे कुछ निम्न कोटि व्यक्तियों की खोज करनी पड़ती है। इस लिये न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने की इस इच्छा की तुष्टी के लिये हमें यह उपबंध करना पड़ा। इसलिये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में नही अपितु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में हमने यह परिवर्तन किया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये यह गौरव की बात नहीं होगी कि सेवा-निवृत्त होने के पश्चात वे विधि व्यवसाय को अपनायें। इसी कारण से अनुच्छेद १२४(७) में उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश द्वारा विधि व्यवसाय किये जाने पर पर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का संबंध है, आप ने देखा कि हमारे समक्ष दो परस्पर विरोधी विचारधारायें हैं। एक ओर कहा गया है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा, कि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। दूसरी ओर यह मत प्रकट किया गया कि उन्हें दूसरे न्यायाधिकरणों के समक्ष भी विधि व्यवसाय करने की अनुमति दी जानी चाहिये। यही कारण है कि जब

[श्री दातार]

हमने इस पर विचार किया था तो हमने खंड १३ में, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद २२० के स्थान पर नया अनुच्छेद रखना है, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया था कि किसी उच्च न्यायालय के सभी निवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकेंगे। हम यह नहीं चाहते कि उच्च न्यायालयों के निवृत्त न्यायाधीश जिला या सत्र न्यायालय में या पहले दर्जे के न्यायाधीश के न्यायालय मे वकालत करें। यह बिलकुल संभव है कि कुछ मामलों में ऐसी कार्यवाही करने की प्रवृत्ति हो। किन्तु उनकी वकालत को हमने अन्य उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय तक ही सीमित रखा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जहां तक वकालत करने का सम्बन्ध है, कुछ रियायत की जानी थी और हमने यह रियायत की है। यदि ६० वर्ष की आयु के बाद कोई व्यक्ति वकालत करना चाहता है तो उसे ऐसे क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहिये जहां वह किसी समय जिला न्यायाधीश रह चुका है और जहां उसने वकालत भी अवश्य की होगी। इसलिये उसके लिये हमने अन्य क्षेत्र निर्धारित किये है। यदि वह लाभ उठा सकता है तो उसे अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत करने का और यदि वह ठीक समझता है तो उच्चतम न्यायालय में भी वकालत करने का अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य योग्य वकीलों को कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।

दो-तीन माननीय सदस्यों द्वारा कुछ आलोचना या टीका की गई है। एक सदस्य की टीका का आशय यह था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस बात के साथ ही यह तर्क भी दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का ह्रास हुआ है। मैं यह नहीं जानता कि जिस माननीय सदस्य ने यह कहा उनका अभिप्राय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सम्मिलित करना भी था।

†**श्री बी० कि० रे** (कटक): उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही नियुक्त किया जाता है।

†**श्री दातार** : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा मै इस बात का उत्तर कल ही दे चुका हूं और मैं उसे यहां भी दुहराता हूं ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इस बात का खंडन करता हूं कि मैंने यह कहा था अथवा आरोप लगाया था कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश बिलकुल स्वतंत्र नहीं है या उनकी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ा है और वे पदलोलुप हैं। यह बातें कुछ माननीय सदस्यों ने कही थीं।

†**श्री कामत** : आपने उन्हें पदलोलुप बनाया है।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को और इस सदन को भी मैं यह बता दूं कि जहां तक न्यायाधीशों की योग्यता का सम्बन्ध है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और मैं यहां यह बात निश्चित रूप से कहता हूं कि वे न केवल स्वयं योग्य है अपितु उनके निर्णय भी अत्युत्तम है। हमने अपनी न्यायापालिका के उच्च स्तर को कायम रखा है और मैं यह अवश्य चाहता हूं कि हमें संसद में या अन्यत्र इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये जो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अनावश्यक आक्षेप करती हों।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (जिला मेरठ–दक्षिण) : क्या माननीय मंत्री २५ वर्ष पहले दिये गये निर्णयों और आज के निर्णयों की तुलना करेंगे ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि मैं पूर्ण विचारोपरान्त बोलता हूं और इसलिये में उस विषय के बारे में फिर से कुछ कहूंगा।

†**एक माननीय सदस्य** : उनकी धारणएं गलत हो सकती है।

†**श्री दातार** : न्यायाधीशों के कार्य को जानने का मुझे अधिक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम अपने न्यायाधीशों के अभाव में काम चला सकते हैं? न्यायालय राज्य का एक आवश्यक अंग हैं। न्यायपालिका एक आवश्यक अंग है। योग्यता का स्तर उन्नत हुआ या अवनत हुआ, इस बात में हम क्यों पड़ें? हमें काम करना है।

†**श्री दातार** : इसलिये जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का संबंध है, हमें आलोचना करने में काफी संयम बरतना होता है। माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं है, उन्हें मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कुछ सदस्यों नें यह कहा है कि उनकी धारणायें उन्हें प्राप्त समाचारों पर आधारित हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि ऐसी बातों में समाचारों पर विश्वास करन में हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिये क्योंकि इन समाचारों के अतिशयोक्तिपूर्ण या निराधार होने की संभावना होती है। मैं यह भी बता दूं कि उन्हें इस पद की अथवा किसी कार्यपालिका पद की लालसा नहीं होती। मैं सदन को यह बता दूं कि कई अवसरों पर इस पद के लिये हमें ऐसे व्यक्तियों से अनुरोध करना पड़ा है कि वे इसे स्वीकार करें।

†**श्री कामत** : यही तो गलत बात है।

†**श्री दातार** : अत्यंत आवश्यक होने पर ही उनसे इस पद को ग्रहण करने के लिये कहा गया था। मैं श्री कामत को यह बता दूं कि यह बात नहीं है कि वे इस पद को स्वीकार करने के लिये बहुत उत्सुक होते हैं बल्कि वे अनिच्छा से ही इसे स्वीकार करते हैं। इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और इस संबंध में कोई ऐसी धारणा या गलतफहमी नहीं होना चाहिये कि योग्यता का ह्रास हुआ या न्यायाधीश पदलोलुप होते हैं।

अंत में, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, एक से अधिक नियुक्ति शायद ही हुई है। इस एक नियुक्ति को लेकर कई बातें कही गई हैं। हमें यह समझ लेना चाहिये कि ऐसे उदाहरण नगण्य हैं जिन में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यपालिका पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसा नहीं किया गया है, तो माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सरकार पर भी प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले तरीके से इस प्रकार सामान्य राय न कायम कर लें, जसा कि वे करते रहें हैं।

दो-तीन बातें और कही गई हैं। एक तो यह है कि बाहरी व्यक्तियों में से अथवा उन व्यक्तियों में से जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कुछ व्यक्तियों को उस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये। जैसा कि विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा है, जहां तक भाषा का संबंध है, कठिनाइयां हो सकती हैं। अभी तो अंग्रेजी मौजूद है और कुछ समय तक संभव है कि कोई कठिनाई न होगी किन्तु एक समय ऐसा आयेगा जब कि हमारे उच्च न्यायालयों की भाषा हमारी अपनी राष्ट्र भाषा होगी। तब तक दूसरे राज्यों के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है।

मैं यह बता दूं कि परित्राणों के हमारे ज्ञापन में, जिसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य को दी गई है, यह स्पष्ट तौर से कहा गया है कि उद्देश्य यह है कि जहां तक संभव हो, भविष्य में नियुक्तियां करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिये। जहां तक ऐसी सब बातों का संबंध है, आखिरकार कुशल कार्य-सम्पादन के लिये सरकार पर विश्वास किया जाना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि इस संबंध में कोई संविहित निर्बन्ध न लगाये जायें, क्योंकि ऐसा करना अव्यवहार्य भी होगी। इसलिये इस सदन के प्रति जो व्यक्ति उत्तरदायी है वे इस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे और इस संकल्प की भावना चाहे जो हो, उसे जहां तक आवश्यक होगा क्रियान्वित किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य का सुझाव यह था कि भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को घबड़ाहट हुई है। मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। मैं यह बता दूं कि सभी उच्च न्यायालयों का स्तर एक सा रखा गया है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि सरकार और जनता को उनका चुनाव करने का कुछ न कुछ अधिकार होना चाहिये। इस सिलसिले में संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में जो कुछ कहा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

समिति नें यह प्रस्ताव किया है कि सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन एकसम होना चाहिये और बाद में भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों के स्थान पर जो उच्च न्यायालय होंगे उनके न्यायाधीशों का चुनाव और नियुक्ति सुविधाजनक रुप से करने के लिये कोई न कोई चुनाव जाना है। भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को घबड़ाहट होने का कोई कारण नहीं है। उदाहरण के लिये, यदि मुख्य न्यायाधीश यह परामर्श देता है कि जहां तक कुछ न्यायाधीशों का संबंध है, उन्हें उस पद पर कायम रखा जाये और उन्हें नये उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जाये, तो यह स्वाभाविक है कि हम उनके सुझाव पर विचार करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात के कारण किसी न्यायाधीश को कोई घबराहट नहीं होनी चाहिये क्योंकि अन्य प्रमुख कारणों के अतिरिक्त, हम यह देखना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की योग्यता असाधारण हो क्योंकि हम उनका वेतन बढ़ाने वाले हैं और कहीं-कहीं उनके मासिक वेतन में १,००० रुपये की वृद्धि होगी। इस पहलू पर सदन को विचार करना चाहिये। मैं यह बता दूं कि इन न्यायाधीशों को अपने भविष्य के बारे में किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिये।

मैं यह भी बता दूं कि यदि वे मुख्य न्यायाधीश की राय में योग्य नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें जहां कहीं भी व्यवहार्य है वहां खपा लेने का यथाशक्य प्रयत्न करेंगे। मेरा ख्याल है कि मैंने सभी महत्वपूर्ण बातों का उत्तर दे दिया है।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : अखिल भारतीय सेवाओं का क्या होगा ?

†**श्री दातार** : हमारे पास दो नई अखिल भारतीय सेवायें—भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा हैं। यद्यपि किसी ऐसी सेवा का गठन केन्द्र सरकार ही कर सकती है, तथापि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि ऐसी सेवा से केवल राज्य सरकारें लाभान्वित होंगी और इसीलिये हम यह चाहते हैं कि जहां तक इसका संबंध है, अधिकतम सहमति अथवा सम्मति रहे।

उदाहरण के लिये भारत के प्रथम गृह-कार्य मंत्री के कार्यकाल में जब उक्त सेवायें गठित की गई तो हमें सब राज्यों की सम्मति प्राप्त थी। और मैं यह बता दूं कि जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित इन सेवाओं का और राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित सेवाओं का भी संबंध है, हमें इस प्रश्न पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करना होगा और उनकी सम्मति प्राप्त करनी होगी। वे केन्द्रीय सेवायें नहीं हैं। वे सामान्यतः अखिल-भारतीय शिक्षा और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग या अन्य सेवायें होंगी। कुछ और सेवाओं की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है और इसलिये यह सुधार तय किया जा सकता है जब कि राज्य सरकारें सहमत हों।

मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि हम एक संघ है और हमारी राज्य सरकारें स्वायत्त है और इसलिये राज्य सरकारों के विचारों के बारे में हमें अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। श्री एंथनी से मेरा अनुरोध है कि वे राज्य सरकारों की स्वायत्तता का मज़ाक न उड़ायें। जहां तक संभव होगा हम राज्य सरकारों को मनायेंगे और मान लीजिये कि हम उन्हें नहीं मनाते हैं तो हम कुछ समय तक प्रतीक्षा करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में हम जो परामर्श देंगे अथवा प्रस्ताव करेंगे उन्हें क्रमशः सब राज्य सरकारें स्वीकार कर लेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक को हम कुछ देर के लिये स्थगित करेंगे क्यों कि अब रेलवे मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

जादचेरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद के निकट कुछ दिन पूर्व जो दुखद रेल दुर्घटना हुई है उसके संबंध में माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं उन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूं। उस राज्य में यह दूसरी दुर्घटना होने से उसके परिणाम स्वरुप

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वाभाविकतः काफी चिन्ता हुई है और मैं इस बात पर सदन से पूर्ण रुप से सहमत हूं कि पूरी जांच की जानी चाहिये और प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि ऐसी घटनायें न हों इसके लिये सभी संभव कार्यवाही की जानी चाहिये ।

रेलवे उप मंत्री नें इस सदन में उक्त दुर्घटना का अधिकांश वृत्तांत ३ तारीख को दिया है और उन्हीं बातों को दुहराना आवश्यक नहीं है । मैं ने घटनास्थल का दौरा किया है और मैं यह अवश्य कहूंगा कि एक छोटी सी नदी इतनी बड़ी दुर्घटना का कारण कैसे बन सकती है यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ था। इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है कि एक छोटी सी नदी का पानी जो सामान्यतः कुछ फीट गहरा होता है, दो-तीन घंटों में अचानक इतना चढ़ जायेगा और यह केवल संयोग की बात है कि तीसरे दर्जे की दो और ऊंचें दर्जे कि एक बोगी को छोड़कर, शेष सभी डिब्बे बच गये और वे पटरी से भी नहीं उतरे । किन्तु दो बोगियां बिलकुल चकनाचूर हो गई और एक बोगी अब भी नदी में पड़ी है । ऐसा प्रतीत होता है कि किस्मत को यही मंजूर था ।

माननीय उपमंत्री ने इस दुर्घटना की जो जानकारी पहले दी है, उसे पूरा करने के लिये मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं ।

इस दुर्घटना से लगभग एक मास पूर्व १ अगस्त, १९५६ को दोपहर के ढाई बजे के लगभग इस पुल से १/२ मील ऊपर की तरफ स्थित पोचानी कुंटा तालाब के टूट जाने के कारण अचानक पानी के आ जाने से यह पुल टूट गया था । रेल के किनारे की मरम्मत कर दी गई थी और डिवीज़नल इंजीनियर द्वारा पुल और उस के रास्तों का निरीक्षण करने के पश्चात् उन्हें सुरक्षित, प्रमाणित करने देने को बाद २ अगस्त, १९५६ को दोपहर के ३.३७ बजे यातायात पुनः चालू कर दिया गया था ।

पुराने अभिलेखों को देखने से पता लगा है कि जब से यह पुल बना था तब से १ अगस्त, १९५६ तक यह बिल्कुल ठीक चल रहा था और न कभी इस में अप्रत्याशित रुप से अधिक पानी आया था और न ही कभी इस को या इसके मुहाने को कोई क्षति पहुंची थी ।

१ अगस्त, १९५६ को जब यह टूटा तो इंजीनियरों को इसके खम्भों के पिछले भाग और पार्श्व की दीवारों का निरीक्षण करने का अवसर मिल गया और उन्हों ने देखा कि इस के ढांचे के मुख्य भाग, अर्थात् नींव, खम्भों, पार्श्व की दीवारों और ऊपर के गर्डरों को कोई हानि नहीं पहुंची थी और ये अच्छी हालत में थे ।

२ अगस्त, १९५६ से, जब यातायात पुनः चालु किया गया था, ९ अगस्त तक प्रत्येक गाड़ी को पुल पर ठहरना पड़ता था और फिर ५ मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलना पड़ता था । इस के बाद गाड़ियों की रफ्तार १० मील प्रति घंटा कर दी गई और १३ अगस्त, १९५६ से इसे बढ़ा कर २० मील प्रति घंटा कर दिया गया । अन्त में २१ अगस्त को रफ्तार पर से सब प्रतिबन्ध उठा लिये गये । इस तरह आप देखेंगे कि १ अगस्त, १९५६ को जब पुल टूटा था उसके बाद से रफ्तार पर से धीरे २ प्रतिबन्ध उठाये गये ताकि मरम्मत किये हुये भाग मजबूत हो जायें । २१ अगस्त, १९५६ से दुर्घटना के दिन तक गाड़ियां साधारण रफ्तार से चलती रही और इस अवधी में चालकों ने किसी बात की शिकायत नहीं की ।

स्वाभाविकतया, सभा यह जानना चाहेगी कि इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने अगस्त में इस विभाग पर क्या निगरानी की । यह बताया गया है कि डिवीज़नल इंजीनियर नें अगस्त मास में ट्राली और गाड़ी द्वारा इस रास्ते का दो बार निरीक्षण किया, असिस्टेंट इंजीनियर ने ५ बार और स्थायी मार्ग निरीक्षक ने ११ बार निरीक्षण किया । अतः, यह स्पष्ट है कि इस दुर्घटना से पहले इस भाग की लाइन का जिसमें पुल और उस का रास्ता भी सम्मिलित है पर्याप्त निरीक्षण किया गया था । यह भी बताया गया है कि इस भाग पर मौनसून की नियमित गश्त भी जारी थी और १ अगस्त, १९५६ के बाद इस पुल की बारी बारी से निगरानी के लिये विशेष रुप से दो और पुल के पहरेदार भी रखे गये थे ।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

रात की ६ बजे के लगभग जब ८०५ डाउन माल गाड़ी इस पुल पर से गुजरी तो यह पुल और इसके रास्ते गाड़ियों के आने-जाने के लिये बिलकल ठीक थे । इस सें दुर्घटना के बिच के ३ घंटे और ४५ मिनट के समय में ही संभवतः कुछ हुआ होगा अर्थात् या तो पुल में कुछ गड़बड़ हो गई होगी या किसी और का कोई दोष होगा । यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहे कि इस का वास्तविक कारण क्या था । यह तो स्पष्ट है कि दुर्घटना से ठीक पहले पुल के नीचे के नाले में अचानक बहुत सा पानी आ गया था । चाहे आप इसे वर्षा का पानी कहिये या किसी और तालाब के टूट जाने से आया हुआ पानी समझिये । यह तो इससे भी पता चलता है क्योंकि उस नाले के आधे मील नीचे की तरफ एक सड़क के पुल पर उस समय लगभग ३ से ४ फीट तक ऊंचा पानी बह रहा था । ये सब बातें तो जांच करने से पता लग सकती हैं । हम यह चाहते हैं कि इस की पूरी जांच की जाये और मैं तो न्यायिक जांच के भी विरुद्ध नहीं हूं । मैं यह नहीं चाहता कि किसी बात को छिपाया जाये और यदि रेलवे वालों की कोई गलती हो तो उसे बताया न जाये । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है विशिष्ट सरकारी निरीक्षक वहां पहले ही हो आये हैं और उन्हों ने अपनी जांच आरंभ कर दी है । उन्हें शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है, और इस के मिलते ही इस पर शीघ्रता से और ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा । और उस समय न्यायिक जांच के संबंध में निश्चय किया जा सकेगा क्योंकि यह विषय अत्याधिक प्रावैधिक होगा अतः इस की जांच एक या दो प्रावैधिक असेसरों की सहायता से करनी पड़ेगी ।

मैं दुर्घटना के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता था किन्तु इस समय यह ठीक नहीं है । मैं सभा से रेलवे के सरकारी निरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की प्रार्थना करुंगा ।

मैं सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि पुलों की समय समय पर परीक्षा और उन्हें ठीक हालत में रखने के संबंध में पहले ही विस्तृत अनुदेश विद्यमान हैं । मौनसून के एक दम बाद असिस्टेंट इंजीनीयर सब पुलों का अच्छी प्रकार निरीक्षण करते हैं और कोई भी त्रुटि—चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो—तुरन्त पुल के रजिस्टर में लिख दी जाती है । तुरन्त आवश्यक मरम्मत आरंभ कर दी जाती है । इसके बाद ये पुल संबंधी रजिस्टर डिवीज़नल इंजीनियर के समक्ष रखे जाते हैं ; जो स्वयं भी ऐसे पुलों का निरीक्षण करता है जिनके लिये इस की आवश्यकता होती है और उनके संबंध में अपने आदेश दे देता है ।

पुलों के वार्षिक निरीक्षण और उन्हें ठीक स्थिति में रखने के स्थायी आदेशों के अतिरिक्त, १६५४ में हैदराबाद में जनगांव दुर्घटना के बाद रेलवें बोर्ड नें विशेष हिदायतें जारी की थी जो बहुत सम्पूर्ण थी ।

वर्षा में जिन बांधों और पुलों, बाढ़ की से प्रभावित होने की संभावना होती है, उन की अधिक निगरानी की जाती है, विशेषतः रात के समय । ऐसे लोगों को वहां नियुक्त किया जाता है जो उचित संकेतों से रेल को रोक सकें । यदि किसी गाड़ी को खतरा हो, तो उन व्यक्तियों को निकटतम स्टेशन को सूचना देनी पड़ती है । इस घटना के विषय में मुझे बताया गया है कि उस पुल पर जो चौकीदार नियुक्त था वह उस समय वहां न था बल्कि उसके कथनानुसार, वह एक दूसरे पुल पर था, जो उस से थोड़ी दूरी पर है । ये सब बाते जांच से स्पष्ट हो जायेंगी । मैं चालक और दो आग झोंकने वालों से भी मिला हूं । चालक से मैंने रफ्तार और प्रकाश के बारे मे पूछा और यह भी पूछा कि क्या वह पुल पर पानी देख सकता था । अभी मै उसका उत्तर नहीं बता सकता क्योंकि चालक को जांच पदाधिकारी के सामने भी हाज़िर होना पड़ेगा । वह अस्पताल मे पड़ा हुआ था और संभवतः मुझे उससे ये प्रश्न पूछने भी नहीं चाहिये थे । मैंने अस्पताल मे घायल यात्रियों को देखा । उन्हें मामूली चोट आई थीं केवल दो तीन व्यक्तियों की स्थिति गम्भीर थी । उनकी पूरी पूरी देखभाल की जा रही है ।

इस दुर्घटना से मुझे निस्सन्देह बहुत दुःख हुआ है क्योंकि मैंने स्वयं वह हालत जाकर देखी है। मृतक पुरुषों का वह करुणाजनक दृश्य मुझे बहुत समय तक याद रहेगा। मृतकों की संख्या ११७ तक पहुंच गई है।

मैंने रेलवे बोर्ड से पहले ही कह दिया है कि वह राज्य के सब पुलों और उनके आस पास के स्थानों का एक विशेषज्ञ दल द्वारा निरीक्षण करावें जिस मे रेलवे से बाहर का भी एक योग्य इंजीनियर हो। यह समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र पेश करेगी ताकि अगली वर्षा से पहले उसकी सिफारिशों को लागू किया जा सके। क्षतिपूर्ति के दावों पर विचार करने के लिये हैदराबाद सरकार द्वारा एक सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा रहा है।

हैदराबाद सरकार नें रेलवे को जो आत्यधिक सहयोग दिया है, उसके लिये मैं इस अवसर पर हैदराबाद सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व): यह मेरी समझ मे नहीं आता कि सरकार अदालती जांच से इतना क्यों घबराती है। न्यायाधीशों को भी प्राविधिज्ञों से सहायता मिल सकती है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने अभी कहा है कि सरकारी रेलवे निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम शीघ्र ही उसकी जांच करेंगे और फिर यह काम सभा की इच्छा पर निर्भर है। यदि उस रिपोर्ट से यह मालूम हुआ कि यह रेलवे अथवा उसके इंजीनियरों की गलती थी तो आगे किसी जांच की आवश्यकता ही नहीं होगी। किन्तु यदि रिपोर्ट मे कोई सन्देह वाली बात हो तो हम अदालती जांच करा सकते हैं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि किसी स्थानीय रेलवे संघ के प्रधान अथवा सचिव ने २४ घंटे पहले रेलवे प्राधिकारियों को यह चेतावनी दी थी कि इस पुल की कमजोर हालत है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं उस नौजवान से भी मिला था। उसकी बातों की यहां चर्चा करना ठीक नहीं है क्योंकि उसे भी जांच अधिकारी के सामने अपना बयान देना पड़ेगा। यदि यहां मैं उसके बारे में कुछ कहूं तो उसके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** (यादगीर) : क्या मृतक पुरुषों की लाशें पहचान ली गई हैं ? और टिकिट कितने दिये गये थे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं टिकिटों की ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता किन्तु ऐसा लगता है कि तीसरे दर्जे के डिब्बे खूब भरे हुए थे। लगभग तेईस चौबीस लोगों को चोटें नहीं आई। शेष व्यक्ति या तो मर गये या अस्पतालों में हैं। लगभग ५० प्रतिशत लाशें पहचान ली गई हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : क्या माननीय मंत्री सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि रिपोर्ट सत्रावसान से पहले उपलब्ध करा दी जायगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : साधारणतया ऐसा होता है कि सरकारी निरीक्षक एक सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे देता है। इस बार हम उससे विशेष तौर से कहेंगे। मैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से कहता हूं कि वह उससे टेलीफोन द्वारा यह कहे कि वह अपनी रिपोर्ट इससे भी शीघ्र प्रस्तुत करे। मैं समझता हूं कि सत्रावसान से पहले इस विषय के सम्बन्ध मे किसी निश्चय पर पहुंचना मेरे लिये संभव हो सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** : मैं कहता हूं कि आप तुरन्त अदालती जांच क्यों नहीं करा देते ? जब इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव किया गया था तो श्रीमान्, आपने उसे यह कह कर अस्वीकार किया था कि इस पर माननीय मंत्री शीघ्र ही एक वक्तव्य देंगे और चर्चा की जा सकेगी किन्तु जो वक्तव्य दिया गया ह उस से मैं बहुत ही असंतुष्ट हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री नें उस स्थान को स्वयं जा कर देखा है । इस विषय की उन्हे भी उतनी ही चिन्ता है जितनी अन्य लोगों को है । हमें इस घटना की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिये । यदि उस में रेलवे प्रशासन की गलती सिद्ध हुई तो वह भी ज्ञात हो जायेगी । अत: जब तक किसी विषय के बारे में पूर्ण जानकारी उपबन्ध न हो, उस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये ।

†**डा० लंका सुन्दरम** : क्या माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि सत्रावसान से कम से कम २४ घंटे पहले वह रिपोर्ट मिल जायेगी ?

†**श्री गाडगील** (पूना मध्य) : इस विषय में कोई जल्दी नहीं की जानी चाहिये । बेहता दुर्घटना की रिपोर्ट में छः महीने का समय लगा था । माननीय मंत्री को हमें सम्पूर्ण जानकारी देनी चाहिये ।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : माननीय मंत्री नें कहा है कि रेलों के पुलों का निरीक्षण वर्षा के बाद किया जायेगा किन्तु बहुत सी त्रुटियां वर्षा काल में ही देखी जा सकती हैं । अत: इस में विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जो निदेश सभा-पटल पर रखें जायेंगे, यदि माननीय सदस्य उन्हें पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि वे उनसे संतुष्ट हो जायेंगे ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं । जब कभी ऐसे मामलों में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जाती है, तो उनके बारे में माननीय मंत्री सभा में वक्तव्य देते है और सदस्यों को अपनी जानकारी प्रकट करने का अवसर दिये बिना ही वह विषय समाप्त कर दिया जाता है । यह ठीक है कि सरकार के पास सूचना प्राप्ति के अधिक साधन है किन्तु हमें भी अपनी सूचनायें प्रकट करने का मौका मिलना चाहिये जिससे हम देशवासियों को यह बता सकें कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : श्रीमान्, इसके लिये तो आप जैसा चाहें वैसा करे । किन्तु इस समय चर्चा करना उचित नहीं होगा । दुर्घटना की जांच की जा रही है और जब तक वह पूरी न हो, तब तक पूरी चर्चा नहीं की जा सकती ।

मैं न्यायिक जांच के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । जनता को तथा सदस्यों को संतुष्ट करने के लिये मैं अधिक से अधिक जांच के लिये तैयार हूं ।

मैंने कहा है कि पुलों की रक्षा के लिये हम उनकी जांच के लिये शीघ्र ही एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेंगे जिसमें रेलवे के बाहर का भी एक इंजीनियर होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : साम्यवादी दल के उपनेता ने इस बात पर जोर दिया है कि इस विषय पर सभा में चर्चा का अवसर दिया जाना चाहिये किन्तु इस मामले की जांच की जा रही है । माननीय मंत्री ने कहा है कि एक सप्ताह मे रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी उसी समय यह निश्चय किया जा सकता है कि यह विषय चर्चा के योग्य है या नहीं । सभा की जैसी इच्छा हो वैसा काम किया जा सकता है । यदि आवश्यकता हुई तो अदालती जांच भी कराई जायेगी किन्तु रिपोर्ट का प्राप्त होना जरूरी है । इसके लिये हम माननीय मंत्री से कह सकते हैं कि वे उसे शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर और आगे विचार करेगी। हम खंड ११ से १६ और २०क से २५ निबटा चुके हैं। अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

जो सदस्य मध्यान्ह भोजन के समय यहां नहीं थे, उनकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि खंड २, ३, ८ सम्बन्धी संशोधनों को छोड़कर बाकी सभी निबटाए जा चुके हैं।

इन संशोधनों में मुख्य बात यह है कि 'गुजरात' शब्द के स्थान पर 'बम्बई' शब्द रखा जा रहा है। अब मैं संशोधन संख्या १२७ के भाग (२), (३), (४) और (५) मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २४ में–

"Gujrat" (गुजरात) शब्द के स्थान पर " Bombay " (बम्बई) शब्द रखा जाये।

(३) पृष्ठ २, पंक्ति २५ में–

शब्द "Section 10" (धारा १०) के स्थान पर शब्द "Section 8" (धारा ८) रखा जाये।

(४) पृष्ठ २, पंक्ति ३१ में–

शब्द "Section 11" (धारा ११) के स्थान पर "Section 9 " (धारा ९) शब्द रखा जाये।

(५) पृष्ठ २–

पंक्ति ४७ से ४९ निकाल दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री क० कु० बसु का संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय**: जो सदस्य पक्ष अथवा विपक्ष में मत दें, उन्हें अपने स्थानों पर खड़े हो जाना चाहिये, ताकि उन के नाम नोट कर लिये जायें। वे अपने नाम के चिट सभा-पटल पर भेज दें।

†**श्री कामत** : चिटों में तो गड़बड़ हो सकती है। जब तक नाम न लिख लिये जायें, हम खड़े रह सकते हैं :

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी आवश्यकता नहीं है। अब मैं संशोधन संख्या १२९ के भाग (२), (३), (५) और (६) मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

(२) पृष्ठ ५, पंक्ति २ के स्थान पर "4 Bombay 27" ("४ बम्बई २७") शब्द रखे जायें।

(३) पृष्ठ ५ में–

पंक्ति ६ को निकाल दिया जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

(६) पृष्ठ ५, पंक्ति १९ में–

"२२६" के स्थान पर "२२०" रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ३ उठा रखा जायेगा।

अब मैं खंड ३८ के संशोधन मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या ८ सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ ६, पंक्ति ३७ में से शब्द "Bombay" ["बम्बई"] निकाल दिया जाये।

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति ४० में शब्द "Bihar" ["बिहार"] के स्थान पर शब्द "Bombay" ["बम्बई"] रखा जाये,

(३) पृष्ठ ६, पंक्ति ४१ में शब्द "Maharashtra" ["महाराष्ट्र"] के स्थान पर शब्द "Madhya Pradesh" ["मध्य प्रदेश"] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खन्ड १२ से संबन्धित संशोधन संख्या १० और १६३, खंड १३ से संबन्धित संशोधन संख्या १०० और १३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या २१३ को मतदान के लिये सभा के समक्ष रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७ में पंक्ति ३८ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये :

'*Explanation*—In this article, the expression "High Court" does not include a High Court for a State specified in the part B of the First Schedule as it existed before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment)Act, 1956.'

[**व्याख्या**—'इस अनुच्छेद में वाक्यांश "उच्च न्यायालय" से उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत नहीं है जो संविधान (सातवें संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ से पूर्व की प्रथम अनुसूची के भाग में उल्लिखित था']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कामत का संशोधन संख्या १९४ और श्री बसु का संशोधन संख्या १५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुआ ।

श्री नि० चं० चटर्जी ने अपना संशोधन संख्या १०४ सभा की अनुमति से वापस ले लिया क्यों कि इसका प्रयोजन मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या २१४ से पुरा हो जाता था ।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कामत का खंड १४क संबन्धी संशोधन संख्या १९३, पंडित ठाकुरदास भार्गव का खंड १५ संबन्धित संशोधन संख्या १०५, श्री क० कु० बसु का खंड १६ संबन्धित संशोधन संख्या और श्री फ्रेंक एंथनी का नये खंड २०क के जोडे जाने से संबन्धित संशोधन संख्या ३१ मतदान के लिये रखें गयें तथा अस्वीकृत हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड २५ से संबंधित सरकारी संशोधन संख्या २१४ को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं. प्रश्न यह है कि :

पृष्ट १२, पंक्ति २८ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(ii) for sub-paragraphs (3) and (4), the following paragraphs shall be substituted, namely:

(3) Any person who, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 was holding office as the chief justice of the High Court of a State specified in Part B of the First Schedule and has on such commencement become the chief justice of the High Court of a State specified in the said Schedule as amended by the said Act, shall, if he was immediately before such commencement drawing any amount as allowance in addition to his salary, be entitled to receive in respect of time spent on actual service as such chief justice the same amount as allowance in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph."

"[२ उपकंडिकाओं (३) और (४) के स्थान पर यह उपकंडिका रखी जायेगी :

(३) कोई व्यक्ति जो, संविधान (सातवें संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व प्रथम अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर आसीन था और इसके प्रारम्भ पर उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित अनुसूची में उल्लिखित राज्य का मुख्य न्यायाधिपति बन गया है, तो यदि वह इसके प्रारम्भ से ठीक पहले अपने वेतन में अतिरिक्त कोई भत्ता प्राप्त कर रहा था, तो उस अवधि के लिये जब तक कि वह इस प्रकार मुख्य न्यायाधिपति रहा उसे इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त भत्ता प्राप्त करने का हक्क प्राप्त होगा"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा वह सभी संशोधन जिन पर पहले मतदान नहीं हुआ था मतदान के लिये रख गये और अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड १७ से २० तक को लेंगे, जिनके लिये डेढ़ घंटे का समय निश्चित किया गया है । उसके पश्चात् हम खंड २ से २० तक को इकट्ठा पारित करेंगे ।

†**पंडित गो० बं० पन्त** : हमने खंड २ से २० तक और खंड २१ से २५ तक के लिये ५$\frac{1}{2}$ घंटे आवटित किये हैं । वे ५$\frac{1}{2}$ घंटे पूरे हो चुके हैं । अब इन खंडों को भी मतदान के लिये रखा जा सकता है । इन खंडों के लिये जो समय आवंटित किया गया था, वह दूसरे खंडों पर खर्च हो चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो जिन खंडों पर विचार हो चुका है, मैं उन्हें मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २, ३ और ४, संशोधित रूप में, खंड ५, ६ और ७ ; खंड ८ संशोधित रूप में, खंड ९, ११ और १२ ; खंड १३ संशोधित रूप में, खंड १४, १५ और १६ ; तथा खंड २५ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

लोकसभा में मतविभाजन हुआ : पक्ष में २९६, और विपक्ष में कोई मत नहीं आये *।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा इस सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अनाधिक बहुमत से पारित हुआ है।

खंड २, ३ और ४ संशोधित रूप में; खंड ५, ६ और ७; खंड ८ संशोधित रूप में; खंड ९, ११ और १२; खंड १३ संशोधित रूप में; खंड १४, १५, १६, और खंड २५ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में २९६ ; विपक्ष में २६

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्ताव सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा इस सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अनाधिक बहुतमत से पारित हुआ। इस लिए खंड १० विधेयक का अंग बन गया है।

अब सदन दूसरे खंड समूह के संबंध में चर्चा करेगा। अब खंड १७ से २० को लिया जायेगा।

†**श्री कामत**: श्रीमान्, मेरा अनुरोध है कि क्योंकि हमें इस बात की सूचना नहीं थी कि सदन छः बजे के पश्चात् तक बैठेगा, इसलिए हमने अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना स्वीकार कर लिया था। मेरा सुझाव है कि कल हम आठ बजे रात तक बैठें।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम सभी सदस्यों को प्रतीक्षा में तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि उन को और भी कार्य करने हैं। प्रारम्भ में हमारी इच्छा थी कि यह विधेयक कल शाम तक समाप्त हो जाता। कोई बात नहीं यदि आज बैठना हमें स्वीकार न हो तो हम कल बैठ सकते हैं। अच्छा हो, यदि हम कल १० बजे आरम्भ करें और ७ बजे तक बैठें। अब हमें खंड १७ से २० तक पर चर्चा करनी है। दूसरे खंड समूह और संशोधन मतदान के लिए कल ही प्रस्तुत किये जायेंगे, और विधेयक को हम कल पूर्ण कर देंगे। माननीय सदस्य प्रश्न काल को छोड़ना नही चाहते, इसलिए कल हम दो घंटे का समय अधिक ले रहे हैं। हम १० बजे आरम्भ कर के ७ बजे तक अपितु जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता बैठेंगे। आशा यही है कि हम निश्चित रूप में सात बजे तक इसे समाप्त कर देंगे। अब सदन की कार्यवाही कल दस बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६, के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*इस विभाजन का परिणाम खंड २, ३ और ४ संशोधित रूप में ; खंड ५, ६ और ७, खंड ८ संशोधित रूप में; खंड ९, ११ और १२, खंड १३ संशोधित रूप में, खंड १४, १५ और १६ तथा खंड २५ संशोधित रूप में, पर पृथक् रूप से लागू होता है।

राज्य सभा से संदेश १८६५

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्न तीन संदेशों की सूचना दी है :—

(१) कि राज्य-सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५६ को पारित लोक सहायक सेना विधेयक को विना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) कि राज्य-सभा नें अपनी ३ सितम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २५ अगस्त, १९५६ को पारित भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (खड़गपुर) विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(३) कि राज्य-सभा ने अपनी ४ सितम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा ३० अगस्त, १९५६ को पारित राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

गैर न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांकन पत्र के बारे में याचिका . . १८६५

डा० गंगाधर शिव ने गैर न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांकन पत्रों के प्रमापीकरण एवं मशीन द्वारा लकीरें डालने के बारे में एक प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की।

विधेयक विचाराधीन . . . . . १८६६—१९०६
१९११—१४

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया गया। खण्ड २ से १६ और २५ स्वीकृत हुए। खण्डों पर विचार समाप्त नहीं हुआ।

जादचेरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे वक्तव्य . . १९०६—१०

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) नें १ सितम्बर, १९५६ की अर्ध रात्रि में सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम् सवारी गाड़ी की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य दिया।

गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६ के लिये कार्यावलि—

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार एवं पारण।

भा.स.मु.ना.—विभाग ३—२५० लोकसभा—२०-१२-५७—१९०